खण्ड-251, अंक-10
गुरूवार, 5 भाद्रपद, शक संवत् 1886
(27 अगस्त, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 251 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७३१–७३५
प्रश्नोत्तर (जारी)	७३५–७४५
५ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न १२ के उत्तर का शोधन	७४५
प्रश्नोत्तर	७४५–७७०
प्रश्नो के संबंध में आपत्ति	७७१–७७२
श्री सन्तसिंह यूसुफ की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना ..	७७२
विधान सभा की प्रक्रिया में सुधार तथा उस पर विधान मंडल के नियंत्रण को प्रभावी बनाने के संबंध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट) ..	७७२
भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत उपभोक्ताओं द्वारा अन्य व्यक्तियों के राशन कार्ड का प्रयोग करने तथा फेयर प्राइस शाप्स के मालिकों द्वारा उनको अपने कब्जे में रखने पर दण्ड दिये जाने के संबंध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट)	७७३
कम्युनिस्ट पार्टी के सत्याग्रहियों के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)..	७७४–७८१
कानपुर तथा बाराबंकी जिलों में राजकीय कर्मचारियों द्वारा डेवलपमेंट लोन के नाम पर जबरदस्ती धन वसूल किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (वक्तव्य के लिये स्वीकृत)	७८१
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं	७८१–७८२
राजकीय इन्टर कालेज, लखीमपुर के दो छात्रों द्वारा भूख हड़ताल किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	७८२–७८६
नियम ५२ के अन्तर्गत मंत्री के वक्तव्य की अग्रिम प्रति की मांग ..	७८६
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५४ (पुरःस्थापित किया गया)	७८६
१७ अगस्त, १९६४ को निलम्बन संबंधी प्रक्रिया के संबंध में उठाये गये प्रश्न पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	७८६–७९२
नियम ५२ एवम् कार्य-स्थगन प्रस्तावों पर हुए भाषणों की प्रति की मांग ..	७९२–७९३
नियम ११३ के अन्तर्गत प्रस्ताव	७९३–७९४
उत्तर प्रदेश बाढ़ संबंधी अत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचारोपरान्त पारित) ..	७९४–८१९
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९६०–६१ के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा (जारी)	८२०–८३३
उत्तर प्रदेश की सेवाओं में अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व संबंधी समिति के प्रति-वेदन पर चर्चा	८३३–८४४
लोक लेखा समिति में कार्य करने के लिये विधान परिषद के सदस्यों की सूचना..	८४४–८४५
नत्थियां	८४६–८६३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २७ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री

गुलाबसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री

बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवान दास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कंथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री

रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वंजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसपति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सरदारसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री

सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २७ अगस्त, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद

**१—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर) तथा श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि अंग्रेजी भाषा में बनाये गये अधिनियमों का हिंदी अनुवाद कराने के लिये सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो पूरी योजना क्या है तथा अनुवाद कब तक पूर्ण हो जायगा ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जी हां । अंग्रेजी भाषा में बनाये गये अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद करने के लिये भाषा विभाग के अनुभवी अनुवादकों को शीघ्र ही कार्य पर लगाया जा रहा है । कानूनी अनुवाद-कार्य काफी कठिन होता है अतएव निश्चित रूप से अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि यह अनुवाद कब तक पूर्ण हो जायगा ।

**२—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा तथा श्री शारदानन्द—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जो अधिनियम अंग्रेजी भाषा में बने हैं लगभग सभी १९५१ के पूर्व के हैं, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विधेयकों का हिन्दी अनुवाद अब तक न करवा पाने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अंग्रेजी के अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद कराने के संबंध में सन् १९५५-५६ में ही विचार किया गया था किन्तु उस समय प्रामाणिक कानूनी शब्दावली उपलब्ध न होने के कारण यह कार्य स्थगित करना पड़ा । उसके बाद जून, १९६१ में, अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी में कानूनी शब्दावली तैयार करने आदि के लिए राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा "राजभाषा (विधायी) आयोग" नामक विधि विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग नियुक्त

[श्री शांति प्रपन्न शर्मा]
किया गया। इस आयोग ने अभी तक कोई विधिक शब्दावली अंतिम रूप से प्रकाशित नहीं की है। राज्य सरकार इस शब्दावली की प्रतीक्षा करती रही है जिसके कारण इन अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद कार्य अब तक प्रारंभ नहीं किया गया। किन्तु हाल में ही राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि केंद्र के आयोग से विधिक शब्दावली प्राप्त होने की और अधिक प्रतीक्षा किये बिना ही अंग्रेजी के अधिनियमों का अनुवाद कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाय।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने इंडियन पेनल कोड व दूसरे अधिनियम जिनकी मूल भाषा अंग्रेजी है, जहां तक मुझे पता चला है, सन् १९४९ में ही उनके अनुवाद हिंदी भाषा में कराने में सफल हो गयी, तो फिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक उसके अधिनियम अंग्रेजी में हैं, उनका अनुवाद कराने में सफल नहीं हो सकी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जहां तक राजस्थान का संबंध है, इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपसे बतलाया कि एक बात यह थी कि शब्दावली हमारे पास नहीं थी, इसलिये उनका अनुवाद नहीं हो सका। अब उसके बिना भी हम अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१-६२ के बाद सभी विधेयक हिंदी में पेश किये जाते रहें हैं और पारित हुए हैं और उनके लिये शब्द उन्हें प्राप्त हो गये। तो अनुवाद के लिये शब्दावली मिलने में उन्हें क्यों अड़चन पड़ी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हिंदी केवल उत्तर प्रदेश की ही राजभाषा नहीं है, वह भारत सरकार और अन्य ४ राज्यों की भी भाषा है, और भारत सरकार ने क्योंकि यह निश्चय किया है कि इसके लिये हम एक आयोग बनायेंगे और वह आयोग बन भी गया है जो इस तरह की शब्दावली बनायेगा। अभी तक उनकी तरफ से कोई शब्दावली बन कर नहीं आ सकी है जिससे इसमें कठिनाई पड़ सकती है।

श्री शारदाभक्तसिंह--

मैंने यह प्रश्न किया है कि जितने नये विधेयक बनाये जाते हैं और पारित होते हैं उनके लिये जब हिंदी शब्दावली की कमी सरकार को नहीं है, तो पिछले अधिनियमों के अनुवाद करने के लिये शब्द मिलने में सरकार को क्या कठिनाई पड़ती है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

अब हमने निश्चय किया है कि आयोग से शब्दावली आने की बाट देखे बिना ही अनुवाद का कार्य प्रारंभ कर देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सदन ने सन् १९५१ में भाषा विधेयक पास किया था कि हम हिंदी में अपना काम करेंगे, तो माननीय मंत्री जी ने जो अपने उत्तर में कहा है कि सन १९५५ में सरकार ने उसको कार्यान्वित करने का विचार किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि ४ वर्ष तक सरकार ने उस दिशा में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की और उसका कारण क्या था ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि हिंदी केवल उत्तर प्रदेश की ही राजभाषा नहीं है बल्कि भारत सरकार व दूसरे हिंदी भाषी राज्यों की भी राजभाषा है। तो पहले यह ख्याल था कि भारत सरकार और दूसरे हिंदी भाषी राज्य सामूहिक रूप से मिलकर इस काम को करें, तो अच्छा है ताकि सब जगह एक तरह की शब्दावली ही इस्तेमाल में आवे और क्योंकि यह काम बहुत बड़ा है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कानूनी राय ले ली है कि जो विधेयक अंग्रेजी में तत्कालीन लेजिस्लेचर्स ने पास किये हैं वह केवल हिंदी अनुवाद करने से वैधानिक हो जायेंगे या उनको पुनः हिंदी के अनुवाद के साथ लेजिस्लेचर के सामने लाना पड़ेगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

अभी तो यह नहीं पूछा है लेकिन वह तो केवल अनुवाद ही कराने की बात है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

मंत्री जी ने चारो हिंदी राज्यों के साथ मिलकर योजना बनाने के लिये किन-किन कदमों में अभी तक भाग लिया है और इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

२६ जून, १९६४ को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें निश्चय हुआ कि इन विधेयकों का हिंदी अनुवाद किया जाय लेकिन उसका क्या रूप होगा, उसकी योजना अभी नहीं आई है लेकिन कितने ही बड़े-बड़े कानून हैं और उनका अलग-अलग हर स्टेट अनुवाद कराये, इसलिये यह सोचा गया है कि एक को एक स्टेट ले ले, दूसरे को दूसरी ले ले और तीसरे को तीसरी ले ले, इस तरह से होगा।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

क्या सरकार ने इसका अनुमान लगाया है कि अंग्रेजी के कानूनों का हिंदी में अनुवाद कराने में कितना खर्च और समय लगेगा ?

श्री अध्यक्ष---

अभी तो कोई प्रयत्न ही नहीं किया है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अनुवाद कब तक पूर्ण होगा यदि यह नहीं बताया जा सकता तो यह बता दें कि अंग्रेजी के ऐक्टों की संख्या कितनी है और कितने लोग अनुवाद के काम में लगाये गये हैं जिसका कि सरकार को अनुमान नहीं हो पा रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

१६९ अधिनियम हैं जिनमें कि २,३०४ पृष्ठ हैं, काफी बड़ा यह काम है, यह कहना कठिन है कि कितना समय लगेगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

कितने लोगों को लगाने की योजना है और क्या काम आरम्भ हो गया, यह नहीं बताया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

अभी काम आरंभ नहीं हुआ है और बहुत कठिन काम यह है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उनके पास कानूनी शब्दावली नहीं थी जिसकी वजह से अनुवाद में दिक्कत हुई तो अब तक जितने विधेयक या अधिनियम सदन में हिंदी में आये और पारित हुये, उनमें जो कानूनी शब्दावली का प्रयोग किया गया है वह गलत है और इसलिये पुराने अधिनियमों के अनुवाद में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, अगर वह सही है तो सन् ५० से उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो इन पुराने अधिनियमों में भी उसी शब्दावली का प्रयोग क्यों नहीं किया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

जब तक वह शब्दावली नहीं बनी .....(व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष---

जो प्रश्न हो रहे हैं और जो उत्तर हो रहे हैं उससे आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि वे सन्तोषजनक हैं या नहीं, वह अपने मुंह से....

कुंवर श्रीपालसिंह---

तो आप कहिये कि यह असन्तोषजनक हैं, तो हम सन्तुष्ट हो जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

नियम यह है कि मैं सरकार को मजबूर नहीं कर सकता कि जवाब अमुक तरह से दे, वह जो उत्तर दें, आप सुनें और सुनने के बाद आप अन्दाजा लगा सकते हैं लेकिन यह कहना कि जवाब ही नहीं हुआ या उत्तर सन्तोषजनक नहीं है, उचित नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

आपकी राय क्या है ?

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अनुवाद के काम के लिए कहां-कहां से विशेषज्ञ बुलाये गये हैं ? क्या अंग्रेज तो नहीं बुलाये गये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन ४ राज्यों का उन्होंने जिक्र किया है उन्होंने आपस में मिल कर कोई विधिक शब्दावली स्वीकृत कर ली है जिसके अनुसार अब अधिनियमों का अनुवाद होगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मैंने कहा कि विधि शब्दावली तो भारत सरकार एक आयोग द्वारा तैयार करा रही है । लेकिन क्योंकि उसको करने में थोड़ी देर है इसलिए केन्द्रीय गृह मन्त्री की अध्यक्षता में चारों राज्य सरकारों की एक कमेटी हुई और इस काम को जल्दी करने का विचार हुआ । उसकी क्या रूप रेखा होगी, डिटेल्स क्या हैं, वह अभी निश्चय नहीं हुये ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

श्रीमन्, जो विधेयक आ रहे हैं इनमें आधे शब्द इस किस्म के हैं कि जिनको हम हिन्दी पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो विधेयक

या अधिनियम हिन्दी में अनुवादित होंगे, उनमें इस तरह की कठिन हिन्दी तो नहीं होगी, जो इस समय आ रही है, अन्यथा अंग्रेजी में जल्दी समझने के बजाय उसको हिन्दी में इतना कठिन बना दें ताकि हम लोग समझ ही न पायें ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

संविधान की धारा ३४८(१) के अन्तर्गत पार्लियामेंट को ही राइट है कि वह हिन्दी के बारे में कोई कानून बना सके और उसकी शब्दावली के अनुवाद के बारे में कानून बना सके। तो क्या राज्य सरकार इस बारे में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देगी कि वह ऐसा कानून बनावे जिससे हिन्दी में अनुवाद हो सके और सुविधा मिल सके हमको ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जितना मुझे मालूम है केन्द्रीय सरकार ने एक कानून पास किया है जिससे जो कानून अंग्रेजी से हिन्दी में ट्रांस्लेट हुये हैं उनको अथोराइज किया गया है। और उसी कानून के मातहत दूसरे कानून जब ट्रांस्लेट होंगे वह भी अथोराइज्ड वर्जन माना जायगा।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को मालूम है कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो आई० पी० सी० का अनुवाद हिन्दी में हुआ था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो हिन्दी में अनुवाद करने का इरादा है वह क्लिष्ट हिन्दी में होगा या हिन्दुस्तानी भाषा का प्रयोग होगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

कुंवर श्रीपालसिंह—

मन्त्री जी बतायेंगे कि जनभावना को देखते हुये जल्दी से इन पुराने अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद हो सके इसलिए कांटिजेंसी फन्ड से रुपया देकर तत्काल ही उनका अनुवाद कराने का प्रयास होगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कह दिया कि हम उसका अनुवाद कराने जा रहे हैं।

गोंडा तथा अन्य जिलों में राशन कार्ड देने का आधार

**३—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा) तथा श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार ने या जिलाधीश गोंडा ने हाल में प्रत्येक विकास क्षेत्र अधिकारी, जिला गोंडा को आदेश दिया है कि २ हजार परिवारों के लिए ही राशन कार्ड बनायें जब कि प्रत्येक विकास क्षेत्र में लगभग १० हजार भूमिहीन, मजदूर पेशा वाले रहते हैं ? यदि हां, तो शेष लोगों के लिए क्या योजना है ?

खाद्य मन्त्री के सभासचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

सरकार ने ४ अगस्त, १९६४ को एक आदेश समस्त जिलाधीशों को दिया है जिसके अनुसार समस्त जिलों के देहाती क्षेत्रों में (पहाड़ी क्षेत्रों के अतिरिक्त) परिचय पत्र पर प्रति यूनिट प्रति मास ६ किलोग्राम गल्ला निर्धन जनों को देने की व्यवस्था की गयी है। खाद्यान्नों

की मात्रा सीमित होने से सीमित जन संख्या को ही गल्ला दिया जा सकता है। शेष जन संख्या को उस गल्ले से जो उनके पास मौजूद है अथवा नयी फसल से उपलब्ध होगा, काम चलाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त खुले बाजार से भी गल्ला प्राप्त हो सकता है जिस पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

उत्तर साफ नहीं आया है। यह तो पता है कि परिचय पत्र बनाये जा रहे हैं लेकिन क्या वह सीमित कर दिये गये हैं, २,००० तक, या हर ब्लाक में जितने भूमिहीन और मजदूर हैं उन सबका परिचय पत्र बनेगा, क्या मन्त्री जी इस बारे में बतायेंगे ?

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

यह जो जिला खाद्य समिति और जिलाधीश ही तय करेंगे।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि परिचय-पत्र कब तक तैयार हो जायेंगे ? २३ दिन हो गये अभी तक नहीं बन सके, तो कितना समय और लगेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आदेश तो यह हैं कि शीघ्रातिशीघ्र कर दें।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि केवल भूमिहीनों और पेशा वालों के राशन कार्ड बनाये जायें या वहां की कमेटी पर छोड़ दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो निर्धन जनों के लिए है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी-कितनी दूकानें खोलने के लिए आदेश दिये गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

शहरी क्षेत्रों में ४ हजार और देहाती क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार वहां की खाद्य समिति को आदेश दिये गये हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला समिति ने कोई सुझाव सरकार के पास भेजा है कि २ १/२ सौ से ज्यादा आमदनी वालों को सरकारी दूकानों से राशन न दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

फिलहाल जब कि कीमतें बढ़ रही हैं ऐसा करने से कीमतों के और बढ़ने का डर है। इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसे कि उन्होंने उत्तर में कहा है कि देहाती क्षेत्रों के लिए आदेश दे दिये गये हैं तो जैसा पिछली बार बाढ़ के समय आदेश दिये गये थे तो इस बार आदेश क्यों नहीं दिये गये ? इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

विशेष आदेश हर जगह खाद्य समितियों और जिलाधीशों को दे दिये गये हैं कि अगर कहीं पर ज्यादा भुखमरी हो या बाढ़ की वजह से हो तो वहां पर और ज्यादा दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी, क्या भुखमरी कहीं पर है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी-

भुखमरी का मेरा मतलब स्केरसिटी से है ।

श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी बाढ़ क्षेत्रों के साथ-साथ गोंडा जिले में तराई इलाके में जहां भुखमरी से बीसों लोग मर चुके हैं, वहां पर कोई विशेष प्रबन्ध करने जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं कि जिला अधिकारियों को और खाद्य समिति को पूर्ण अधिकार हैं कि जिस इलाके में ज्यादा आवश्यकता समझें उसमें ज्यादा दें।

श्री रामनारायण मिश्र (जिला कानपुर) —

अभी उन्होंने कहा कि भूमिहीनों और निर्धन लोगों के लिए यह राशन कार्ड बनेंगे, तो क्या माननीय मन्त्री जी सदन को बतायेंगे कि इस प्रदेश में जितने देहात के अन्दर लोग हैं उन व्यक्तियों को जो भूमिहीन और निर्धन हैं उन लोगों के राशन कार्ड बन गये हैं ?

यदि नहीं, तो कब तक बन जायेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने तो भूमिहीन शब्द नहीं कहा, मैंने तो निर्धनजन कहा है । वहां की जिला समिति को आदेश हैं कि वे वहां के कार्ड बनवावें और वे बन रहे हैं।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में एक प्रस्ताव सप्लाई अफसर की तरफ से आया है कि १० तारीख के बाद कार्ड मिल जायेंगे परन्तु कार्ड नहीं मिले हैं ? इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो खाद्य समिति का काम है। उससे पूछ लेते हैं कि ये क्यों नहीं बने हैं।

श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के ब्लाक में बहुत से ऐसे गरीब हैं, जो कि बिल्कुल निर्धन हैं और खाने बगैर भूख से मर रहे हैं और सस्ते गल्ले की दूकानें होने पर भी लोग आते हैं, लेकिन उनको गल्ला नहीं मिलता है ? उनकी परेशानी दूर करने के लिए क्या सरकार कोई आदेश देगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

खाद्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन को मालूम है कि हजारों आदमी गांव छोड़ कर शहरों को केवल इसलिए आ रहे हैं कि गांवों में अनाज किसी कीमत पर भी नहीं मिलता है ? ऐसी सूरत में वह क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे वहां के लोगों को अच्छी तरह से अनाज मिल सके ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न सुन लिया जाये, प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने या जिलाधीश, गोंडा, ने हाल ही में प्रत्येक क्षेत्र विकास अधिकारी, गोंडा, को आदेश दिये हैं कि वह दो हजार व्यक्तियों के ही कार्ड बनायें, जब कि प्रत्येक विकास क्षेत्र में १० हजार के लगभग भूमिहीन मजदूर पेशे वाले लोग रहते हैं । अब इस प्रश्न में सारे सूबे की खाद्य-स्थिति को शामिल कर लेना, तो बड़ा मुश्किल है ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राशन कार्ड बनाने का आधार क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जो गरीब हैं, जिनके पास गल्ला नहीं है ।

श्री बांकेलाल---

क्या माननीय मन्त्री जी यह स्पष्टतया बताने की कृपा करेंगे कि राशन कार्ड बनाने का क्या आधार है, किन-किन लोगों के लिए आप राशन कार्ड बनाने के लिए आदेश देते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

आदेश गरीब जनों के कार्ड बनाने के हैं, वह बनते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

गरीब की आप व्याख्या कर दें ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जिनके पास अनाज नहीं है, उनको हम गरीब समझते हैं । जिनके पास न तो अनाज ही है और न पैसा ही है ।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील---

क्या माननीय खाद्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक हमारे गोंडा जिले में कोई दूकान नहीं खोला गयी है, उनके लिए कोई प्रबन्ध करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैंने अर्ज कर दिया कि दूकान खोलने के काम की सारी जिम्मेदारी उन पर (खाद्य समिति) हमने छोड़ रक्खी है ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

क्या खाद्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में शहर के ही सब लोगों को राशन कार्ड की सुविधा दी गयी है ? तो यह शहर और देहात के बीच भेद-भाव यह सरकार क्यों बरत रही है और निर्धनों की क्या परिभाषा है ? क्या इस आधार पर यहां से कोई आदेश गये हैं या यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रीशन पर छोड़ दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

देहातों से शहर में खाना आता है, इसलिए शहर और देहात में भेद-भाव करना ही पड़ेगा

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

मैं सरकार से यह स्पष्टतया जानना चाहती हूं कि क्यों नहीं सरकार एक निश्चित लिमिट बांध देती है कि जिनकी जितनी खेती है, उसके अनुसार ही उनके कार्ड बनाये जायेंगे? क्या मन्त्री जी इस बात से अवगत नहीं हैं कि देहात में जो बड़े किसान हैं, वह राशन की दूकानों से राशन लाते हैं और उसको अपने नौकरों और जानवरों को खिलाते हैं ? इसलिए जब से अनाज की कमी हुई है, उसको देखते हुये सरकार लिमिट निश्चित कर दे ? मैं इन वेग आसरों से सन्तुष्ट नहीं हूं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हमारी पालिसी तो बिलकुल निश्चित है। जो भूमिहीन हैं, किन्तु उनके पास गल्ला है तो कैसे हम जानें और उनको बांधें। इसलिए हमने बुद्धि विवेक पर छोड़ दिया है, जो निर्धन हैं उनको दें।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

क्या खाद्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आदेश दिये गये हैं कि दो हजार परिवारों के लिए ही राशन कार्ड बनाये जायें, जब कि प्रत्येक विकास खण्ड में लगभग १० हजार भूमिहीन रहते हैं, तो यह किस कमेटी द्वारा तय किया गया है या आपने खुद यह पैमाना तय किया है कि कि प्रत्येक क्षेत्र में २ हजार भूमिहीन होंगे और उनके लिए राशन कार्ड बनाये जायें, जब कि वहां के लोग यह कह रहे हैंकि १० हजार भूमिहीन उस क्षेत्र के अन्तर्गत रहते हैं तो यह पैमाना किस आधार पर बनाया गया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

श्रीमन्, यह जिस जिले के देहातो क्षेत्र के लिए निश्चित है उसके आधार पर जितने आदमी आते हैं उनमें से अपेक्षा कृत गरीब आदमी ढूंढ लें।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील--

श्रीमन्, गोंडा में खाद्य स्थित गम्भीर है तो वहां ६ किलो के बजाय और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

श्रीमन्, अगर गल्ला ज्यादा हो तो हम सबको खिलाने के इच्छुक हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, मन्त्री जी ने निर्धन की व्याख्या करते हुये कहा कि जिसके पास पैसा नहीं है या अन्न नहीं है उनका राशन कार्ड बनाया जायगा तो मैं यह कहता हूं कि उनको गल्ला कैसे प्राप्त होगा? मुफ्त देंगे या और कोई व्यवस्था देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

अब समझ लें कि जिसके पास पैसा नहीं है के मतलब हैं एक्स्ट्रामनी नहीं है।

बंजरहा बुजुर्ग में कथित भुखमरी

**४--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती. तहसील बांसी के बंजरहा बुजुर्ग में सुरजू हरिजन की पतोह अन्न न मिलने से मर गयी और हिरई हरिजन के १० परिवार अन्न बिना मरणासन्न हैं ? इसे देखते हुये क्या सरकार उक्त क्षेत्र को अकाल ग्रस्त घोषित करके सस्ते गल्ले का प्रबन्ध करेगी?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

जी नहीं, तथापि बंजरहा बुजुर्ग गांव में सस्ते गल्ले की दूकान चल रही है।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय---

क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि लोगों को पैसा देकर गलत बयान ले लिये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी नहीं, ऐसी बात नहीं है बल्कि यह रिपोर्ट आई है कि उसके पास ८ बीघा जमीन है और वह नानबीच जगदीशप्रसाद जी के फार्म पर काम करता है तो भूखा कैसे मरेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सूबे में अन्न की कमी के कारण ग्राम रिकवार्डो। तहसील मुहम्मदाबाद। जिला आजमगढ़ में हरिजन की लड़की भूख से मरी है ? तो क्या इस तरह की खबरें और भी जगहों से उनको प्राप्त हुई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जितनी खबरें आती हैं, उनकी जांच होती है। अभी तक पता नहीं चला कि कोई भूख से मरा हो।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस गांव में भुखमरी है वहां बेकार खेतिहर मजदूरों को काम देने की व्यवस्था की गयी है जिससे वे सस्ते गल्ले की दूकान से राशन ले सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

प्रेवूड्स रिलीफ कमेटी की तरफ से मुफ्त आटा बांटा गया था।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार ने ऐसे आदेश भेजे हैं कि भुखमरी की खबरों को छिपाया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय---

क्या मन्त्री जी जांच करायेंगे कि इस एरिया में और कई लोग भूख से मर रहे हैं और राशन भी एक बार देकर रोक दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

वहां पर मैन पावर रुटिलाइजेशन स्कीम हो रही है और प्रेवूड्स रिलीफ भी दी जा रही है।

श्री नेकराम शर्मा---

क्या यह सही है कि गरीबों में से केवल ४ प्रतिशत लोगों को ही राशन कार्ड दिये गये हैं जिससे भुखमरी है ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो मानते ही नहीं हैं कि भुखमरी है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमने जांच करायी, लेकिन हमें कहीं नहीं मालूम हुई।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने भुखमरी की जांच किस एजेंसी से करायी और क्या उसकी प्रति सदन की मेज पर रक्खेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तहसीलदार, बी० डी० ओ० और गांव के प्रमुख आदि सबकी रिपोर्ट है और इनके पास ८ बीघे जमीन भी थी।

५ मार्च, १९६४ के तरांकित प्रश्न १२ के उत्तर का शोधन

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, दिनांक ५ मार्च, १९६४ को माननीय दीपनारायण सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२ का संशोधित उत्तर इस प्रकार है—"२ जनवरी, १९६४ को मिला है थाना किशुनपुर को अपनी जगह से नहीं हटाया जा रहा है।"

(मूल प्रश्न १२ और उसका उत्तर निम्न है—)

मूल प्रश्न	मूल उत्तर
*१२—क्या पुलिस मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि थाना किशुनपुर (फतेहपुर) के अपनी जगह से न हटाये जाने के सम्बन्ध में किशुनपुर टाउन एरिया के सम्मानित नागरिक श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल के द्वारा जनवरी, १९६३ में भेजी गयी कोई लिखित प्रार्थना जिसमें प्रश्नकर्ता की भी सिफारिश लिखी है, उन्हें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या किया ?	जी नहीं।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

इटावा जिले में अपराध

*१—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत थानावार १ जनवरी, सन् १९६२ से ५ मई, सन् १९६४ ई० तक कितनी सशस्त्र डकैतियां, कत्ल, राहजनी, लूटमार, चोरियां और फौजदारियां हुई हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८४६ पर।)

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

क्या मन्त्री जी इसको देखते हुए कि जिन थानों के अन्तर्गत अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है वहां पुलिस कांस्टेबिलों की संख्या के बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

जितना सम्भव हो सकता है अपने बजट को देखते हुए उतना किया जा रहा है।

कोतवाली इटावा में श्री रमेशचन्द्र गुप्ता द्वारा रिपोर्ट

*२---श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)---

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा कोतवाली में दिनांक ११ मार्च, १९६४ को प्रातः ५-४५ पर श्री रमेशचन्द्र गुप्ता मार्फत श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता दबगरान रोड, इटावा द्वारा राहजनी हो जाने की (आई० पी० सी० ३९२ के अन्तर्गत) रपट हाथ से लिखकर दी गई परन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई ? अगर नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय---

श्री रमेशचन्द्र गुप्ता द्वारा एक रिपोर्ट ११-३-६४ को ६-४५ बजे सबेरे कोतवाली, इटावा में दर्ज कराई गई थी। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*३---श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री द्विजेन्द्रनारायण---

क्या यह सही है कि उपरोक्त रपट देने वाले व्यक्ति को S.O. II (अफसर दोयम)-श्री त्यागी द्वारा तथा अन्य दो कांस्टेबिलों के साथ सदर अस्पताल इटावा में डाक्टरी होने के लिए ले जाया गया परन्तु डाक्टरी नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय---

श्री रमेशचन्द्र गुप्ता को डाक्टरी के लिए नहीं ले जाया गया अतः डाक्टरी कराने का प्रश्न नहीं उठता।

*४---श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री द्विजेन्द्रनारायण---

क्या यह सत्य है कि S.O. II द्वारा अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र गुप्ता द्वारा एस० पी०, इटावा को उचित जांच करने के लिये दिनांक ११ मार्च, १९६४ तथा माननीय गृह मन्त्री को ३१ मार्च, १९६४ को कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया है ? यदि दिया गया है, तो १० अप्रैल, १९६४ तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय---

श्री रमेशचन्द्र गुप्ता का ११-३-६४ का इस आशय का कोई पत्र पुलिस अधीक्षक इटावा को प्राप्त नहीं हुआ। ३१-३-६४ का पत्र गृह मन्त्री जी को अवश्य प्राप्त हुआ था जिस पर पुलिस अधीक्षक, इटावा से रिपोर्ट मांगी गई।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

जिला पुलिस अधीक्षक ने क्या रिपोर्ट भेजी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

रिपोर्ट यह थी कि उनका दिमाग खराब हो गया है और कुछ अश्लील बातें भी उसमें हैं जिन्हें मैं बताना नहीं चाहता।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

मैं यह जानना चाहता हूं कि शिकायत करने वालों की क्या शिकायत बिला वजह होती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जो रिपोर्ट थाने में लिखाई गई है वह यही थी कि वह इतने दिनों से पागल हो गये हैं। यह उनके सगे भाई की ही रिपोर्ट है।

श्री बांकेलाल---

उनको क्या किसी डाक्टरी सर्टिफिक्रेट के आधार पर पागल करार दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो कहते हैं कि उनके भाई की यह रिपोर्ट है।

श्री बांकेलाल---

माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई से दुश्मनी भी तो हो सकती है और वह गलत रिपोर्ट लिखा सकता है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

मेरी सूचना है, श्रीमन्, कि उनका दिमाग बिलकुल दुरुस्त है और भाई से उनकी दुश्मनी है और साथ ही साथ भाई के ऊपर पुलिस के तरह-तरह के दबाव पड़े हैं। तो क्या मन्त्री जी इसकी पूर्ण रूप से दोबारा जांच करायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

मैं तो अपनी जगह पर इसे उचित नहीं समझता और अगर उनको यह बात गलत मालूम होती हो तो वे अदालत के सामने इस्तगासा भी दायर कर सकते हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या मन्त्री जी के विभाग से अगर किसी को शिकायत हो और उनको पत्र लिखा जाय या प्रश्न किए जायं तो उसके लिये वे यही उचित समझते हैं कि लोग अपने मामलात अदालतों में दायर करते रहें और वे दोषी के विरुद्ध कार्यवाही न करें ?

श्री अध्यक्ष---

यह बात नहीं है। उनका कहना है कि यह बात गलत है। अगर वह समझते हैं कि उनका दिमाग बिलकुल ठीक है और उनका भाई वह बात गलत कह रहा है तो उसके लिये ओपेन है कि वह कानूनी कार्यवाही करें।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या मन्त्री जी दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति से इस मामले में जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

उसके लिये वे कहते हैं कि वे जरूरत नहीं समझते।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

अध्यक्ष जी, दोनों ओर से प्रतिवाद है, जिन्हें तकलीफ है वह कहते हैं कि दिमाग ठीक है और वे कहते हैं कि दिमाग खराब है तो क्या मन्त्री जी सिविल सर्जन से उसके दिमाग की जांच करवायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमने उसे पकड़ा होता तो हम देखते कि वह पागल है या नहीं लेकिन अब जो बात मैं नहीं बताना चाहता था वह बताता हूं। वहां रासलीला हो रही थी और वे बार-बार उसी के अन्दर चले जाते थे जहां उन्होंने कुछ इनामात भी दिए। वे उनके ड्रेसिंग रूम में भी चले गये। उसके भाई आये और उन्होंने कहा कि वह कल से ही घर से गायब है और दिमाग ठीक नहीं है। पुलिस वालों ने कहा कि जब तुम कहते हो तो तुम यह लिखकर दे दो और उन्होंने पुलिस वालों को यह लिखकर दे दिया और, इसलिए उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी।

*५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[६ठे बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

[२७ अगस्त, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

शीत लहर से गन्ने को हानि

*१—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

क्या यह सच है कि केन कमिश्नर उत्तर प्रदेश ने १० फरवरी, १९६४ को एक बयान दिया है कि जो ११ फरवरी, १९६४ के हिन्दुस्तान टाइम्स में भी छपा है कि गत शीत लहर और पाले से सारे प्रदेश में गन्ने को अधिक हानि पहुंची है? यदि हां, तो सरकार ने किसानों को हानि से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की?

समाजकल्याण मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

जी हां, किसानों को हानि से बचाने के लिए पाले से ग्रस्त गन्ने की पेराई के लिए मिलों को शीघ्र भेजने की व्यवस्था की गई थी तथा गन्ना बोने के समय स्वस्थ गन्ने के बीज का वितरण बड़े पैमाने पर किया गया था।

*२—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या सरकार प्रदेश में गन्ने को जो अधिक हानि गत शीत लहर और पाले के कारण पहुंची है उसका हर जिले का ब्योरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी?

डाक्टर सीताराम—

ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८४७ पर।)

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके केन कमिश्नर ने यह बयान दिया कि सारे प्रदेश में शीत लहर से गन्ने को सख्त नुकसान पहुंचा, उसके २, ३ दिन बाद माननीय हुकुम सिंह जी ने जो ब्योरा सदन की मेज पर रखा उसमें गन्ना भी शामिल था जिसके अन्दर केवल ४ जिलों में गन्ने का नुकसान दिखाया और अब माननीय मन्त्री जी ने एक ब्योरा रखा है जिसमें २१ जिलों में नुकसान दिखाया है तो माननीय मन्त्री जी का ब्योरा सही है या हुकुम सिंह जी का सही है या उनके गन्ना आयुक्त की बात सही है?

डाक्टर सीताराम—

उस वक्त की सूचना तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त जो सूचना आई है उसके अनुसार २१ जिलों में नुकसान हुआ है। जहां तक इन २१ जिलों का प्रश्न है इनमें १५ से २१ जिलों में

·१ से ·५ प्रतिशत का नुकसान हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इनमें इनसिग्निफिकेन्ट डैमेज है लेकिन एक से लेकर १४ जिलों में सिगनिफिकेन्ट डैमेज हुआ है।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि कथित बयान में केन कमिश्नर ने यह भी कहा था कि बीज की वृष्टि से गन्ना अधिक खराब हो गया है ? यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष योजना से अतिरिक्त बीज उन्होंने कितना भेजने की व्यवस्था की है ?

डाक्टर सीताराम—

१९६३-६४ में ३.५८ लाख मैट्रिक टन भेजने की व्यवस्था की गई है जब कि १९६२-६३ में १.८९ लाख मैट्रिक टन बीज वितरित किया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि करीब-करीब उसका डबल बीज वितरण करने की इस साल व्यवस्था की गई है।

श्री नरसिंहनाराबण पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शीत लहर से विभिन्न जिलों में नुकसान होने की वजह से जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसमें कितनी कमी हुई है ?

डाक्टर सीताराम—

लक्ष्य में कमी नहीं हुई है बल्कि लक्ष्य से १२ फीसदी की और वृद्धि हुई है।

श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

केन कमिश्नर का बयान ११ फरवरी, १९६४ को जो हुआ वह किसी सरकारी सूचना के आधार पर ही बयान हुआ होगा उसको आधार मानकर किसानों का जितना गन्ने का नुकसान हुआ उसमें उनको सरकार ने सहायता देने की कोशिश की ?

डाक्टर सीताराम—

पिछले साल केन सबसिडी २ आना फी मन दी गई थी और इस साल ४ आना फी मन सबसिडी दी गई।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो बीज गन्ने का दिया गया क्या वह केवल मिलों के सुरक्षित क्षेत्र को दिया गया या गन्ने के क्षेत्र में भी बीज का वितरण किया गया ?

डाक्टर सीताराम—

सिर्फ रिजर्व्ड एरिया में केन सीड दिया गया।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि प्रदेश में गन्ने के अन्दर ऐसा रोग फैल गया है कि जो पैदा होता है वह सूख जाता है ? उसको देखते हुए नये प्रकार के बीज का प्रचार कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

यह वेराइटी पर डिपेंड करता है। सब किस्में गन्ने की नहीं सूख जातीं।

*३-४—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[हटा दिये गये।]

कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर के अधिकारी

*५—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, बाजपुर के डिप्टी जनरल मैनेजर (डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर आन डेपुटेशन) तथा गन्ना सोसाइटी, बाजपुर, जिला नैनीताल के वर्तमान अवैतनिक मन्त्री गन्ना विभाग के अन्तर्गत एक ही जिले में एक ही अवधि में रह चुके हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां।

इलाहाबाद जिले में बर्तन निर्माण तथा ढलाई उद्योग सहकारी समितियां

*६—श्री नाथूराम शिक्षक—

इलाहाबाद जिले में बर्तन निर्माण तथा ढलाई उद्योग सम्बन्धी जो सहकारी समितियां चल रही हैं उनके सम्बन्ध में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त समितियों की क्या संख्या है (नाम सहित) तथा उनकी कार्य-पूंजी क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इलाहाबाद जिले में चलने वाली बर्तन निर्माण तथा ढलाई उद्योग सम्बन्धी सहकारी समितियों की संख्या ५ है। उनके नाम तथा कार्य-पूंजी निम्नलिखित है :

नाम	कार्य-पूंजी रु० पै०
१—बर्तन उद्योग सहकारी समिति लि०, सराय आकिल, इलाहाबाद	२०,०४०·००
२—बर्तन निर्माण उद्योग सहकारी समिति लि०, शमसाबाद, इलाहाबाद	१८,३६७·७५
३—ढलाई वास्तु उद्योग, गरीबान टोला, इलाहाबाद . .	२,०२०·००
४—बर्तन उद्योग सहकारी समिति लि०, ठठेरी बाजार, इलाहाबाद	११,४५५·००
५—लौह वास्तु उद्योग सहकारी समिति लि०, २३८, बहादुरगंज, इलाहाबाद	३,५००·००

*७—श्री नाथूराम शिक्षक—

वित्तीय वर्ष १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में उनको सरकार द्वारा उक्त उद्योग के लिए कितना-कितना तथा क्या-क्या कच्चा माल दिया गया और उससे उक्त संस्थाओं ने क्या-क्या सामान तैयार किया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उपर्युक्त सहकारी समितियों को वित्तीय वर्ष १९६२-६३ व १९६३-६४ में जो कच्चा माल (तांबा, जस्ता तथा कोयला) दिया गया उससे जो सामान (घरेलू बर्तन) तैयार किया गया उनका विवरण संलग्न चार्ट में दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८४८ पर।)

श्री नाथूराम शिक्षक---

मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो सराय आकिल में २० हजार की सम्पत्ति उस सोसाइटी में बताई गयी है उसमें सरकार की ओर से कितना ऋण दिया गया और उसके सदस्यों की संख्या क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसकी सूचना चाहिए, डिटेल मेरे पास नहीं हैं।

श्री नाथूराम शिक्षक---

मेरी सूचना यह है कि सदस्य संख्या ७० है, तो क्या सरकार इनको कच्चा माल इतनी मात्रा में सप्लाई करेगी जिससे सबको काम मिल सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

अभी तक तो रां मैटेरियल की कमी रही। सोसाइटी अच्छी तरह से काम कर रही है, यह मुझे सूचना है। वह अगर दरख्वास्त देंगे और उपलब्ध होगा तो उस पर विचार कर लेंगे।

श्री नाथूराम शिक्षक---

निर्माण उद्योग सहकारी समिति, शमसाबाद को १९६३-६४ में कुछ नहीं दिया गया, केवल ५ गाड़ी कोयला दे दिया गया, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लिमिटेड समितियों को बनाने के बाद सामान न देने से क्या लोगों में उदासीनता नहीं पैदा होती ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जो सहकारी समिति है, जांच करने पर पता चला कि इनका माल गड़बड़ है, काम ठीक नहीं है, इसलिए इनका कोटा रोक दिया गया।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय उद्योग मन्त्री मुझसे यह सूचना गृहण करके कि उद्योग विभाग का जो दफ्तर कानपुर में है वह सभी बर्तन उद्योगों को जो १९५८-५९ के बाद नए खुले हैं कोई कच्चा माल नहीं देता है, इसकी जानकारी करा कर इस प्रतिबन्ध को हटवा लेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

हमारे सामने बहुत ज्यादा मुश्किल यह है कि कच्च माल का पूरा कोटा मिलता नहीं है। उत्तर प्रदेश को जो जरूरत है उसके अनुपात में हमें १५ से २५ परसेंट सिर्फ कोटा मिलता है।

अभी हाल ही में जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज बोर्ड की मीटिंग हुई थी जिसमें मैंने तथा और भी स्टेट के लोगों ने यह मांग रखी थी कि कोटा ज्यादा मिलना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने यह कानून बनाया है कि जो पहले से ही उद्योग चला रहे हैं उन्हीं को कोटा देंगे, नये वालों को नहीं। इससे बड़ी परेशानी होती है क्योंकि जो हिस्सा पिछड़ा हुआ है वह पिछड़ा ही रहेगा। उसका ओवरआल शार्टेज है जरूर, मगर उनको यह करना चाहिए कि एक परसेन्टेज रख दिया जाय कि इतना नई इन्डस्ट्रीज को देंगे इतना पुरानी को। यह सब सुझाव हमने रखे हैं। अगर नयी को नहीं देंगे तो और एरिया डेवलप कैसे होंगे। इस पर उन्होंने विचार करने के लिये कहा है और जब उनका फैसला हो जायगा तो हम ज्यादा कच्चा माल दे पायेंगे।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

यह देखते हुए कि कम्बेमास का शार्टेज है, अपने यहां से अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करके प्रार्थना-पत्र भेजा जाता है जबकि दूसरी स्टेट्स अपनी आवश्यकता से अधिक की मांग करती हैं। तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि उत्तर प्रदेश की जितनी मांग है उतनी ही मांग के लिए हम केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मैंने तो निवेदन किया अपनी मांग के लिए जितना झगड़ा हो सकता था और जितनी मजबूती के साथ अपने केस को रखा जा सकता था मैंने रखा और बार-बार कहने से इतना तो असर हुआ है कि कोटा बढ़ा है।

*८-१०---श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

[२८ अगस्त, १९६४ के लिए प्रश्न संख्या ५-७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

फिरोजाबाद स्टेशन पर पंडित नेहरू की अस्थियों के दर्शनार्थियों में चार की मृत्यु

*११---श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ७ जून, १९६४ को फीरोजाबाद, जिला आगरा रेलवे स्टेशन पर पं० नेहरू की अस्थियों के दर्शनार्थ आने वाली जनता में से ४ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो उसके कारण क्या थे ?

*१२---क्या इस दुर्घटना की किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी हां। तीन व्यक्ति स्टेशन पर ही मर गये और एक व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस मामले में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है। जांच समाप्त हो जाने के पश्चात् मृत्यु का कारण ज्ञात हो सकेगा।

*१३---श्री बन्नवलीसिंह---

[हटा दिया गया।]

हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मिसिरपुर के हिसाब-किताब की जांच

*१४---श्री उमाशंकर---

क्या मुख्य मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के हैंड लूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मिसिरपुर-पोस्ट महाराजगंज के अनेक सदस्यों ने सोसाइटी के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच करने के लिये अधिकारियों तथा सरकार के यहां प्रार्थना-पत्र पिछले दो वर्षों में दिया है ? यदि हां, तो तो सरकार ने उसमें अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

(क) जी हां।

(ख) सोसाइटी के मामलों की जांच सी० आई० डी० कर रही है और सोसाइटी की सहायता देना रोक दिया गया है।

*१५—श्री उमाशंकर—

क्या यह सही है कि उक्त सोसाइटी के हिसाब-किताब की जांच हाल में ही में विभाग के लेखा-परीक्षक द्वारा की गई है और उसमें कुछ गम्भीर अनियमितता पाई गई है ? यदि हां, तो क्या लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

(क) जी हां।

(ख) जनहित को ध्यान में रखते हुए कथित आडिट रिपोर्ट को सदन के समक्ष अभी रखना उचित नहीं है।

श्री उमाशंकर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दो वर्षों में कितनी दरख्वास्तें आयी हैं और किन-किन मामलों में सी० आई० डी० जांच कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कितनी दरख्वास्तें आईं, इसकी सूचना नहीं है। दो-तीन आयी थीं उन पर असिस्टेंट डाइरेक्टर, हेंडलूम, मऊ ने आडिट कराने के आदेश दिये। इसी बीच वहां के जिला अधिकारियों ने मामले को सी० आई० डी० को दे दिया और वह सब कागजात ले गयी।

श्री उमाशंकर—

उन लोगों की मांगें क्या थीं ? और जांच में कितना समय लगेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमारे डाइरेक्टर ने तो इसका आडिट ही कराया था। उसमें काफी अनियमितायें पायी गयीं। इसके पहले कि हम उसको देख कर कोई एक्शन लेते, कागजातों को सी० आई० डी० ले गयी। वह कुछ दूसरी जांच कर रहे हैं। उसमें कितना समय लगेगा इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आडिट में कौन-कौन से गम्भीर आरोप पाये गये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उनका बताना अभी जनहित में नहीं होगा।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

प्रश्नकर्ता के प्रश्न के बाद सी० आई० डी० को जांच दी गयी या पहले ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आज भी मैंने इसका पता लगाने की कोशिश की मगर कुछ पता नहीं चल सका। हमारे पास कागज हैं नहीं। इसलिये अभी कुछ उसकी जानकारी नहीं है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि असिस्टेंट डाइरेक्टर ने उसकी जांच की और उसमें अनियमितायें पाईं। इसके बाद भी उसम आगे जांच न करने के क्या कारण हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

मैं तो एक एक बात बार बार कह चुका हूं कि हमारे असिस्टेंट डाइरेक्टर ने आडिट रिपोर्ट कराई। उसका एक ही कायदा है कि सोसाइटी से अब कहा जाय कि वह कम्प्लायन्स करे। जवाब तो इसका पहले हमारे पास आ गया है। उसके कागजात सी० आई० डी० के पास जांच के लिये चले गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सोसाइटी को सहायता सरकार द्वारा सालाना दी जाती थी और इसके कौन-कौन से अधिकारी थे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

सहायता की सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन इसके जो सभापति थे, वे अली अहमद साहब थे।

श्री उमाशंकर---

आडिट रिपोर्ट जो माननीय मंत्री जी के पास है वह केवल एक साल की है और सदन का मांग है कि पूरे १० साल की रिपोर्ट की जांच कराई जाय। क्योंकि यह भी सुना गया है कि ५ हजार की रिबेट का पैसा केवल १ साल में खा लिया है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसको आगे और जांच करायेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

यह १९६२-६३ की जो रिपोर्ट हमारे पास है, काफी बड़ी है और उसमें काफी सीरियस बातें हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह प्रश्न से पूछा गया था और उसका जवाब आ गया है। किन्तु कागजात उठा लिये गये हैं और जो कि सी० आई० डी० के पास हैं। जब वह कागजात लौट आयंगे तो फिर और भी उसको आडिट करवा लिया जावेगा।

श्री उमाशंकर---

मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ बोर्ड्स कोआपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों ने पूरे १० साल की जांच करने की प्रार्थना की है। तो क्या माननीय मंत्री जी...

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी यह कह रहे हैं कि एक साल की जांच कराई है। और कहेंगे तो और करा ली जायेगी।

जौनपुर जिले में तेजाब से मृतकों की जांच तथा मीरपुर गांव की डकैती

*१६---श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले के रामपुर थाने में गोपालपुर मुकाम में तेजाब डालने की कोई घटना गत मई माह में हुई, जिसमें २ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? इस सम्बन्ध में अभी तक क्या व्यवस्था हुई?

श्री बंशीधर पांडेय---

जी हां। उक्त घटना हुई है। मामले में सी० आई० डी० द्वारा विवेचना जारी है।

*१७--श्री जगन्नाथ राव--

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जौनपुर मडियाहूं थाने के अन्तर्गत मीरपुर गांव में गत मई माह में डाकुओं ने श्री महादेव सिंह व उनके पड़ोसी के घर को लूट लिया ? इस सम्बन्ध में कितने डाकू पकड़े गये तथा सम्बन्धित घटना में पुलिस ने क्या किया ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी हां। इस घटना की सूचना मड़ियाहूं थाने में ३१-५-६४ को मिली। एक मुकदमा धारा ३९५ ता० हि० के अन्तर्गत कायम किया गया और इस सिलसिले में सात व्यक्ति पकड़े गये। मामले में जांच जारी है।

श्री जगन्नाथ राव--

जो दो व्यक्ति मर गये थे तेजाब डालने से और उनकी ओर से जो रिपोर्ट लिखाई गई थी, क्या वह नामजद लिखाई गई थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, नामजद लिखाई गई थी।

श्री जगन्नाथ राव--

जिन व्यक्तियों के नाम रिपोर्ट लिखाई गई है, उनके ऊपर न तो कोई मुकदमा चलाया गया है और न गिरफ्तार किया गया है, और अभी २९ जून को भ्रष्टाचार समिति के चेयरमैन से मिलने वे लोग नैनीताल गये थे। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह केस सी० आई० डी० को जांच के लिये दे दिया गया है।

श्री जगन्नाथ राव--

नामजद रिपोर्ट हुई और जब उसमें दो आदमी मर गये हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाने की बात क्यों नहीं की गई और सी० आई० डी० इन्क्वायरी क्यों करायी गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

कुछ कारण ही होगा जिसकी वजह से सी० आई० डी० को दिया गया। यह जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर नामजद रिपोर्ट हो जाय उसको फौरन ही जेल के हवाले कर दिया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन अभियुक्तों का नाम रिपोर्ट में है और उनके ऊपर मुकदमा अब तक न चलाने का कारण क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

तीन आदमियों का नाम है--बेचन, कल्लू और रघुपति।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मुकदमा न चलाने का कारण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

चूंकि सी० आई० डी० जांच कर रही है, अगर जांच से साबित होगा तो सी० आई० डी० मुकदमा चलायेगी।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

इसमें नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार न करने और सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने के मुख्य क्या आधार हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

अगर सी० आई० डी० की जांच से साबित होगा तो नामजदों पर मुकदमा चलेगा।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

थानेदार की इनक्वायरी क्या काफी नहीं थी और सी० आई० डी० की इंक्वायरी किसने इन्स्टीट्यूट की ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

वह हरगिज़ काफी नहीं थी। सी० आई० डी० की इन्क्वायरी गृह मंत्री जी ने खुद इंस्टीट्यूट की।

श्री दीपनारायणसिंह---

रेगुलर इनवैस्टीगेशन का तरीक़ा छोड़कर सी० आई० डी० को सौंपने का मुख्य कारण क्या था ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

थानेदार को पहले रिश्वत के मामले में सस्पेंड कर रखा है और उसके बाद यह दूसरी रिपोर्ट उनके यहां हुई। वह इस वक्त तो नहीं हैं लेकिन मुझे ऐसा शुबहा हुआ कि वह भी जिम्मेदार हो सकते हैं और जिन्हें ससपेंड कर दफा ७ की कार्यवाही कर रखी है---यह बतलाना आवश्यक तो नहीं था---इसमें वे लोग हो सकते हैं, ऐसा शुबहा होने पर सी० आई० डी० को यह मामला सौंपा गया।

*१८---श्री जगन्नाथ राव---

[हटा दिया गया।]

चमोली जिले में औषधालय

*१९---श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी---

क्या सरकार चमोली सीमान्त जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आयुर्वेदिक और एलोपैथिक अस्पतालों की बहुत बड़ी कमी है प्रत्येक ५ या ६ मील पर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों के खोलने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

चमोली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में औषधालय केवल दूरी के आधार पर ही नहीं स्थापित किये जाते हैं वरन् ये औषधालय जनसंख्या, यातायात के साधन तथा भवन आदि की उपलब्धता को ध्यान में रख कर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खोले जाते हैं तथा खोले जाते रहेंगे।

*२०---श्री रियासत हुसैन, श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री प्रेमसिंह तथा श्री चन्द्रबलीसिंह---

[हटा दिया गया।]

नोट---तारांकित प्रश्न १७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

परसरामपुर थाने के अन्तर्गत गारद की तैनाती व बलात्कार की घटना

*२१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिला में थाना परसरामपुर, ग्राम धुरदा जंगल में मई, १९६४ में किस तारीख से किस तारीख तक गारद की व्यवस्था करनी पड़ी थी ? यदि हां, तो कारण क्या थे ? शान्ति स्थापनार्थ गारद के अलावा और कोई कार्यवाही अमल में लाई गई थी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ग्राम धुरदा जंगल में दिनांक २४-५-६४ से गारद की व्यवस्था करनी पड़ी थी। जो अब तक तैनात है। गारद लगाने का कारण यह था कि एक गुंडे द्वारा कुछ बदमाशों को इकट्ठा कर गांव को लूटने की तैयारी की गई थी। शांति बनाये रखने के लिये गारद के अलावा १० व्यक्तियों को धारा १५१ दं० वि० सं० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और २८ व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १०७/११७ दं० वि० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

*२२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बस्ती, थाना परसरामपुर ग्राम धुरदा जंगल से १ मई, १९६४ से २८ मई, १९६४ के मध्य कितने बलात्कार की सूचनायें किन-किन के विरुद्ध पुलिस को मिली उनमें कितने मुकदमों में किन-किन का चालान हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ग्राम धुरदा, जंगल परसरामपुर से १ मई, १९६४ से २८ मई, १९६४ तक कोई भी बलात्कार की सूचना नहीं मिली है। केवल एक बलात्कार चेष्टा की सूचना मिली थी जिसके सम्बन्ध में मुकदमा धारा ४५२/३२३/३२४/३५४ भा० दं० सं० के अन्तर्गत कायम किया गया और अभियुक्त झुनमुने सिंह का चालान किया गया।

मथुरा जिले में अपराध तथा श्री चरनलाल की हत्या की जांच

*२३—श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले के बल्देव थाने के अन्तर्गत जनवरी सन् १९६४ से मई सन् १९६४ तक कितनी-कितनी घटनायें डकैती, चोरी व राहजनी की हुईं तथा इन घटनाओं के अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने की दिशा में स्थानीय पुलिस द्वारा क्या-क्या कार्यवाहियां की गईं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

४ डकैतियां, १ राहजनी तथा ३१ घटनाएं चोरी की हुईं। स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त घटनाओं की जांच के फलस्वरूप डकैतियों व चोरियों के सम्बन्ध में क्रमशः ३६ और १५ व्यक्ति पकड़े गये। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई। राहजनी के अभियुक्तों का पता नहीं लग सका।

*२४—श्री कन्हैयालाल—

क्या यह बात सही है कि इसी थाने के अन्तर्गत दघेंटा गांव के एक संभ्रान्त व्यक्ति श्री चरन लाल को कुछ व्यक्ति बहका कर ले गये तथा उसकी लाश कई दिन पश्चात् सौनई गांव के निकट किसी पोखरे में दबी हुई मिली ? यदि हां, तो सरकार की तरफ से इस अपराध का पता लगाने के हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

दिनांक १५-५-६४ को श्री प्रीतम सिंह, सरपंच, पंचायत अदालत कूमा ने जिला मथुरा के थाना राया में सूचना दी कि एक व्यक्ति का हड्डियों का ढांचा तेहरा भट्टे के पोखर में पड़ा है। हड्डी के ढांचे के कुर्ते व फतुई की श्री चरनलाल के घरवालों द्वारा शिनाख्त से पता चला कि यह ढांचा श्री चरनलाल, ग्राम दघेंटा, जिला मथुरा का था। जांच जारी है।

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी का सप्लाई क्षेत्र

*२५--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी के वाराणसी क्षेत्र में और कौन-कौन जिले रखे गये हैं और क्या वाराणसी एवं अन्य जिलों को जून माह, १९६४ का कोटा नहीं दिया गया है जिसकी वजह से हजारों निर्माण-कार्य ठप हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वाराणसी का जून का कोटा देने एवं कोटा को और बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के क्षेत्र में वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद तथा लखनऊ डिवीजन के सब जिले और पीलीभीत, शाहजहांपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर तथा कानपुर जिले हैं। स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन, नई दिल्ली द्वारा सभी जिलों के लिये द्वितीय त्रैमास (अप्रैल, मई एवं जून, १९६४) का कोटा निर्धारित किया गया था। जून, १९६४ में वाराणसी जिले को ८७८ टन सीमेन्ट गया तथा अन्य जिलों को भी जून माह १९६४ में सीमेन्ट भेजा गया। सीमेन्ट का कोटा बढ़ाने एवं घटाने का कार्य स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है।

भटनी तथा शाहगंज चीनी मिलों पर बकाया

*२६--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के गन्ना किसानों का कितना कितना रुपया भटनी, जिला देवरिया तथा शाहगंज, जिला जौनपुर के चीनी मिल पर बकाया है और क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्राप्त सूचनानुसार १७ अगस्त, १९६४ को निर्दिष्ट चीनी मिलों पर आजमगढ़ जिले के गन्ना किसानों की गन्ने की कीमत जो बकाया थी वह इस प्रकार है :--

चीनी मिल का नाम	गन्ने के मूल्य की बकाया रकम रु० पै०
(१) भटनी (देवरिया)	कुछ नहीं
(२) शाहगंज (जौनपुर)	४,५२६·२१

*२७--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन सोसाइटी, बिलयरा रोड तथा किड़िहड़ापुर, जिला बलिया पर आजमगढ़ जिले के गन्ना किसानों का रुपया गत वर्ष का भी बकाया है ? यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा रुपया दिलाने के लिये कौन-कौन प्रयास किये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

केन सोसाइटी, बिल्थरा रोड तथा किड़िहड़ापुर, जिला बलिया द्वारा आजमगढ़ जिले के गन्ना किसानों का गन्ना सप्लाई नहीं होता। अतएव उक्त केन सोसाइटी से निर्दिष्ट क्षेत्र के गन्ना किसानों को गन्ने की कीमत दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले के परगनाधीश के विरुद्ध आरोप

*२८--श्री राम सुन्दर पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्त्ता ने आजमगढ़ जिले के किसी परगनाधीश के विरुद्ध घूस लेने, पक्षपात करने, मुकदमों में जानबूझ कर विलम्ब करने आदि की तरह के आरोप लगाकर मुख्य मंत्री को जो तीन पत्र जांच करने हेतु गत अप्रैल, तथा मई, सन् १९६४ में भेजे हैं, उन पत्रों की जांच किस अधिकारी द्वारा कब कराई गई तथा प्रश्नकर्त्ता से जांच करने वाले अधिकारी ने क्यों नहीं सहायता मांगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रश्नकर्त्ता ने तीन पत्र अप्रैल, ६४ के महीने में भेजे थे। उनमें उल्लिखित आरोपों की जांच जिलाधीश ने स्वयं जुलाई, १९६४ में की। तत्पश्चात अभी हाल ही में एक जांच ए० डी० एम० (जे०) द्वारा कराई गई। इस सिलसिले में ए० डी० एम० (जे०) तथा जिलाधीश से माननीय सदस्य की मुलाकात १५ व १६ अगस्त, १९६४ को हो चुकी है।

फैजाबाद जिले में हरिजन कल्याण पर व्यय

*२९--श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला फैजाबाद में सन् १९६३-६४ के अन्तर्गत हरिजनों के लिये मकान एवं उद्योग के लिये कुल कितना रुपया सरकार ने निर्धारित किया था और उसमें से कितना रुपया लोगों को दिया गया तथा कितना रुपया बचा रहा और उस बचत का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३०--श्रीमती रामरती--

क्या यह सच है कि हरिजनों के लिये मकान बनवाने तथा उद्योग के लिये जो रुपया दिया गया है वह हरिजनों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी दिया गया है ? यदि हां, तो हरिजनों का वह रुपया अन्य जाति के लोगों को भवन बनवाने एवं उद्योग चलाने के लिये देने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बांदा जिले में गड़रियन पुरवा की डकैती

*३१--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के ग्राम नरी के गड़रियन पुरवा में २ साल के करीब हुआ, डकैती पड़ी जिसमें एक थानेदार व एक कान्स्टेबिल आज तक मुअत्तल हैं किन्तु उस केस की जांच के आज तक पूरा न हो सकने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

ग्राम नरी के गड़रियन पुरवा में डकैती दिनांक १८/१९-८-६३ को पड़ी थी जिसे एक वर्ष हुआ। इस डकैती के कुछ अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है। परन्तु गैंग के दूसरे अन्य सदस्यों के पता चलने की आशा से अनुसन्धान समाप्त नहीं किया गया।

*३२--श्री मतोलासिंह--

सरकार उक्त केस को कब तक अदालत के सम्मुख लाने का विचार रखती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

अनुसन्धान समाप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

बांदा जिले में उद्योग चलाने के लिये सुझाव

*३३--श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि--(१) जिला बांदा की तहसील बांदा व नरैनी तथा बबेरू में धान की पैदावार अधिक है और धान के पयाल से मोटा कागज (दफ्ती) बनाया जा सकता है, (२) तहसील मऊ में बरगढ़ में कांच की बालू अधिक है जो दूर-दूर वहां से भेजी जाती है और बरगढ़ में ग्लास फैक्टरी खोली जा सकती है, (३) बांदा जिले में बांस की लुगदी द्वारा कागज व रंगीन मिट्टी द्वारा रंग बनाये जा सकते हैं ? यदि हां, तो बांदा जिले में जहां बिजली आ गई है सरकार गरीबी दूर करने के वास्ते कौन-कौन से उद्योग-धंधे खोलने का विचार रखती है और कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८४९ पर)

*३४-३५--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

[२६ अगस्त, १९६४ को प्रश्न ४०-४१ के अन्तर्गत हटा दिये गये।]

सुपरिन्टेन्डेन्ट राजकीय लेदर स्कूल, फतेहपुर के विरुद्ध जांच

*३६--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुपरिन्टेन्डेन्ट राजकीय लेदर ट्रेनिंग स्कूल, फतेहपुर द्वारा स्कूल का सामान खरीदने में हजारों रुपयों का भ्रष्टाचार करने व एक ब्राह्मण चपरासी की सुन्दर स्त्री के साथ बलात्कार करने की चेष्टा करने और उस चपरासी को नौकरी से निकालने संबंधी जो शिकायतें दिनांक १४ अक्तूबर, १९६३ के साप्ताहिक 'टंकार' फतेहपुर में प्रकाशित हुई हैं और उसकी प्रतिलिपि दिनांक १८ अक्तूबर, १९६३ को और इस संबंध का प्रश्नकर्त्ता का दिनांक २१ अक्तूबर, १९६३ का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनमें कौन-कौन व कितने आरोप हैं और उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा तथा कब एवं किसकी उपस्थिति में की गई है और क्या नतीजा निकला और यदि जांच व कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

(क) जी हां।

(ख) सुपरिन्टेन्डेन्ट, राजकीय लेदर स्कूल, फतेहपुर के विरुद्ध निम्नलिखित दोषारोप से संबंधित सूचना सरकार को मिली थी।

१--विद्युत् संचालित नये मोटरों की मरम्मत ।

२--पुस्तकालय में अवान्छनीय पुस्तकों का क्रय ।

३--मशीन एवं यंत्रों को बैठाने में अपव्यय ।

४--मारबिल स्टोन के बजाय नकली संगमरमर के पत्थर की खरीद ।

५--अटैची फर्में और अटैची सेट की खरीद में अपव्यय ।

६--खालें नीचे दाम पर खरीद कर ऊंचे दाम में दिखाना ।

७--एनेलटिकल वजन यंत्र की खरीद में अपव्यय ।

८--जाली वाउचर बनाना ।

९--जाली यात्रा-भत्ता बनाना ।

१०--स्कूल के पुराने भवन का दुरुपयोग ।

११--स्कूल के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार और उस चपरासी को नौकरी से निकालना ।

जहां तक क्रम-संख्या ११ पर कथित आरोप का संबंध है, उपनिदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा गुप्त जांच किये जाने पर वह निराधार सिद्ध हुआ । शेष आरोपों के विषय में संयुक्त निदेशक, उद्योग (दक्षिणी खण्ड), इलाहाबाद द्वारा जांच की जा रही है ।

*३७--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि राजकीय लेदर टेनिंग स्कूल, फतेहपुर के कुछ हरिजन छात्रों की १९६२-६३ के सत्र की छात्रवृत्ति उक्त सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा दूसरे छात्रों को दे देने संबंधी उनका प्रार्थना-पत्र उप-मंत्री उद्योग को दिनांक १० दिसम्बर को और १९६३-६४ के वर्ष की छात्रवृत्ति जनवरी, १९६४ तक वहां के छात्रों को न देने संबंधी प्रश्नकर्त्ता का दिनांक ४ जनवरी, १९६४ का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

(क) जी हां ।

(ख) राजकीय लेदर स्कूल, फतेहपुर की परामर्शदात्री समिति (Advisory Committee) ने १९६२ में प्रथम वर्ष लेदर वर्किंग क्लास के १५ विद्यार्थियों को जिनमें दो हरिजन थे, १०।। मास की छात्रवृत्ति देने की संस्तुति की थी । तदनुसार उक्त छात्रों को जुलाई, १९६२ से छात्रवृत्तियां मिलना आरम्भ हो गयीं । मार्च, १९६३ में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से उपरोक्त दोनों हरिजन-छात्रों को छात्रवृत्ति देने की संस्तुतियां उपलब्ध हुईं । यह सूचना प्राप्त होने पर इन छात्रों की अगले २।। मास की विभागीय छात्र-वृत्ति रोक कर अन्य दो छात्रों को दे दी गयी । हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग ने अक्तूबर, १९६३ में सूचित किया कि उपरोक्त दो हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्हें विभागीय बजट से योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति देने की संस्तुति हुई थी । इस प्रकार ये दोनों छात्र २।। माह की छात्रवृत्ति से वंचित रह गये । १९६३-६४ की छात्रवृत्तियां परामर्शदात्री समिति (Advisory Committee) के पुनस्संगठन होने के बाद १७-१-६४ को दी गयी ।

तुलसीपुर, बलरामपुर चीनी मिलों में तौल के कांटे

*३८--श्री सुखदेवप्रसाद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तुलसीपुर, बलरामपुर चीनी मिलों के अन्दर तौल के नये प्रणाली के कांटें किस-किस स्थान पर मौजूद हैं और क्या यह सभी तौल के कांटे सरकारी निरीक्षक द्वारा इस साल सील किये गये थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

१९६३-६४ सीजन में निर्दिष्ट चीनी मिलों के अन्दर क्रय केन्द्रों पर नयी प्रणाली के कांटे जिन स्थानों पर लगे थे उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है और यह सभी कांटे सरकारी तौल एवं बाट निरीक्षक द्वारा उक्त सीजन में सील किये गये थे ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८५० पर)

खादी योजना में स्पिनिंग सुपरवाइजर

*३९--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि खादी योजना के अन्तर्गत कुछ समय पूर्व स्त्रियों की नियुक्ति स्पिनिंग सुपरवाइजर के स्थान पर की गई थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां ।

*४०--श्री गनेशीलाल चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह नियुक्तियां किस आदेश द्वारा की गईं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह नियुक्तियां उद्योग निदेशक के आदेशानुसार की गईं ।

*४१--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या यह सत्य है कि ये स्थान समाप्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस आदेश द्वारा और क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं ।

उन्नाव जिले में अपराध तथा बन्दूक के लाइसेन्सों की स्वीकृति

*४२--श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई, सन् १९६२ से ३० जून, १९६४ तक उन्नाव जिले में अलग-अलग प्रत्येक थानेवार कितनी डकैतियां व कितनी चोरियां दर्ज हुईं और उनमें से कितनी का पुलिस पता लगा सकी तथा कितने मामलात सजायाब हुये ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८५१ पर)

*४३—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६२ से ३० जून, १९६४ तक कितने बन्दूक के लाइसेंस के आवेदन-पत्र उन्नाव जिले में दिये गये और उनमें से कितने स्वीकृत हुए और कितने अस्वीकृत तथा उनमें से कितने पुलिस की सिफारिश न होने के कारण नामन्जूर हुए ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१ जुलाई, १९६२ से ३० जून, १९६४ तक उन्नाव जिले में १,७०९ प्रार्थना-पत्र बन्दूक के लाइसेन्स के लिये प्राप्त हुए और उनमें से ७६९ स्वीकृत हुए तथा ११४ अस्वीकृत हुए। पुलिस की सिफारिश न होने के कारण उपरोक्त ११४ प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुए।

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के खदान में कैदियों द्वारा लाइम स्टोन तोड़ना

*४४—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सच है कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर में लगभग ८ वर्ष से सम्पूर्णानन्द शिविर के कैदियों ने जो लाइम स्टोन तोड़ा है और आवश्यकता से अधिक ५ लाख टन लाइम स्टोन की खपत का और बनाई गई सीमेंट का कोई हिसाब नहीं है और सीमेंट गायब है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने जा रही है ? क्या सरकार के पास सम्पूर्णानन्द शिविर के सुपरिन्टेंडेंट, श्री सुलतान सलीम ने कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह कहना कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर के खदान में सम्पूर्णानन्द शिविर के कैदियों द्वारा लगभग ८ वर्ष में ५ लाख टन लाइम स्टोन आवश्यकता से अधिक तोड़ा गया है और तथा कथित सीमेंट का कोई हिसाब नहीं है या सीमेंट गायब है, यह बिल्कुल निराधार है।

जी हां। सुपरिन्टेन्डेन्ट सम्पूर्णानन्द शिविर गुर्मा ने सरकार (कारागार विभाग) को यह सूचना दी है कि अब तक ट्राली के ऊपर की सतह (Brim) से १५ इंच ऊपर तक लाइमस्टोन भरने पर जो वजन १.२५ टन माना जा रहा है वह गलत है तथा इसका वास्तविक वजन लगभग १.७५ टन होता है। उनका कथन है कि फैक्टरी में जितना लाइम स्टोन १.२५ टन प्रति टन के हिसाब से तोड़ा जाना दिखाया गया है उसमें वास्तव में लाइम स्टोन तोड़े जाने में बहुत अधिक अन्तर है और लगभग ५ लाख टन लाइम स्टोन अधिक तोड़ा गया है। लाइम स्टोन आदि के वजन के संबंध में फैक्टरी तथा शिविर के अधिकारियों में जो मतभेद पैदा हो गया है उसे हल करने के हेतु सरकार ने वाराणसी डिवीजन के कमिश्नर को मध्यस्थ नियुक्त किया है।

पनियाली ग्राम के नालों पर पुलियों का निर्माण

*४५—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल में गन्ना विकास विभाग हल्द्वानी द्वारा गत माह अप्रैल में जो तीन पुलिया ग्राम पनियाली मार्ग के नालों पर निर्मित की गई हैं इनका प्लान कब व किसने बनाया ? क्या इन पुलियों का प्लान बनाते समय, स्थानीय जनता से मौसम बरसात में इन नालों के बहने वाले पानी के बाबत कोई जानकारी की गई थी ? यदि हीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--

इन पुलियों का प्लान ३१-१-६३ को केन डेवलपमेंट कमेटी, हल्द्वानी के ओवरसियर ने बनाया था ।

जी हां, पुलिया का प्लान बनाते समय स्थानीय जनता से पुलिया के बारे में पानी की निकासी आदि की जानकारी कर ली गई थी ।

*४६--श्री खुशीराम--

क्या यह सही है कि इन पुलियों का कार्य प्रारम्भ होते ही स्थानीय जनता द्वारा संबंधित ओवरसियर, गन्ना विकास निरीक्षक तथा अन्य गन्ना विकास अधिकारियों से स्थानीय स्थिति के अनुसार ही बड़ी पुलियां बनाने का अनुरोध किया गया ? यदि हां, तो आवश्यकतानुसार इन पुलियों का निर्माण कार्य न होने की जिम्मेदारी किस पर है ?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं ।

*४७--श्री खुशीराम--

क्या यह भी सही है कि इन पुलियों के निर्माण कार्य को आवश्यकतानुसार जनोपयोगी न समझ कर दिनांक ७ अप्रैल, १९४७ को स्थानीय जनता का एक डेपुटेशन अपने ब्लाक प्रमुख व बी० डी० ओ०, हल्द्वानी के नेतृत्व में इंचार्ज जिला गन्ना अधिकारी से मिला और दूसरे दिन गन्ना विकास अधिकारियों ने इन पुलियों का निरीक्षण करके जनता को पुलियों की त्रुटियों का शीघ्र सुधार होने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अब तक क्या सुधार किया गया ?

डाक्टर सीताराम--

७-४-६४ को एक डेपूटेशन बी० डी० ओ०, हल्द्वानी के नेतृत्व में केन प्रोटेक्शन इंसपेक्टर, हल्द्वानी से मिला था । दिनांक ९-४-६४ को, गन्ना विकास निरीक्षक, हल्द्वानी ने श्री इन्द्र-लाल के साथ पुलिया का निरीक्षण किया और उनके सुझाव के अनुसार बनी हुई पुलिया की मजबूती के लिये किनारे पर पत्थर लगा दिये गये । चौथी पुलिया जिसको उन्होंने बड़ी बनाने का सुझाव दिया था, का काम प्लान तथा इस्टीमेट बनाने तक के लिये स्थगित कर दिया गया ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से घरेल काम लेना

*४८--श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुछ समय पूर्व ऐसे आदेश दिये गये थे कि आफिसरों के घरों पर चौबीस घंटे दिन-रात चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी ड्यूटी नहीं देंगे और सिर्फ सरकारी कार्यवाही से वे आफिसरों के घर जायेंगे और सिर्फ आठ घंटे ड्यूटी देंगे ? क्या यह सच है कि इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों से घरेलू काम न लेने के आदेश कुछ समय पूर्व प्रसारित किये गये थे । इन आदेशों का साधारणतया पालन हो रहा है । इन आदेशों के उल्लंघन की कोई विशिष्ट शिकायत जब सरकार के पास आती है तो उस पर उचित कार्यवाही की जाती है ।

सचिवालय में सुपरिन्टेन्डेन्ट का चुनाव

*४९—श्री भोखालाल (जिला उन्नाव) तथा श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में १९६० में सुपरिन्टेन्डेंट का चुनाव उत्तर प्रदेश सचिवालय सुपरिन्टेन्डेट्स सेवा नियमावली, १९४२ के नियम ७ (iii) के विरुद्ध बिना साक्षात्कार किये हुये किया गया था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१९६० में हुये सुपरिन्टेन्डेन्ट के चुनाव में साक्षात्कार हुआ था, अतः प्रश्न नहीं उठता ।

*५०—श्री भोखालाल तथा श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या यह सही है कि उक्त चुनाव के विरोध में उत्तर प्रदेश सिविल सेक्रेटेरिएट एसोसिएशन व कुछ व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे और इस चुनाव की वैधता को चुनौती दी थी ? यदि हां, तो उन पर क्या आदेश हुये और उसकी सूचना संबंधित व्यक्तियों को दी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा होम गार्ड आफिस की इमारत

*५१—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा होम गार्ड आफिस के लिये कितने रुपये माहवार किराये पर मकान लिया गया तथा उसमें किस-किस नाप के और कितने कमरे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

किराया अभी निर्धारित नहीं हुआ है । ४ कमरे निम्नलिखित नाप के लिये गये हैं :

१—२४'.४" × २३'.२" × १५'

२—१५'.१' × १५'.१" × १५'

३—१५'.३" × १५'.१" × १५'

४—१२' × १०'.६" × १५"

*५२—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो इमारत होमगार्ड आफिस के लिये ली गई है वह खण्डहर है और उसके बरामदे पर छत भी नहीं है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इमारत खंडहर नहीं है । बरामदा कार्यालय के लिये नहीं लिया गया है ।

*५३—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या यह सही है कि डी० ओ०, पी० आर० डी० व बटालियन कमाण्डेंट (देहात) उक्त मकान मालिक के रिश्तेदार हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इमारत के किराये संबंधी जांच करायेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सही नहीं है ।

*५४—श्री उग्रसेन—

[हटा दिया गया ।]

*५५—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

[६ ठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

मछलीशहर थाने में हरिजन महिला की लूट तथा परमालपुर इटहटी ग्राम की डकैती

१—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले के मछलीशहर थाने के अन्तर्गत कुरनी गांव के आस-पास गत मई माह में किसी हरिजन महिला का शील भंग करने तथा उसके अभिभावक को लूट लेने की कोई घटना हुई ? क्या उसमें पुलिस कप्तान को घटना की सूचना दी गई थी तथा अब तक अपराधियों को क्या दण्ड दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मछलीशहर थाने के अन्तर्गत ग्राम समाधगंज बाजार के पास ११-५-६४ को एक हरिजन तथा उसकी पतोह को पकड़ कर उसका एक झोला जिसमें २८ रु० के कपड़े तथा जेवर थे, छीने जाने की एक घटना हुई थी जिसकी रिपोर्ट मछली शहर थाने में १२-५-६४ को दर्ज कराई गई थी। अभियुक्तों के विरुद्ध शीलभंग की कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई । तफतीश के पश्चात् मामले को पुलिस ने न्यायालय भेज दिया है ।

२—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामपुर थाना, जिला जौनपुर के अन्तर्गत छड़ेहली गांव में गत मई माह में कोई डकैती की घटना घटी थी ? उस डकैती का विवरण क्या है तथा अब तक उसमें क्या किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

रामपुर थाना के अन्तर्गत परमालपुर छटहटी गांव में १८/१९ मई, १९६४ को डकैती की घटना हुई थी जिसका विवरण संलग्न है । इस मामले में कुछ अभियुक्तों का चालान करके मुकदमा न्यायालय में भेज दिया गया । शेष अभियुक्तों के गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया जा रहा है तथा विवेचना जारी है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८५२ पर)

झाझनपुर ग्राम का बलवा

३—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ग्राम सौनक पुर के मजरे झाझनपुर में थाना कोतवाली, जिला मुरादाबाद में दिनांक २८ फरवरी, १९६४ को दिन के १२ बजे कुछ लोगों ने लाठी, बल्लम से हमला करके लूट मचाई और जिसमें कुछ लोग जान से मारे गये तथा काफी जख्मी हुये ? क्या मंत्री जी इस घटना का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

दिनांक २८-२-६४ को ग्राम सौनकपुर के मजरे झाझनपुर, थाना कोतवाली, जिला मुरादाबाद में केवल मारपीट की एक घटना हुई जिसमें कुछ व्यक्तियों को साधारण चोटें आईं। इस घटना में मृत होने या किसी व्यक्ति के जान से मारे जाने की कोई सूचना नहीं है। घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८५३ पर)

४--श्री रियासत हुसैन--

[हटा दिया गया।]

चीनी मिलों पर बकाय

५--श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन चीनी मिलों पर कितना-कितना रुपया बकाया किस-किस मद में ३१ मई, १९६४ तक था और यह बकाया किस-किस मिल पर कब से चला आ रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने का मूल्य, कमीशन व ब्याज तथा सेस गन्ना कर-कर की मद के अन्तर्गत निर्दिष्ट तारीख तक जो रकम बकाया थी और जब से बकाया है उसका मिलवार विवरण क्रमशः संलग्न तालिका "क-(१) व (२) व ख" में दिया हुआ है।

६--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन मिलों को किस-किस रूप में कोई सहायता सरकार की ओर से पिछले ५ वर्षों में दी गई है और कितनी-कितनी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

निर्दिष्ट अवधि में उक्त मिलों को केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी, सेस, गन्ना कर-कर आदि में दी गई उन रियायतों के अलावा कोई अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई।

चायल तहसील में कत्ल

७--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद की तहसील चायल में मई-जून, १९६४ में कितने कत्ल हुये और एक साल में किन-किन गांवों में कुल कितने कत्ल हुये तथा उससे संबंधित कितने आदमी पकड़े गये, कितने मुकदमें चालू किये गये, कितने नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इलाहाबाद जिले की तहसील चायल में मई-जून, १९६४ में कुल १० कत्ल हुए, इसी तहसील में एक साल (१-७-६३ से ३०-६-६४) में जिन ग्रामों में कत्ल हुए उनके नाम संलग्न तालिका में दिये गये हैं। इन ग्रामों में कुल ३० कत्ल हुए जिनके संबंध में १०८ व्यक्ति पकड़े गये। अबतक १८ मामलों में मुकदमें चलाये गये हैं और ६ में नहीं चलाये गये।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८५४ पर)

---

†छापा नहीं गया।

८-९—श्री ऊदल—

[हटा दिये गये ।]

कान्स्टेबुलों को घर के निकट रखने का सुझाव

१०—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके विचाराधीन कोई योजना ऐसी है कि जिससे कम तनख्वाह पाने वाले पुलिस कर्मचारी जैसे सिपाहियों को घर से बहुत दूर न रखा जाय ? यदि हां, तो यह योजना कब तक बन जायेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

सचिवालय में हरिजन सहायक अधीक्षक

११—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिविल सेक्रेटेरियट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के सभी विभागों में कुल कितने सुपरिन्टेंडेंट एवं असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट हैं और उन में से कितने हरिजन वर्ग के सुपरिन्टेंडेंट व असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कुल १२२ अधीक्षक तथा १२८ सहायक अधीक्षक हैं। इन में दो सहायक अधीक्षक हरिजन हैं।

१२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गत सितम्बर व दिसम्बर, १९६३ के मध्य में कुछ क्लर्कों व असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंटों को तरक्की देकर सुपरिन्टेंडेंट बनाया गया है और कुछ सुपरिन्टेंडेंटों एवं असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंटों को मुस्तकिल किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को और उनमें से प्रत्येक में कौन-कौन हरिजन वर्ग के व्यक्ति हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सितम्बर व दिसम्बर, १९६३ के मध्य ४ सहायक अधीक्षकों को अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। उन के नाम ये हैं :—

(१) श्री कैलाशचन्द्र सिन्हा।

(२) श्री कृष्णदयाल त्रिपाठी—

(३) श्री कामताप्रसाद शर्मा।

(४) श्री श्यामदेव वर्मा।

१०० सहायक अधीक्षक स्थायी किये गये । नामों की सूची संलग्न है।

इस अवधि में कोई अधीक्षक स्थायी नहीं किया गया। पदोन्नत व स्थायी किये गये व्यक्तियों में कोई हरिजन नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८५५-८५६ पर)

१३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुपरिन्टेंडेंटों, असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंटों में कोई ऐसा हरिजन व्यक्ति है जो लगभग ९ वर्षों से असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट के पद पर कार्य कर रहा है और

लगभग ढाई वर्ष तक इन्चार्ज सुपरिन्टेंडिंग का भी कार्य किया है ? यदि हां, तो क्या उसे भी उक्त समय पर पदोन्नति एवं स्थायित्व प्रदान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस श्रेणी में कोई व्यक्ति नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ में जवानों को जमीन

१४—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या यह सत्य है कि पिथौरागढ़ में जो भूमि सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही है वह इस शर्त पर दी जा रही है कि उस पर किसानों द्वारा अन्न उत्पन्न न किया जाय ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पिथौरागढ़ में खेती के योग्य भूमि की कमी है। अतः यहां किसानों को खेती के योग्य जमीन नहीं दी जा रही है। इस समय डिप्टी कमिश्नर द्वारा केवल नयाबाद ग्रान्ट के अन्तर्गत कुछ जमीन दी जा रही है, लेकिन वह सिर्फ उद्यान प्रोत्साहन हेतु मुख्यतः जवानों के परिवारों को या सार्वजनिक कार्यों के लिए ही दी जा रही है। ऐसी जमीन पर अन्न उत्पन्न करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

१५—श्री नाथूराम शिक्षक—

देश में व्याप्त वर्तमान अन्न संकट को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार उक्त प्रतिबन्ध को हटाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उपरोक्त वर्णित स्थिति में यह प्रश्न नहीं उठता ।

फरीदा ग्राम के जाटवों को गृह निर्माण सहायता देने की सिफारिश

१६—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री ५ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५-१६ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि जब कि चालू वित्तीय वर्ष सन् १९६४-६५ के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों के गृह-निर्माण के लिए प्राविधान किया गया है, तो क्या अब वे ग्राम फरीदा, परगना अहार, जिला बुलन्दशहर के जाटवों को गृह-निर्माण हेतु सहायता देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

विकेन्द्रीयकरण नीति के अनुसार गृह-निर्माण की सहायता क्षेत्र के स्तर पर क्षेत्र समिति द्वारा स्वीकृत की जाती है। अतः उक्त सहायता के लिए सम्बन्धित क्षेत्र समिति से सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए।

१७—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री इस सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे ग्राम फरीदा के जाटवों के घरों की दशा का किसी उच्च अधिकारी से निरीक्षण करवायेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि वर्षा के पानी के कटाव के कारण वे कितने खतरे में जीवन बिता रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—

इस सम्बन्ध में जांच कराने के आदेश निदेशक, हरिजन तथा अन्य कल्याण को दिये जा चुके हैं।

बाराबंकी जिले से पुलिस कर्मचारियों का सब-इन्स्पेक्टरी की ट्रेनिंग के लिये चुनाव

१८—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन-कौन पुलिस अधिकारी बाराबंकी जिले में ऐसे हैं जो अप्रैल, सन् १९६० से या इस के पहले से काम कर रहे है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अप्रैल, १९६० या इसके पहले से कोई पुलिस अधिकारी बाराबंकी जिले में काम नहीं कर रहे हैं, किन्तु १८० हेड कांस्टेबिल तथा कांस्टेबिल उक्त अवधि से बाराबंकी जिले में नियुक्त हैं।

१९—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

इस जिले से पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों के सेलेक्शन में कौन-कौन व्यक्ति डिपार्टमेंटल प्रोमोशन पाकर ट्रेनिंग करने सन् १९६२-६३, १९६३-६४ में भेजे गये?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ८५७ पर)

वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, आजमगढ़ से शिकायतें

२०—श्री उमाशंकर—

क्या मुख्य मन्त्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी की शिकायतें अधिकारियों को तथा सरकार को गत मई माह में मिली हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं और उनकी एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। दो शिकायतें प्राप्त हुयी हैं जो सोसाइटी में भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में हैं। इन शिकायतों की †प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

२१—श्री उमा शंकर—

क्या सरकार को जब शिकायतें मिलीं उसके बाद सम्बन्धित सोसाइटी को पुनः रिबेट का रुपया दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

२२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[७ वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।]

---

†छापी नहीं गयीं।

प्रश्नों के संबंध में आपत्ति

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

प्रश्न ६ व ७ मेरे हैं और उन के उत्तर जो मिले हैं उनके देखने से ऐसा मालूम होता है कि केवल २ उद्योग समितियां हैं जो काम कर रही हैं। केवल २ समितियों के लिए एक उद्योग अधिकारी और उनका सारा स्टाफ है जो ज्यादा है। उन्हें हटा दिया जाय जब तक पूरा सामान नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष--

आप के प्रश्नों में यह संकेत पहले ही है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

प्रश्न संख्या ११, १२ से मैं इन्टरेस्टेड था।

श्री अध्यक्ष--

समय होने पर ही ये लिये जा सकते थे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मेरा सवाल ८ पर है। यह कई बार टल चुका है। मेरी सूचना है कि हर विभाग में विजिलेंस कमेटी बनी है और जब जब ये प्रश्न आते हैं तो ये टाल दिये जाते है चूंकि वैस्टेड इन्टरेस्ट है। ये बड़े महत्व के प्रश्न हैं। आप सरकार से उत्तर दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

जिस विभाग का यह है उसका टर्न कल है। कल आवेगा।

श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

प्रश्न ४० यह था कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये नियुक्तियां किस आदेश द्वारा की गयीं। उत्तर है कि उद्योग निदेशक के आदेशानुसार की गयीं। मेरी समझ से यह उत्तर ठीक नहीं मालूम होता है। कृपया उसे ठीक करा दें।

श्री अध्यक्ष--

४० प्रश्न तक अगर हम पहुंच जाते तो आप अनुपूरक प्रश्न करके ठीक उत्तर ले सकते थे। आप को स्पष्टीकरण कराने का अवसर मिल जाता। अब आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। हम यथाशक्ति उसे जल्दी ले आवेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

प्रश्न ५ फिर स्थगित किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

इस में लिखा है "६ठे बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।" विभागों के अलग-अलग दिन मुकर्रर हैं। आज इस विभाग का शायद दिन नहीं है। वह ६ ठे बुधवार को आना चाहिए और पहले आ गया। इसलिए उनके दिवस के लिए स्थानान्तरित किया गया है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

प्रश्नों के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष--

आपने कल कहा था।

श्री बांकेलाल--

मैं गया था, लेकिन आप मिले नहीं। फिर हमारी हिम्मत नहीं हुई कि जावें।

श्री अध्यक्ष--

आप आइये। हम आपका स्वागत करेंगे।

श्री सन्तसिंह यूसुफ की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय सन्तसिंह यूसुफ की गिरफ्तारी की सूचना हमें मिली है। इसमें है रिमांडेड टु जेल कस्टडी। जेल में वह बन्दीकृत हैं। वह दफा १४७, ४४८, ३४१ ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत गिरफ्तार हुये हैं।

विधान सभा की प्रक्रिया में सुधार तथा उस पर विधान मंडल के नियंत्रण को प्रभावी बनाने के संबंध में याचिका

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न याचिका प्रस्तुत करता हूं :--

सेवा में,

विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

निम्नलिखित याचिका में यह निवेदन किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो नियम, विनियम आदि बनाये जाते हैं उनका कोई केंद्रीय संख्यांकन नहीं होता और उनमें जब कोई संशोधन किये जाते हैं तो यह पता नहीं रहता कि उसके पूर्व कितने और संशोधन किये जा चुके हैं और जो संशोधन है वह कौन सा संशोधन है, जैसे सातवां, आठवां, आदि। नियम, विनियम आदि केवल सरकारी गजट में ही प्रकाशित होते हैं और समाचार-पत्रों में उनका कोई उल्लेख नहीं रहता। जो नियम पूर्व-प्रकाशन के उपरान्त बनाये जाते हैं उन में आपत्तियां प्राप्त करने का समय इतना कम रखा जाता है कि उस में गजट जनसाधारण के हाथ में भी नहीं पहुंच पाता और इस लिए प्रभावित हितों को उस पर आपत्ति करने का अवसर नहीं रहता। इस के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बहुत से अधिनियमों में सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियम, विनियम आदि को विधान मण्डल में समक्ष रखे जाने का भी प्राविधान नहीं है और न विधान मण्डल के सदनों को उनमें संशोधन करने का कोई अधिकार ही है। कुछ अधिनियमों में कठिनाइयों को दूर करने की आज्ञा जारी करने के अधिकार की आड़ में सरकार को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह अधिनियम में परिष्कार कर सकती है चाहे वे परिवर्तन, वृद्धि या लोप के रूप में हो, इंग्लैन्ड में ऐसा अधिकार बहुत ही कम दिया जाता है और जब कभी ऐसा करना अनिवार्य भी हो जाता है तो उसे एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं दिया जाता। हमारे यहां उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में यह अधिकार ५ वर्षों के लिए दिया गया है।

अतः इस याचिका द्वारा यह प्रार्थना की जाती है कि यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ में संशोधन करके उत्तर प्रदेश में प्रत्यायोजित विधान की प्रक्रिया में सुधार किया जाय तथा उस पर विधान मण्डल के नियन्त्रण को प्रभावी बनाया जाय।

प्रार्थी,

ह० आर० एस० अग्रवाल।

श्री अध्यक्ष--

यह याचिका याचिका समिति को भेजी जायगी।

भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत उपभोक्ताओं द्वारा अन्य व्यक्तियों के राशन कार्ड का प्रयोग करने तथा फेयर प्राइस शाप्स के मालिकों द्वारा उनको अपने कब्जे में रखने पर दण्ड दिये जाने के संबंध में याचिका

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित याचिका प्रस्तुत करता हूं :—

"सेवा में,

विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

श्री आर० एस० अग्रवाल की निम्नलिखित याचिका में नम्रतापूर्वक यह निवेदन किया गया है कि भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत किसी उपभोक्ता द्वारा दूसरे व्यक्ति के राशन कार्ड का प्रयोग करना या फेयर प्राइस शाप के मालिक द्वारा राशन कार्ड अपने कब्जे में रखना अपराध घोषित किया गया हैं जिसका दण्ड सात वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है। प्रत्योजित विधान के द्वारा अपराधों की सृष्टि करना और उन्हें दण्डनीय घोषित करना विधि के शासन के प्रतिकूल है। अन्य व्यक्तियों का राशन कार्ड प्रयोग करना एक साधारण बात है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के यहां कम राशन की आवश्यकता हो और वह अपना राशन देकर दूसरे व्यक्ति की चीनी ले ले जिस की उस के यहां अधिक आवश्कयता हो। ऐसी साधारण बात के लिए ऐसा कठोर दण्ड देना कदाचित् विधान मण्डल को स्वीकार न होता। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया उक्त नियम विधान मण्डल की मे पर भी नहीं रखा जायगा क्योंकि संबंधित कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अतः याची की प्रार्थना है कि उक्त नियम विधि के शासन के प्रतिकूल होने और अनावश्यक रूप से कठोर होने के कारण निरस्त करने की शासन से सिफारिश की जाय।

विनीत,

ह० आर० एस० अग्रवाल।"

श्री अध्यक्ष—

यह याचिका भी याचिका समिति को जायगी।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

मैं यह जानना चाहूंगा कि यह अग्रवाल महाशय कौन हैं और यह उन के विचार हैं या शर्मा जी के विचार हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

यह इतना भी नहीं जानते कि याचिका कैसे प्रस्तुत होती है . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम, वह बात हो गयी। अब उस पर आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

कम्युनिस्ट पार्टी के सत्याग्रहियों के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास एक माननीय चन्द्रजीत यादव और माननीय रघुवीर राम का कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है। मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

(श्री चन्द्रजीत यादव के खड़े होने पर)

आप को क्या कहना है?

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव इसलिए मैंने पेश किया है कि सारे देश में और प्रदेश में महंगाई और जखीरेबाजी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी शान्तिपूर्ण तरीके से सारे देश में सत्याग्रह आन्दोलन कर रही है और २४ तारीख से यह आन्दोलन शुरू हुआ है। हजारों व्यक्ति अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आप ने स्वयं पढ़ा होगा कि सारे देश में सरकार की नीतियों के खिलाफ जो आजकल के गम्भीर संकट के लिए जिम्मेदार है, जो जखीरेबाजों, इजारेदारों के खिलाफ, बैंकों के खिलाफ, सरकार कदम नहीं उठा रही है, उन तमाम चीजों और नीतियों में परिवर्तन कराने के लिए सारे सूबे के अन्दर सत्याग्रह हो रहा है और इस वक्त तक सूचना यह है कि १० हजार व्यक्तियों के सत्याग्रह में भाग लेने पर २ हजार से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं। गाजीपुर में २४ अगस्त को जब इलाहाबाद बैंक के सामने सत्याग्रह हुआ और सत्याग्रहियों ने यह मांग की कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय पुलिस ने अनावश्यक रूप से भयंकर लाठी चार्ज किया। कल कानपुर में अकबरपुर थाने के अन्दर ६ सत्याग्रहियों को बुरी तरह से पीटा गया। यहीं १०-१५ मिनट पहले सिविल सप्लाई दफ्तर के सामने सत्याग्रह हो रहा था, वहां भी लाठीचार्ज किया गया। इसी प्रकार से इलाहाबाद बैंक, अमीनाबाद में भी हुआ। हम जब शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे हैं, जनता की मांग को लेकर, जिसके लिए हर आदमी यह महसूस कर रहा है कि देश में भयंकर संकट पैदा हो गया है, सरकार की पुलिस हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है, शक्ति का प्रयोग कर रही है। अरेस्ट होने के लिए तो जाते ही हैं, अगर वह चाहें तो गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार से बल का प्रयोग करना नैतिकता और परम्परा के विरुद्ध है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो कामरोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके लिए ग्राउन्ड्स हैं, जो तीनों बातें कामरोको प्रस्ताव के लिए होनी चाहिए वे उसमें मौजूद हैं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप अपना निर्णय उसको स्वीकार करने के पक्ष में ही देंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मैं अपनी जानकारी बता दूं।

श्री अध्यक्ष--

अगर आपकी जानकारी की आवश्यकता होती, आप उसको महत्वपूर्ण समझते तो अवश्य ही वह लिखित रूप में मेरे पास आता।

श्री उग्रसेन--

माननीय चन्द्रजीत जी से मेरी बातें हुई थीं, मैंने उनसे कहा था कि आप लिख कर दे दीजिए, मैं उसका समर्थन करूंगा। माननीय चन्द्रभानु गुप्त की सरकार ने भी जो नहीं किया वह अब माननीया की सरकार कर रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

शान्तिपूर्ण सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज न हो, कृपया आप इसको स्वीकार कर लें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कामरोको प्रस्ताव के लिए जिन तीन बातों की आवश्यकता होती है अगर किसी कामरोको प्रस्ताव में वे तीनों बातें हों तो क्या आपको यह अधिकार है कि उन तीनों शर्तों के पूरा करने पर भी उसको आप अपने अधिकार से समाप्त कर दें?

श्री अध्यक्ष—

अगर मैं यह समझूं कि जितने फैक्टर्स, ऐलीमेंट्स या तत्व किसी कामरोको प्रस्ताव के लिए होने चाहिए वे हैं, तो मैं उसको अवश्य स्वीकार करूंगा। आपने एक ऐसा प्रश्न कर दिया। मैं अपने मन से कुछ नहीं करता। जबतक कि मेरा मस्तिष्क इस बात को स्वीकार नहीं कर लेता कि जितने एलीमेंट्स आवश्यक हैं वह नहीं हैं तबतक प्रस्ताव नहीं आ सकता अन्यथा वह आ सकता है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि कल माननीय चन्द्रजीत यादव ने इसी सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दी थी और आज कामरोको प्रस्ताव के रूप में दे रहे हैं, इसी से सिद्ध है कि एक दिन की डिले तो स्वयं आपकी तरफ से हुई। कल काम रोको प्रस्ताव नहीं आया तो आज वह काम रोको प्रस्ताव कैसे हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि १९ जुलाई, १९५७ को सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित सत्याग्रह के सम्बन्ध में, उस समय के माननीय अध्यक्ष खेर साहब ने एक रूलिंग दी थी, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि कल मैंने माननीय चन्द्रजीत यादव जी से कहा था कि सत्याग्रह का मतलब यह है कि वर्तमान विधि विधान जो हमारे देश और प्रदेश का है उसके विरुद्ध प्रदर्शन करना, आग्रह करना उसी को आप सत्याग्रह कह रहे हैं, तो जब आप कानून को स्वयं तोड़ रहे हैं तो यहां आकर आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए। उस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं...

श्री दीपनारायणसिंह—

प्रदर्शन करने पर जब लोग मारे जाने लगे....

श्री अध्यक्ष—

शिष्टता इसी में है कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप बैठ जायं। मैं बतला रहा था कि जो कानून है उनको नोटिस दिए बगैर अगर कोई तोड़ने लगे और खुद जेल जाने की तैयारी करने लगे और इस सदन में आकर उस सम्बन्ध में बहस करने की कोशिश करे कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, मैं समझता हूं कि ऐसी चीजें कोई कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकतीं।....

श्री उग्रसेन—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—

मैं पहले समाप्त कर लूं। दूसरी बात यह है कि आप एक आन्दोलन कर रहे हैं। उस आन्दोलन के सिलसिले में जो एक साधारण प्रशासन की प्रक्रिया है उसके अन्तर्गत पुलिस डिपार्टमेंट व ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करने वाले लोग हैं, वे, अपनी कार्यवाही करते हैं। तो साधारण प्रशासन प्रक्रिया के सिलसिले में अगर गिरफ्तारी होती है या लाठी जार्ज होता है कि जब लोग नहीं हटते, तो उस सम्बन्ध में काम रोको प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री उग्रसेन—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष--

अभी मैं इसको समाप्त कर लूं। यों हमारे यहां अध्यक्ष पद से दिए गए निर्णयों का पृष्ठ ८१, मद ५२ में दिया हुआ है--"साधारण प्रशासन सम्बन्धी मामले में कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है।" तो उसमें गवर्नमेंट का कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है जो हो रहा है। साधारण प्रशासन सम्बन्धी प्रक्रिया से प्रभावित होकर यदि करने वाले कोई कार्य करते हैं या किसी को गिरफ्तार करते हैं तो वह कामरोको का विषय नहीं हो सकता। तो तीनों बातें इसमें नहीं हैं जो कामरोको प्रस्ताव के लिए आवश्यक हैं।

एक तो यह कि हाल ही में घटित घटना हो, जो कि यह नहीं है। इसको कल ही आ जाना चाहिए था जबकि यह आज आ रहा है। कल यही विषय नियम ५२ के अन्तर्गत आया था जबकि आप आज उसी को कामरोको प्रस्ताव के रूप में दे रहे हैं....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आप की राय में यह बात सही है कि सत्याग्रह वह नहीं है यदि किसी कानून को तोड़ा जाय। किन्तु हम विरोधी इस चीज का आदर करते हैं लेकिन आप जानते हैं कि आपके शहर फैजाबाद में सत्याग्रह १८ अगस्त को नहीं हुआ था लेकिन वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आप जानते हैं कि उक्त दिनांक को इलाहाबाद में सत्याग्रह नहीं हुआ था लेकिन वहां लाठी चार्ज हुआ। १८ जुलाई को कानपुर में सत्याग्रह नहीं हुआ था लेकिन वहां लाठी चार्ज हुआ, आपके लखनऊ में ही सत्याग्रह नहीं हुआ लेकिन लाठी चार्ज किया गया। आपको यह भी जान कर प्रसन्नता होगी कि इलाहाबाद में लाठी चार्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुयीं और लोग जेलखाने में भेज दिए गए लेकिन जिलाधीश के सामने केस जाने पर वे सब छोड़ दिए गए। अभी तो आपने रूलिंग दी, मैं समझता हूं कि प्रदर्शन करना व हड़ताल करना तो संविधान के अनुसार हमारे मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत आता है। ऐसे माननीय मन्त्री जो के मन में जो आवे वे करें लेकिन मैं समझता हूं कि अदालत के सामने केस जाने पर वे लोग फिर जेलखानों से छोड़ दिए जायेंगे। जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिंटेंडेंट उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। आप यह कह सकते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन जिलाधीश और पुलिस कप्तान सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और उन के आदेश से लाठीचार्ज हुआ और उन को गिरफ्तारी हुई और बाद में वह छोड़ दिए जाते हैं तो मैं समझता हूं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को सरकार ठीक से नहीं निभाती तो सरकार को और आप को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर अनावश्यक लाठी चार्ज या गोलीकाण्ड हो तो हमारी बात सुनी जाय। इस सदन में बीसों बार प्रस्ताव हुए और सरकार की तरफ से कहा गया कि अनावश्यक लाठी चार्ज और गोलीकाण्ड नहीं होंगे और अगर ऐसा होता है तो लोगों की आस्था सरकार की तरफ से खत्म होती है इसलिए सरकार अपने अधिकारियों को आदेश दे कि जबतक कोई ऐसी दुर्घटना न घटे कि लोगों की जानोमाल की रक्षा करना कठिन हो जाय तबतक लाठी चार्ज व गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिये और अगर सरकार की तरफ से स्वयं ही इस तरह से कानून तोड़ने की कोशिशें होंगी तो हम लोग कानून तोड़ने पर मजबूर होंगे।

श्री उग्रसेन--

आप ने वादा किया था कि आप जब बैठेंगे तो पहले सुने जायेंगे, इसीलिए मैं अब खड़ा हुआ हूं....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, इस सम्बन्ध में जो निर्णय सुने देना था वह मैं दे चुका और उस सम्बन्ध में कुछ बातें माननीय नेता एस० एस० पी० ने मेरे सामने रखीं परन्तु मैं उन को इस वक्त नहीं समझ रहा हूं। जब दोबारा इस पर विचार करेंगे तो देखा जायगा, लेकिन इस वक्त जो विषय रखा गया है उसके सम्बन्ध में जो निर्णय दिया गया है, वह ठीक है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैंने निवेदन किया कि इस तरह की व्यवस्था आप की ओर से होगी ऐसी हम उम्मीद नहीं करते थे। इसलिए मैं ५ मिनट के लिए अपने दल के साथ [* * *] सदन का त्याग करता हूं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गए।)

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, यह एडजर्नमेंट मोशन जो आज पेश किया गया है....

श्री अध्यक्ष--

जो कल नियम ५२ में दिया था वही आज कामरोको प्रस्ताव के रूप में आया है तो यह कल ही आ सकता था जो आज दे रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव--

मैं जरा स्पष्टीकरण दे दूं, शायद आपने उस को पूरा पढ़ा नहीं। गलतफहमी इस में आप को इसलिए हो रही है कि जो तथ्य कल नियम ५२ में दिए गए थे केवल वही इस में नहीं हैं। मैं कह रहा हूं कि उनको गलत पालिसी के अनुसार लाठीचार्ज हुआ, यह गांजीपुर के सम्बन्ध में कह रहा हूं और कानपुर में कल ६ आदमियों को लाक-अप में मारा गया और बल प्रयोग किया गया और अभी १५ मिनट पहले यहां पुलिस फोर्स ने सप्लाई आफिस के सामने लाठीचार्ज किया है....

श्री अध्यक्ष--

वह तथ्य हमारे सामने १५ मिनट पहले का नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव--

पुलिस ने कानपुर में लाक-अप में ६ आदमियों को पीटा ? गाजीपुर के सम्बन्ध में भी कल दिया था, आप इन दो चीजों में फर्क नहीं कर पा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--

मैंने ३ बातें बतायीं, उन्हीं के आधार पर मैं उसे अस्वीकार कर रहा हूं और इसलिए अब इस विषय को समाप्त किया जाता है।

श्री चन्द्रजीत यादव--

आप हमें इन्टरप्रेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कल जो विषय दिया था ५२ में वह आज इस में दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--

मैं कह रहा था कि समान विषय है।

[***] श्री अध्यक्ष क आदेशानुसार हटा दिया गया।

*श्री चन्द्रजीत यादव--

आप ने इस सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण रूलिंग दी है और आप की रूलिंग भविष्य के लिए भी प्रभावी हो जायगी, आपने खेर साहब की रूलिंग पढ़ दी और उसके मुताबिक आप ने अपनी रूलिंग भी दे दी। खेर साहब की रूलिंग यह नहीं है कि जो गारन्टी इस देश का संविधान देता है कि मीटिंग, प्रदर्शन, मूवमेंट पीसफुली कर सकते हैं, कोई वायलेंस नहीं शांतिपूर्ण सत्याग्रह किए जाते हैं और मोस्ट पीसफुली एक डिसिप्लिन्ड तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता सत्याग्रह करते हैं और इस तरह से वह सरकार की खाद्य नीति का विरोध करते हैं उस को यह कहना कि आपने अरेस्ट कोर्ट करना शुरू किया है और कानून भंग करते हैं, वह तो शांतिमय तरीके से संवैधानिक तरीके से एक काम हो रहा है और गिरफ्तारियों के खिलाफ कोई यह कामरोको प्रस्ताव नहीं लाया गया है लेकिन लाक-अप में मारपीट की जाय इसलिए कि लोग बैठकर नारे लगा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे उन पर हमला किया जाय इसकी रोशनी में आप अपनी रूलिंग पर पुनः विचार कर लें।

अन्यथा रूलिंग का अर्थ यह होगा कि बाहर चाहे जितना बड़ा मूवमेंट हो, सत्याग्रह हो और सरकार अपनी ताकत का पुरा इस्तेमाल करती रहे, लाठी चार्ज हो, गोली चले लेकिन आप कहेंगे कि आन्दोलन हो रहा है। जो कुछ सरकार कर रही है आप कुछ नहीं कर सकते।

दूसरी बात आपने कही कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से नहीं आती....

श्री अध्यक्ष—

अब आप बहस कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या मुख्य मन्त्री अपने हाथ से गोली चलायेंगी? सरकार प्रत्यक्ष रूप से नहीं आती तो कौन आता है? आप इस रूलिंग को बदलें नहीं तो हमको मजबूर हो कर उस रूलिंग को स्वीकार न करते हुए सदन का त्याग करना पड़ेगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था के प्रश्न में व्यवस्था नहीं होती।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि कोई सदस्य यहां यह कह कर बैठ सकता है कि अगर रूलिंग नहीं बदलेंगे तो हम वाक आउट कर जायंगे। क्या यह संसदीय परम्परा होगी?

श्री अध्यक्ष—

यह तो संसदीय परम्परा नहीं होगी। मैं समझता हूं इनडायरेक्ट थ्रेट नहीं होना चाहिए।

श्री लखपतराम शर्मा--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोई आदमी जब जेलखाने में होता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। माननीय चन्द्रजीत यादव ने जो नोटिस दिया, उनको गिरफ्तारी पर कोई एतराज नहीं है, उसमें उन्हों ने यह कहा कि जब कोई आदमी हवालात में पहुंच जाता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर है। उस सूरत में अगर लाठी चार्ज किया जाय तो यहा उस मामले को उठाया जा सकता है। जब सरकार सुरक्षा का भार ले चुकी है और उसकी मातहती में आदमी आ चुका है तो....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

किसी प्रश्न के महत्व और गाम्भीर्य को आंकना मेरा फर्ज है और मैं उसको आंकूंगा कि इतना गम्भीर है कोई विषय या नहीं। जब मैं समझूं कि गम्भीर विषय है तब आवश्यकता होगी उसको लेने की। यदि मैं उन तथ्यों से संतुष्ट नहीं हूं तो मैं उसे रूल आउट कर दूंगा। कोई नियम नहीं है कि गोली चलायी जाय और आदमी मारे जायं तो मैं काम-रोको प्रस्ताव न लूं। केवल मतलब यह है कि उसकी गम्भीरता तो मैं आंकूंगा। और इस नोटिस में जो तथ्य लिखे गए हैं वह इतने गम्भीर नहीं हैं जो काम-रोको प्रस्ताव के योग्य हों।

श्री जेड० ए० अहमद—

अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी गुजारिश आपके सामने रख दी। आपने माना नहीं इस लिए हम १५ मिनट के लिए वाक-आउट करते हैं।

(इसके पश्चात् कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गए।)

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि शायद आप तो कभी जेल गए नहीं। हम लोग जब कांग्रेस का सत्याग्रह करते थे और पुलिस जब लाठी चार्ज करती थी लाक-अप में तो असेम्बली में प्रश्न उठते थे और कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार होते थे। माननीय रघुवीरराम को पीटा गया। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न कि लाक-अप में मारा जाय और सरकार उसका कंट्राडिक्शन न करे तो माने यह हुए कि लाक-अप में लोग मारे गए। तो सरकार से आप बयान दिला दें या पूछ लें तब रूलिंग दें। बिना सोचे हुए आप रूलिंग दे देते हैं इस विरोध में हम ५ मिनट के लिए वाक-आउट करते हैं।

(तत्पश्चात् निर्दलीय दल के कुछ सदस्य सदन त्याग कर चले गए।)

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन्, आपकी [....]

श्री अध्यक्ष—

आप यह नहीं कह सकते। [....]

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं भी १५ मिनट के लिए वाक-आउट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप वह शब्द वापस लें [....] यह आप नहीं कह सकते।

श्री दीपनारायणसिंह—

इसलिए कह सकते हैं कि जनता को अधिकार है कि लाठी-चार्ज के खिलाफ कहे।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आदेश देता हूं कि आप इसको वापस लें।

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं इसको वापस नहीं लेता हूं। आपने जेल खाना देखा नहीं है। लाक-अप में जनता पर लाठी-चार्ज हुआ....

[....] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार हटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

तो मैं आपको आदेश देता हूं कि आप सदन छोड़ें।

श्री दीपनारायणसिंह--

मैं छोड़ रहा हूं [.....]

(तत्पश्चात् श्री दीपनारायणसिंह सदन छोड़ कर चले गए।)

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि नियमों में यह दिया हुआ है और जिस पर रूलिंग भी है कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ....

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, आपकी रूलिंग से जनतन्त्र खतरे में है। इसलिए हम भी १५ मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं।

(रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गए।)

श्री कल्पनाथसिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं। अभी माननीय रामसुन्दर पांडेय ने सदन का ५ मिनट के लिए त्याग करते हुए यह कहा कि आपकी व्यवस्था के विरोध में वे ५ मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय पांडेय जी का ध्यान नियम ३१८ की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिसमें यह लिखा हुआ है कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायेगी। मैं माननीय पांडेय जी से अपील करूंगा कि क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि सदन में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी, अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिन शब्दों का प्रयोग माननीय रामसुन्दर पांडेय ने किया है वे प्रोसीडिंग के भाग से निकाल दिए जायं।

श्री अध्यक्ष--

वे भी निकाल दिए जायेंगे और जिन शब्दों का चेयर के विरुद्ध प्रयोग किया गया है वे भी निकाल दिए जायेंगे।

श्री उग्रसेन--

आपने अभी कहा है कि माननीय रामसुन्दर जी के उन शब्दों को प्रोसीडिंग से निकाल दिया जायगा जो उन्होंने चेयर के विरुद्ध कहे हैं। माननीय टंडन जी और माननीय खेर जी के जमाने में हमने कई बार अंग्रेजी का शब्द है "प्रोटेस्ट" किया पर उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप माननीय खेर की रूलिंग को देखें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि "विरोध में हम जाते हैं" ये शब्द संसदीय नहीं हैं।

श्री उग्रसेन--

मैं आपको दिखा दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

कहीं नहीं है।

[....] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, कल मैं पेश करूंगा।

श्री अध्यक्ष---

लकिन सम्प्रति यह है कि जो आदेश हो चुके हैं वे वापस नहीं लिए जायेंगे। जब मैं देख लूंगा तब आप व्यवस्था का प्रश्न कीजिएगा।

कानपुर तथा बाराबंकी जिलों में राजकीय कर्मचारियों द्वारा डेवलपमेंट लोन के नाम पर जबरदस्ती धन वसूल किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने श्री रक्षपाल सिंह की प्रार्थना स्वीकार की है। वह इस प्रकार है:

"उ० प्र० के लिए डेवलपमेंट लोन नाम से एक बहुत बड़ी धनराशि राजकीय कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती वसूल की जा रही है। विशेष रूप से कानपुर जिले के झींझक, रूरा, अकबरपुर, आदि क्षेत्रों तथा बाराबंकी जिले में सरकारी कर्मचारी जबरदस्ती धन वसूली कर रहे हैं। कानपुर से सूचना मिली है कि काश्तकारों से बिना रसीद दिए भी रुपया वसूल किया जा रहा है।

राजकीय कार्यालयों में जो लोग काम कराने जाते हैं उनसे लोन हेतु बांड खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है। जो लोन नहीं ले सकते उनसे केवल २ से ४ प्रतिशत तक कमीशन लेकर बांड किसी महाजन को दे देते हैं।

इस जबरदस्ती वसूली से पूरे प्रदेश में सरकार के प्रति उत्तेजना का वातावरण व्याप्त हो गया है। जबरदस्ती वसूली की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया, परन्तु कोई हल न निकला। अस्तु उत्तेजना अधिक बढ़ रही है।"

इसको मैंने स्वीकार किया है और इस पर २ सितम्बर, १९६४ को वक्तव्य होगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, देवरिया जिले के रुद्रपुर राप्ती के बाढ़ क्षेत्र के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत दी थी....

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना आपकी एवं माननीय कृष्णा राय, उग्रसेन, बांकेलाल, एवं लखीसिंह की है। इसको मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया है लेकिन उसको माननीय खाद्य मन्त्री के पास भेज दिया है और वे उस पर आगामी मंगलवार को अपना वक्तव्य देंगे।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि एक थानेदार अपनी श्रीमती जी को बन्दूक चलाना सिखा रहे थे।

श्री अध्यक्ष—

यह बात अनियमित है, आप बैठ जाइए।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैं इस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि कल यह बात तय हुई थी कि जरा हाउस के अन्दर समुचित तरीके से काम हो। एक साथ सब लोग खड़े हों और चिल्लायें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। मैं देख रही हूं कि उसी प्रकार से अब भी काम हो रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या इस तरह से आपकी तरफ इशारा करके किसी को नियम और व्यवस्थाकराने का अधिकार है?

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि जो सदस्य इस सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से और व्यवस्था के अनुसार चलाना चाहत हैं, उनको अधिकार है कि इस बात की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित करे कि अब अव्यवस्था हो रही है। जब यह तय हो चुका है कि नियम ५२ के अन्तर्गत १ ही प्रश्न लिया जा सकता है और वह ले लिया गया है। फिर भी बार-बार उस पर अव्यवस्था पैदा हो रही है, तो उनको अधिकार है कि इस तरफ ध्यान दिलावें।

राजकीय इन्टर कालेज, लखीमपुर के दो छात्रों द्वारा भूख-हड़ताल किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

माननीय सदस्य श्री तेजनारायण त्रिवेदी, श्री छेदालाल, श्री बंकटासिंह तथा श्री रामभजन शर्मा जी ने राजकीय इन्टर कालेज, लखीमपुर के दो छात्रों द्वारा भूख-हड़ताल के विषय में सदन का ध्यान आकर्षित किया है। राजकीय इन्टर कालेज, लखीमपुर को जुलाई, १९६३ में इन्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण किया गया था और वहां विज्ञान तथा साहित्यिक विषय रखे गये थे। इन साहित्यिक विषयों को पढ़ाने के लिये दो लेक्चरारों की नियुक्ति उसी वक्त जुलाई-अगस्त में कर दी गई थी। उर्दू के लेक्चरार ने भी सितम्बर में अपना कार्यभार सम्भाल लिया था।

विज्ञान के अध्यापकों की समान रूप में कुछ कठिनाई रहती है। गणित तथा जीव विज्ञान के लेक्चरार की नियुक्ति तो अगस्त तक हो चुकी थी, तथा रसायनिक विज्ञान के अध्यापक की नियुक्ति जुलाई, १९६३ में कर दी गई थी। लेकिन उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया। सितम्बर के तीसरे सप्ताह में एक दूसरे अध्यापक की नियुक्ति की गई, जिन्होंने अपना कार्य-भार ले लिया। भौतिकी के लेक्चरार के पद पर श्री रामेश्वर दयाल की नियुक्ति १९ जुलाई को हो गई किन्तु उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। शिक्षा निदेशक, क्षेत्रीय उप निदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, लखीमपुर एवं कालेज के प्रिन्सिपल द्वारा भौतिक लेक्चरार के लिये प्रयास किया गया, किन्तु कोई भी उपलब्ध न हो सका। कुछ समय पश्चा दिसम्बर, १९६३ में शिक्षा निदेशक ने एक और अन्य सज्जन की नियुक्ति की, किन्तु उन्होंने भी तत्काल पदभार ग्रहण नहीं किया, और समय बढ़ाने की मांग बराबर करते रहे। किन्तु और कोई उपलब्ध नहीं था, अतः उनकी प्रतीक्षा में रहे। जब उन्होंने मई, १९६४ तक ज्वाइन नहीं किया तो

नियुक्ति के आदेश रद्द कर दिये गये। अब अगस्त, १९६४ में एक अन्य लेक्चरार की नियुक्ति भी की गई। किन्तु वे भी अभी नहीं पहुंचे हैं। २४ अगस्त को पुनः एक लेक्चरार की नियुक्ति के आदेश दिये गये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पिछले सत्र में भौतिक विज्ञान का कोई लेक्चरार नहीं रहा, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां कोई पढ़ाई नहीं हुई। एल० टी० ग्रेड, बी० एस० सी० जो हाई स्कूल कक्षाओं को पढ़ाते थे उन्होंने ही पढ़ाने का काम लिया। साथ ही साथ रसायन विज्ञान के लेक्चरार जो एम० एस० सी० थे, और जिन्होंने बी० एस० सी० तक भौतिक विज्ञान भी पढ़ा था, भौतिक विज्ञान की शिक्षा दे रहे थे। साहित्यिक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये व्यवस्था कर दी गई थी, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। विज्ञान के अध्यापकों की बहुत कमी रहती है। विद्यार्थियों की इच्छा को देखते हुए विज्ञान की कक्षाओं की बढ़ोत्तरी कर रहे हैं, किन्तु जिस मात्रा में बढ़ोत्तरी हो रही है, उसको देखते हुए विज्ञान के लेक्चरार्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिये पिछले वर्ष में एक नई योजना कंडेस्ड डिप्लोमा कोर्स के रूप में इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों में चालू हुई है। इस वर्ष इस योजना का और भी प्रसार किया जा रहा है और इन दो विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त आगरा विश्वविद्यालय के तीन कालेजों में भी यह कोर्स चालू किया जायगा।

जब किसी विद्यालय को विषय की बढ़ोत्तरी के कारण शीघ्र ही उच्चीकरण करने की आवश्यकता होती है तो वहां समान रूप में भवन निर्माण तुरन्त आरम्भ नहीं हो पाता है। ऐसा ही यहां भी हुआ है यद्यपि दसवीं कक्षा तक जिन प्रयोगशालाओं में कार्य होता था उन्हीं प्रयोगशालाओं में इन विद्यार्थियों को भी पढ़ाया गया। प्रयोगशाला की सज्जा पर्याप्त है और दो अतिरिक्त कमरों में जीव-विज्ञान और भौतिक विज्ञान की प्रयोगशालायें स्थापित की गईं। विद्यालय में चार कमरे बढ़ाये जा रहे हैं। क्षेत्रीय उप निदेशक, लखनऊ से ज्ञात हुआ है कि १९ अगस्त, १९६४ को लखीमपुर वह सामान्य दौरे पर गये तो वह उस विद्यालय में भी पहुंचे। वहां कोई भी अभिभावक उपस्थित नहीं था और न वहां कोई पहुंचा, जहां वह ठहरे थे। इसलिये उनसे किसी की भेंट नहीं हुई और न उन्हें कोई शिकायत मिली। हां, कुछ विद्यार्थी अवश्य उनके पास सामूहिक रूप में विज्ञान शिक्षा की कठिनाइयां बताने के लिये आये जिनको उप निदेशक ने आश्वस्त किया कि विज्ञान के लेक्चरारों की उपलब्धि में कठिनाई है और विभाग के द्वारा जो प्रयास हुआ है, वह भी बताया। विद्यार्थी इससे संतुष्ट हुए और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भौतिक विज्ञान के लेक्चरार की नियुक्ति करने का सतत् प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने किसी विद्यार्थी को यह शब्द नहीं कहे कि "स्कूल से अपना नाम कटा लो"। अपने दौरे के समय ही उन्होंने एक दूसरी संस्था वाई० डी० डिग्री कालेज के प्रिंसिपल से भी बातचीत की और उनके सहयोग में ऐसी व्यवस्था की कि जब तक भौतिक विज्ञान के लेक्चरार की नियुक्ति न हो सके वह राजकीय कालेज में भी भौतिक विज्ञान की शिक्षा देते रहेंगे। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि दोनों विद्यार्थियों ने २४ अगस्त, १९६४ को भूख-हड़ताल समाप्त कर दी है और लखीमपुर नगर में वातावरण शान्त है।

श्री तेजनारायण त्रिवेदी (जिला खीरी)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो अस्थाई प्रबन्ध हुआ, वह किन कंडीशंस पर हुआ है और तब तक चलेगा जब तक स्थाई प्रबन्ध न हो जाय?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि भौतिक विज्ञान के लेक्चरार नहीं मिल रहे हैं तो वहां जो डिग्री कालेज है वहां के हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट से मिल कर यह प्रबन्ध किया गया है कि जो समय उनके पास बचता है उसमें वह यहां के विद्यार्थियों को भी भौतिक विज्ञान पढ़ा दें और ऐसा

[श्री कैलाशप्रकाश]

टाइम टेबिल अरेंज किया गया है जिससे वे दोनों जगह पढ़ा सकें और पढ़ाने के कार्य के लिये उनको पारिश्रमिक दिया जायगा ।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विज्ञान के अध्यापकों के अतिरिक्त साहित्य के अध्यापक की व्यवस्था कब की गई और किन-किन विषयों में की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, यह जो संस्था है जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं पहले हाई स्कूल था और विज्ञान भी था और वहां पर बी० एस० सी०, एल० टी० विज्ञान पढ़ाने को मौजूद हैं, इसको इंटर किया गया और विशेषकर भौतिक विज्ञान के लेक्चरार मिलते नहीं हैं इसलिये इनके द्वारा ही काम चलाया गया ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुल कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो इन मास्टर जी से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनके बैठने की भी कोई व्यवस्था है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, यह तो सूचना इस समय मेरे पास नहीं है कि कितने विद्यार्थियों ने ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश पाया है और मैं निवेदन कर चुका हूं कि जो प्रयोगशालायें हाई स्कूल कक्षाओं के लिये थीं, वहां टाइम टेबिल ऐसा बनाया गया कि ग्यारहवीं कक्षा भी उनमें ही कार्य करे ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

श्रीमन्, प्रदेश में रसायन और भौतिक विज्ञान के अध्यापकों की बहुत कमी है और इनके भर्ती में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसको देखते हुए क्या मंत्री जी अन्य विद्यालयों में भी विश्वविद्यालयों के अलावा इनकी कक्षा खोलने पर विचार करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, इस प्रकार की जानकारी है कि विशेष रूप से कमी है प्राइवेट संस्थाओं में भी और राजकीय संस्थाओं में भी, लेकिन हमारा प्रयत्न यह रहता है कि पोस्ट ग्रेजुएट की कक्षा उन्हीं विद्यालय में खुलें जिनके पास ऐसे साधन हों जो उसे दे सकें और ऐसे ही विद्यालयों को हम मान्यता देते हैं ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

यह भूख-हड़ताल ऐसी बात हो गयी जो अब बार-बार होने लगी है। तो क्या सरकार उन विद्यार्थियों के खिलाफ यह सिफारिश करेगी कि उस विद्यार्थी के खिलाफ एटेम्टटु सुसाइड में मुकदमा चलाया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

वह अव्यवस्था तो है ही, सरकार उसको देखेगी ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार जो बलवा या किसी अन्य कार्यवाही में सजा पाये हुए या जुर्माना जिन पर हुआ हो उन विद्यार्थियों को दोबारा एडमिशन होने को उचित समझती है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

मैं इस पर सदन में निवेदन कर चुका हूं कि विद्यार्थियों की ओर से अगर कोई अनुशासन-हीनता की बात होती है तो वह उचित नहीं है। विशेषकर इसलिये भी कि शिक्षा एक शान्त वातावरण में दी जा सकती है किन्तु यदि कोई विद्यार्थी ऐसा कोई काम करे तो हर अवस्था में और हर दशा में उसको अवश्य सजा दी ही जाय, यह उचित नहीं है। जब मेरे पास यह सूचना आयी तो जिन अभिभावकों द्वारा यह सूचना मिली उनसे मैंने निवेदन किया कि वे विद्यार्थियों से यह बात कह दें कि अगर उनको कोई कठिनाई है तो उन कठिनाइयों को नियमित रूप से सामने रखें और उनको दूर करने की कोशिश की जायेगी, लेकिन इस तरीके से साधन अपनाना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। जो माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनको इस तरह की सजा दी जाय, तो वह तो परिस्थितियों के अनुसार ही हो सकता है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

अभी मंत्री जी ने कहा कि अध्यापकों का ट्रांसफर हो जाता है और वह महीने दो महीने और कभी-कभी तो पूरा समय बीत जाता है, नहीं पहुंचते। हमारे फतेहपुर में ऐसी घटनायें हैं कि वहां कालेज में कैमिस्ट्री के टीचर नहीं हैं। उनका ट्रांसफर हुए बहुत समय हो गया। तो क्या मंत्री जी यह व्यवस्था करेंगे कि अध्यापक का ट्रांसफर हो तो दूसरा टीचर वहां पहुंच जाय जिससे पढ़ाई में अव्यवस्था न हो ?

श्री कैलाशप्रकाश--

मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह नियुक्तियों के बारे में है। लेक्चरर की कमी है, उनकी नियुक्ति होती है लेकिन उनको स्थान अधिक मिलते हैं और इसलिये वे नियुक्ति होने के पश्चात् भी नहीं आते हैं। यह सही बात है कि जिसका स्थानान्तरण हो, उसको नियमित रूप से ज्वाइन कर लेना चाहिये।

श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से ऐसा मालूम होता है कि उसमें पूरे साल इन्टरमिडिएट कक्षाओं में कुछ अध्यापक नहीं रहे, तो क्या माननीय मंत्री जी इस वर्ष वार्षिक परीक्षा में उन लड़कों को कुछ ग्रेस मार्क्स दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अध्यापक तो रहे लेकिन लेक्चरार नहीं रहे।

श्री तेजनारायण त्रिवेदी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि तब वहां पर यह व्यवस्था क्यों की गई कि डिग्री कालेज से अध्यापक वहां आकर पढ़ायें ?

श्री अध्यक्ष—

वहां पर लेक्चरार पढ़ाने के लिये नहीं रहे, इस वजह से यह किया गया।

श्री तेजनारायण त्रिवेदी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर फिजिक्स की कक्षाओं के लिये टेबिल का प्रबन्ध नहीं किया गया जिससे लड़कों के प्रैक्टिकल नहीं हो सके, तो इसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैंने कहा कि जगह की कमी है जो पूरी की जा रही है ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन अध्यापकों की नियुक्ति राजकीय विद्यालय, लखीमपुर में हुई वह क्यों वहां पर नहीं पहुंचे ? वह स्थानान्तरित नियुक्ति थी या नवीन नियुक्ति थी ? वहां पर न पहुंचने का क्या कारण था ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं निवेदन कर चुका हूं जैसा कि वक्तव्य से जाहिर होता है वह नई नियुक्ति थी। किसी को नियुक्त किया जाय तो प्रार्थना-पत्र देता है और बहुत-सी जगह देता है जहां उसको अच्छा लगता है । वहां चला जाता है । यहां से नियुक्ति भेजी गई । उन्होंने नहीं ज्वाइन किया ।

नियम ५२ के अन्तर्गत मंत्री के वक्तव्य की अग्रिम प्रति की मांग

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियम ५२ के अन्दर जो आप सूचना दिलाते हैं या केवल सूचना ही दिलाते हैं, तो जो सूचना देने वाला सदस्य है उसको भी सरकारी सूचना उपलब्ध होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर विचार कर रहा हूं कि आपके पास और मेरे पास भी सूचना आ जाय।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने के हेतु यह सदन अनुज्ञा प्रदान करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा —

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ८५८-८६३ पर)

१७ अगस्त, १९६४ को निलम्बन संबंधी प्रक्रिया के संबंध में उठाये गये प्रश्न पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वरप्रसाद ने २, ३ प्रश्न उपस्थित किये हैं। एक तो उनका यह कहना है कि पिछली बार जब माननीय टम्बेश्वरप्रसाद और माननीय चन्द्रबलीसिंह इंगित किये गये तो नियम २९९ के अनुसार उनसे यह नहीं कहा गया कि वे सदन छोड़ें। उनका आग्रह है

कि नियम २९९ में यह दिया हुआ है आवश्यक है कि पहले सदन छोड़ने तथा वहिर्गमन का आदेश इस आसन से दिया जाय और फिर भी अगर माननीय सदस्य सदन न छोड़े तब ही उनको इंगित किया जा सकता है। यह उनकी आपत्ति है। २९९ को मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैं कुछ नहीं कर रहा था, केवल खड़े होकर अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर रहा था, यह तो हर सदस्य का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

"अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाय वह तत्काल बाहर चला जायगा और उस दिन के पश्चात् उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेगा।

यदि कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा उपर्युक्त उपनियम के अन्तर्गत बाहर चले जाने के आदेश के दिये जाने पर उसका पालन न करे या यदि किसी सदस्य को एक ही सत्र में दूसरे बार बाहर चले जाने का आदेश दिया गया हो तो अध्यक्ष उसको इंगित कर सकेंगे। जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जाय सदन नेता तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि उस सदस्य को ऐसी कालावधि के लिये जिसका प्रस्ताव में उल्लेख हो, सदन की सेवा से निलंबित किया जाय, परन्तु ऐसे प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं होगी।"

माननीय सदस्य का यह कहना है और कार्यवाही को मैंने पढ़ा, उससे यह व्यक्त होता है कि माननीय सदस्य से यह नहीं कहा गया कि वह सदन के बाहर जायं और इस कारण से जहां तक उस नियम का संबंध है यह बहस हो सकती है कि प्रक्रिया का अनुसरण नहीं हुआ। माननीय टम्बेश्वर प्रसाद ने इसी प्रकार का प्रश्न पहले भी उठाया था।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन सुन लें। नियमों के निलंबन का अध्यक्ष को अधिकार है, लेकिन जब कि एक सदस्य को इस सदन की सेवाओं से बाहर करने का प्रश्न हो और वह भी कितने दिन का प्रश्न हो क्या उस समय भी यह उचित है कि वह नियमों का पालन न करें? आपने यह भी किया है कि आपने बुलाया, इंगित कराया और बाहर कर दिया, लेकिन हमने उसको रिजेन्ट नहीं किया, दिन भर के लिये बाहर कर दिया। लेकिन जब कि पीठासीन अधिकारी उसके पहले सरकार का रुख देख चुके हों और एक-एक मास की भर्ती कट रही हों उस समय नियमों का पालन न हो, तो आप उस समय के महत्व को ध्यान में रखकर रूलिंग दें, सामान्य प्रक्रिया की बात सामने न रखें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने इसी प्रकार का प्रश्न सन् १९६२ में भी उठाया था। १५ अक्तूबर को अध्यक्ष ने अपना निर्णय देते हुए कहा, "माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने यह उठाया था कि जिस समय मैंने माननीय नाथूराम शिक्षक तथा माननीय लखी सिंह को इंगित किया था उस समय मैंने नियमों के अन्तर्गत सदन छोड़ने का आदेश नहीं दिया और चूंकि मैंने उनको सदन छोड़ने का आदेश नहीं दिया था, इस कारण उनका कहना है कि मैं उनको इंगित नहीं कर सकता था। मैंने कार्यवाही देखी। आपका इतना आक्षेप सही है कि मैंने उनको इंगित करने से पूर्व सदन छोड़ने का आदेश नहीं दिया था। मैंने उस दिन की कार्यवाही पढ़ी, यह गलती हो गयी। लेकिन प्रश्न अब यह है कि यदि सदन एक प्रस्ताव स्वीकृत कर चुका है, तो क्या किसी प्वाइन्ट आफ आर्डर पर वह सदन का प्रस्ताव निरस्त

[श्री अध्यक्ष]

हो सकता है ? सदन के सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और वह स्वीकृत हो गया। तो मैं समझता हूं कि कोई भी कार्यवाही जो प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है वह किसी प्रक्रिया की गलती से नाजायज या अनियमित नहीं हो सकती।"

इसके बाद माननीय कमला सिंह जी ने फिर प्रश्न उठाया था माननीय मैनेजर सिंह तथा मुझ और महानुभाव इंगित हुए थे उनके संबंध में, तो उस संबंध में जो मैंने आदेश दिया था और जिसकी प्रतिलिपि मैंने माननीय कमला सिंह जी को भी भेजी थी, वह भी मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं "श्री कमला सिंह का पत्र मैंने पढ़ा। मैंने सदन में भी स्पष्ट कर दिया है और अब लिखित रूप से भी स्पष्ट करता हूं कि नियम २९९ केवल सदस्यों को बाहर चले जाने की आज्ञा देने की शक्ति से संबंधित है।" अगर आप नियम २९९ को देखें तो इसका शीर्षक यह है "किसी सदस्य को बाहर चले जाने की आज्ञा देने की या सदन को स्थगित करने या उपवेशन को निलम्बन करने की अध्यक्ष की शक्ति।" तो उसका शीर्षक और उसका विषय दोनों ही देख कर मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि नियम २९९ केवल सदस्यों को बाहर चले जाने की आज्ञा देने की शक्ति से ही संबंधित है। सदन से बाहर जाने के आदेश का पालन न होने पर, अध्यक्ष इंगित करने की भी कार्यवाही कर सकते हैं ताकि अवज्ञाकर्ता सदस्य को बाहर चले जाने के आदेश को न पालन करने पर दंडित किया जा सके। नियम २९९ का मन्तव्य अध्यक्ष के इंगित करने की समस्त शक्तियों को परिसीमित करने का नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं अध्याय २० का अंश (ज) को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि २९९ केवल (क) किसी सदस्य को बाहर चले जाने की आज्ञा देने (ख) सदन को स्थगित करने (ग) सदन के उपवेशन को निलम्बन करने की शक्तियों से संबंधित है न कि उन परिस्थितियों से कि किन परिस्थितियों में किसी सदस्य का निलम्बन सदन की सेवाओं से हो सकता है।"

नियम ३ में परिभाषायें देते हुए इंगित करने की परिभाषा निम्न प्रकार से की गई है—

"सदस्य को इंगित करने" का तात्पर्य किसी सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने के विचार से उसके आचरण की ओर अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान आकृष्ट किये जाने से है।"

इस परिभाषा में भी हमें कोई संकेत ऐसा नहीं मिलता कि अध्यक्ष के समक्ष इंगित करने की शक्तियां नियम २९९ से परिसीमित हैं। मैं समझता हूं कि जब कभी अध्यक्ष का मत यह हो कि सदस्य का व्यवहार इतना अनुपयुक्त और अनुचित है कि उसका परिमार्जन सदस्य के केवल बाहर चले जाने की आज्ञा से नहीं होता अर्थात् दूसरे शब्दों में सदन के परित्याग का आदेश अध्यक्ष के मत में अपर्याप्त परिहार है तो अध्यक्ष ऐसी अवस्था में सदस्य को इंगित कर सकता है अर्थात् उक्त सदस्य के अव्यवस्थापूर्ण व्यवहार के प्रति सदन का ध्यान आकृष्ट करके उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये सदन को आमंत्रित कर सकता है।

मेरा मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को इंगित करना हो तो इसके लिये आवश्यक नहीं है कि हम किसी माननीय सदस्य से यह कहें कि सदन छोड़ो और अगर वे नहीं छोड़ते हैं तभी इंगित करें। हो सकता है कि किसी माननीय सदस्य को हम आदेश देते हैं कि वे सदन छोड़ें तो वह उसी दिन के लिये निलम्बित किया जायेगा, लेकिन मेरा मत है कि अगर किसी माननीय सदस्य का व्यवहार ऐसा है कि जो इस आसन पर बैठे माननीय सदस्य के मत में इतना अव्यवस्थापूर्ण हो कि केवल उनको उस दिन के लिये सदन से निकालना पर्याप्त न समझा जाय तो उनको फौरन इंगित कर सकते हैं। ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में भी यही बात स्वीकार की गई है और वहां भी यह प्रथा है जिसको मान लिया गया है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुये यदि किसी माननीय सदस्य को यह बात नहीं कही गई है कि आप बाहर जायें और उनको तत्काल इंगित कर दिया गया, तो उससे कोई प्रक्रिया का दोष पैदा नहीं होता।

अब मैं ४६८-४६९ का उद्धरण "मेय पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" से देना चाहूंगा, वह इस प्रकार है :—

"To prevent any Member being taken unawares it is usual for the Speaker or the Chairman repeatedly to warn any Member who may be transgressing the rules of debate or otherwise conductig himself in a disorderly manner, before ordering him to withdraw from the House or naming him. When, however, a Member persists in disorderly conduct or conducts himself in a grossly disorderly manner, the Speaker is enjoined by S. O. no. 21 either (1) forthwith to order him to withdraw from the House for the remainder of the sitting (1), or (2), if he thinks the authority and dignity of the House would not be sufficiently vindicated by excluding the offender from the House for the remainder of the sitting, to name him (m)."

तो इसको ध्यान में रखते हुये मैंने अपना यही मत २९९ के संबंध में निश्चित किया है और यही बराबर समझता रहा हूं.....

एक सदस्य—

श्रीमन्, आप अंग्रेजी में कह गये और उसका मतलब नहीं समझाया ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, अच्छा । जो मैंने अभी अंग्रेजी में पढ़ा है उसका मतलब है कि अगर इस पीठासीन सदस्य की समझ में कोई व्यवहार किसी सदस्य का इतना अव्यवस्थापूर्ण प्रतीत हो कि केवल सदन को छोड़ देने का आदेश पर्याप्त न समझा जावे, और वह समझे कि अधिक दण्ड देना चाहिये, तो वह इंगित कर सकते हैं। तो अगर वह समझते हैं कि सदन की मर्यादाओं को तथा सदन की गरिमा के संरक्षण के लिये यह आवश्यक है कि ऐसी अव्यवस्थापूर्ण व्यक्ति को दण्ड दिया जाय तो वह उनको इंगित कर सकते हैं । बिना यह कहे हुये कि आप सदन छोड़िये, इंगित किया जा सकता है। उसका कारण यह है कि किसी सदस्य से यह कहना कि आप सदन त्याग कीजिये, कोई सजा नहीं है, वह चला जाता है। इंगित करने का फल यह हो जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि कम से कम ५ दिन के लिये वह सदन की सेवा से वंचित हो जाता है.....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

तो क्या आपने आर्बिट्रेरी जजमेंट से, अपनी इच्छा से वह लगा लेते हैं.....

श्री अध्यक्ष—

वह फैक्ट्स की बात आ जाती है । वह दूसरी चीज है । तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि जो आदेश हुआ वह ठीक है । अब केवल प्रश्न यह रह जाता है कि (व्यवधान)..... क्या माननीय सदस्य का उस समय व्यवहार अव्यवस्थित था या नहीं था । यह क्वेश्चन आफ फैक्ट्स है। जो माननीय सदस्य यहां बैठे हुये थे उन्होंने अपना एक मत स्थिर किया, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, उसको सदन ने स्वीकार किया। तो अब उस क्वेश्चन आफ फैक्ट पर जाना बड़ा मुश्किल है । यद्यपि जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसमें यह कहा गया है कि माननीय टम्बेश्वरप्रसाद ने पीठासीन महानुभाव के लिये यह कहा कि आप अनर्गल बातें कर रहे हैं, आपका कहना यह है कि ऐसी बात नहीं कही । यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिसके सम्बन्ध में अन्वेषण की आवश्यकता पड़ सकती है । लेकिन जो बात हमारे रेकार्ड में है उससे मालूम होता है कि जो पीठासीन उपाध्यक्ष महोदय उस समय थे उन्होंने यह बात सुनी और उसी के आधार पर उन्होंने इंगित किया ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रबली सिंह ने क्या कहा था ? जरा यह भी बता दीजिये गा । उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा था । मैं इसलिये इसको लाना चाहता था कि प्रोसीडिंग किस तरह ठीक हो सकती है ? मैंने लेखक से भी बात की है.....

श्री अध्यक्ष---

अब दूसरी बात यह है कि माननीय चन्द्रबली सिंह ने कुछ नहीं कहा या आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस से इंकार नहीं है कि उस वक्त आप लोग खड़े थे और व्यवस्था को आपने उस समय तोड़ा था कि जिस के कारण से इस सदन की कार्यवाही नहीं चल रही थी । चाहे आप अकेले हों चाहे सामूहिक रूप से सब लोग रहे हों, लेकिन एक अव्यवस्था सदन में उत्पन्न हुई, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं । और फिर एक बात जो समाप्त हो गई है उसको फिर से खोलना.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैंने यह प्रस्ताव इसलिये आपके सामने भेजा है, मेरा स्पेसिफिक चार्ज यह रहा है कि उस दिन का हमारा निलम्बन अनियमित था । जब आगे की लाइन में माधो बाबू और एक दर्जन लोग खड़े हों, और मैं और माननीय चन्द्रबली सिंह पीछे खड़े हों उनको छोड़कर हमको निलम्बित किया जाय तो यह पीठासीन अधिकारी की नीयत पर शंका प्रकट करता है । तो आप इसमें कोई बुरा न मानें, अगर सरकारी पक्ष के लोग गलती कर के इस्तीफा न दें तो वह बात दूसरी है लेकिन चेयर तीन-तीन बार अनियमित कार्य करके भी इस्तीफा न दे, तो चेयर मुझे भी इतनी स्वतंत्रता दे कि मैं अपने विचार अपने सदन में रखूं जो कि मेरे अन्दर उत्पन्न हों ।

श्री अध्यक्ष---

जो कानूनी बात थी, नियमों के निर्वचन का जो प्रश्न था, मैंने रखा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

फैक्ट्स जो आपने छोड़ दिये, उनके ऊपर आपने कुछ नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष---

जो बातें समाप्त हो गयी हैं, उनको समाप्त हो जाने दीजिये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

तीन सदस्यों को एक साथ इंगित किया गया और तीनों को निकालने का एक साथ प्रस्ताव कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष---

बात दरअसल यह है कि हमारी कार्यवाहियों में कोई ऐसा प्रीसीडेंस नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि गलत हुआ या सही हुआ । इस संबंध में 'मे' को मैंने स्टडी किया था, माधो प्रसाद जी भी उसको देख लें । ज्वाइन्टली या सीवियरली परसन्स अगर अव्यवस्था पैदा करते हैं तो उनको ज्वाइन्टली अथवा सीवियरली इंगित किया जा सकता है । ऐसा 'मे' में है । हमारे यहां इसके बारे में कोई प्रीसीडेंस नहीं है जिससे समझा जा सके कि वह गुड कांशस में हुआ या क्या। जब हमारेयहां कोई बात नहीं होती तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही हम अनुसरण करते हैं ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

आपने सात समुद्र पार पार्लियामेंट की बात तो बतायी लेकिन सदस्य उस दिन यहां जो बैठे हुये थे उनकी बात भी सुन लीजिये । उस समय स्थिति ऐसी थी कि सदस्य को एक-एक करके इंगित करना नामुमकिन हो गया था । उपाध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि अगर आप लोगों को काम नहीं करने देना चाहते हों, तो आप सदन छोड़ कर चले जाइये ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें आप क्या बहस कर रहे हैं । किसी व्यक्ति विपक्षी की बात तो तब सुनी जाती है जब उसके अधिकार के बारे में कोई फैसला दिया जाय । अगर इसमें आपका कोई संबंध हो तो मैं आपसे अवश्य पूछ लेता ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं हैरान हूं कल से जो यहां बातचीत हो रही है, उसको सुन कर । जन-संघ के नेता जी से मेरी बातचीत हुई और फिर एक फैसला हुआ । इसके बाद मैं नहीं समझती थी कि ये बातें फिर से सदन में उठाई जायेंगी । अगर ऐसा समझते तो एग्रीमेंट ही न होता । माननीय सदस्य पहले अपने नेता से तो बातचीत कर लें । अगर एग्रीमेंट नहीं करना है तो उसको तोड़ कर फिर बातचीत की जाय, मुझे कोई ऐतराज न होगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, यह तो बिलकुल व्यक्तिगत बात है । यह बात तो अध्यक्ष की व्यवस्था से संबंधित है । सदन के अध्यक्ष से तो हम सदैव ही निवेदन कर सकते हैं । कल डाक्टर अहमद साहब कह रहे थे कि उनको एक माह के लिये निलम्बित कर दिया गया.....

श्री अध्यक्ष—

अब तो वे बातें समाप्त हो गयीं ।

अब माननीय टम्बेश्वर प्रसाद ने, मैंने जो कहा था उसकी पकड़ की है । मैं जब उठने लगा २१ तारीख को, तो मैंने यह कहा था—"दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं । चूंकि विरोधी दल इस समय नहीं है अतः माननीया मुख्य मंत्री इस ओर ध्यान दें कि कांग्रेस वालों का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है कि वे बैठकर कार्यवाही में भाग लें । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि परसों जब मैं यहां से उठ कर गया तो महापालिका विधेयक पर विचार हो रहा था, उस समय कोरम नहीं रहा । यह गलत बात है ।" अब मैंने जो शब्द प्रयोग किये हैं उसका मतलब निकाला जा सकता है कि जब मैं उठ रहा था तब कोरम नहीं था । मेरा मतलब यह नहीं है । मैं जब यहाँ से उठा तो ५ मिनट के बाद ही घंटी बजी । पूछने पर मालूम हुआ कि कोरम नहीं था । यानी उसका मतलब यह था कि जब मैं यहां से उठ कर चला गया और उसके बाद जब नगरमहापालिका विधेयक पर विचार हो रहा था, उस समय कोरम नहीं था । मैंने उसका मतलब अब साफ कर दिया । अब यह विषय समाप्त हो गया ।

श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैंने कई बार यहां सुना कि माननीय सुचेता जी बार-बार धमकी देती हैं....

श्री अध्यक्ष—

वह खतम हो गया ।

श्री विश्वनाथप्रसाद—

मेरी बात आप सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष—

किसी माननीय सदस्य के सम्बन्ध में यह कहना कि वे धमकी देते हैं, उनकी नियत पर आक्रमण करना है ।

श्री विश्वनाथप्रसाद—

फिर मैं क्या कहूं, आप ही शब्द बतला दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप तथ्य रखें ।

श्री विश्वनाथप्रसाद—

मैं तथ्य ही रख रहा हूं । जिस समय मैं यहां बहस कर रहा हूं तब आप यह कहें कि आप बाहर चले जायं और अगर मैं न चला जाऊं तो उसके बाद दूसरा कसूर हो गया । मैं पहले-पहले आया हूं और मैं नहीं जानता किसी बात को, आप कहते भी नहीं कि आप बाहर चले जाइये और आप अपने मन से ही उसका मतलब लगा लेते हैं और उसके बारे में हम आपसे शिकायत भी नहीं कर सकते, और जब शिकायत करते हैं तो सरकार की तरफ से धमकी दी जाय, तो मैं समझता हूं कि आपका इस कुर्सी पर बैठना अपमान की बात है जो इस तरह की बातें कही जाती हैं ऐसा नहीं होना चाहिये । अगर वे समझती हैं कि सदन को उन्होंने मेहरबानी करके फिर से बुलाया और इसका उनको बड़ा दुख है तो मैं उनसे बार-बार कहता हूं कि सदन से वे फिर कह दें कि वे चले जायं और वे चले जायेंगे । यदि ऐसी गलती वे फिर करेंगी तो हम लोग इस बात को सुनने लिये आपकी अध्यक्षता में तैयार नहीं हैं ।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

श्रीमन्, मैं कई दिनों से देख रही हूं और खास कर कल के बाद जो सरकारी पक्ष की तरफ से कहा गया, और विरोधी पक्ष की तरफ से कहा गया, मैंने यही सोचा कि विरोधी पक्ष से जो कुछ भी कहा जाय उसे हम शिरोधार्य कर लें । दूसरी बात यह कि कल एक जेन्टिलमैन एग्रीमेन्ट हुआ था जिसमें दोनों पक्ष ने एक दूसरे को आश्वासन दिया था कि हम लोग शान्तिमय तरीके से काम चलायेंगे और इसका मतलब तो यही होता है कि जो पुरानी बातें हैं उनको भूल कर हम नये तरीके से काम करें । फिर भी यदि आप लोग यही समझते हैं कि जो मन में आयेगा वही करेंगे, तो बेशक आप जो चाहें वह करें । इस सम्बन्ध में मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इस समय माननीया मुख्य मंत्री कुछ आवेश में हैं जिससे उन्होंने इस तरह की बातें कहीं । मुझे क्षमा करेंगे, मैं उस भावना में नहीं जाता लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि कल जो जेन्टिलमैन एग्रीमेन्ट हुआ उस पर हम आज भी स्थिर हैं । हमारी तरफ से यदि कुछ बातों की चर्चा हुई तो वह उधर से कुछ बातें ऐसी हुई जिसकी वजह से कही गयी, लेकिन यह एक आइसोलेटेड केस हो सकता है । भविष्य में ऐसी अवस्था न आवे इस नाते ही कहा गया, कोई आपको दुखी करने की नीयत से नहीं ।

नियम ५२ एवं कार्य-स्थगन प्रस्तावों पर हुए भाषणों की प्रति की मांग

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर दूं कि सदन में जो कार्यवाही की रिपोर्टिंग होती है, अभी तक यहां से जो भाषण होते हैं केवल उसी की प्रति हम लोगों के पास शुद्धिकरण के लिये भेजी जाती रही है । यहां जो सवाल होते हैं या नियम ५२ या कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो विवाद होता है, उसकी कार्यवाही हम लोगों के पास नहीं जाती है । तो श्रीमन्, इधर दो-तीन दिन की कार्यवाही देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जिस प्रकार भाषणों की कार्यवाही शुद्ध करने के लिये हम लोगों के पास भेजी जाती हैं उसी प्रकार से सम्बन्धित सदस्यों के पास इनकी

उक्त सभी प्रकार की कार्यवाही भी शुद्ध करने के लिये जानी चाहिये। इससे मैं समझता हूं कि बहुतों के मन में जो अविश्वास है कि कार्यवाही ठीक नहीं लिखी जाती उसको पूर्ण रूप से दूर करने में सहायता मिलेगी। मेरा निवेदन है कि आप इसकी व्यवस्था जरूर कर दें।

श्री अध्यक्ष—

आप तो रूल्स कमेटी में हैं, वहां रख दीजियेगा।

नियम ११३ के अन्तर्गत प्रस्ताव

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम ११३(१) के अन्तर्गत एक बधाई का प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं उस दिन कह चुका हूं कि बधाई और शोक का प्रस्ताव आपकी तरफ से नहीं आ सकता, दूसरी तरफ यानी सरकारी पक्ष से आ सकता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

जब आपने श्री इन्द्रजीत यादव को उस दिन इसको रखने की अनुमति दे दी थी तो मुझे भी इसकी आज्ञा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको अनुमति नहीं दी थी। मुझे बिना कहे हुये उन्होंने पढ़ दिया। अगर आप भी मुझे बिना बतलाये हुये उसे पढ़ देते तो पढ़ देते। लेकिन जब आपने यह बात कह दी और मुझे मालूम हो गया कि आप कोई बधाई का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो उसकी आज्ञा मैं कैसे दे सकता हूं। उस समय भी मैंने यही कहा था कि बधाई या शोक का प्रस्ताव उधर से ही आ सकता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मुझे आप पढ़ लेने दें, फिर आप भले ही रिजेक्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, प्रस्ताव पढ़ने की अनुमति मैं आपको नहीं दे सकता।

कुंवर श्रीपालसिंह—

यह तो श्रीमन्, आपकी जबरदस्ती है।

श्री अध्यक्ष—

अगर मुझे बिना मालूम हुये आप पढ़ देते तो पढ़ देते लेकिन जब मैं जानता हूं कि जो प्रस्ताव आप रखना चाहते हैं वह कानूनन गलत है तो उसकी अनुमति कैसे दे सकता हूं?

कुंवर श्रीपालसिंह—

अगर मैं कभी इसी तरह से बिना आपको बतलाये हुये ही पढ़ दूंगा तो उसे आप मान लेंगे?

श्री अध्यक्ष—

अगर मैं भूल गया तो आप पढ़ दीजियेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

यही चीज अव्यवस्था उत्पन्न करती है ....

श्री अध्यक्ष—

आप ही अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं, आप कहना चाहते हैं कि प्रस्ताव उपस्थित करें और मैं कह रहा हूं कि वह अनियमित है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

उसके बाद आपने कहा और मैंने .....

श्री अध्यक्ष—

यह हो सकता है, उन्होंने कुछ कहकर एक बात रखी, मुझे नहीं मालूम थी ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

ठीक है, जो चाहे आप कीजिये ।

उत्तर प्रदेश बाढ़ संबंधी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का (संशोधन) विधेयक, १९६४*

†माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीधा-सादा विधेयक है और छोटा-सा बिल है । इस को लाने का जो हमारा उद्देश्य है वह यह है कि सन् ५१ का यह एक अधिनियम था, वह पूर्ण नहीं था । इस में खास बात यह है कि बाढ़ से त्रसित जनों की रक्षा करने की जाय जो पुराना ऐक्ट था, उसमें तरमीम करने की आवश्यकता है इस का कारण यह है कि पिछले साल बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में जब बाढ़ का प्रकोप हुआ तो वहां के निवासियों के ऊपर काफी जल बढ़ने से बहुत विपत्ति आई । आप को भी अनुभव होगा और सदन के माननीय सदस्यों को भी होगा कि जो बाढ़ग्रसित क्षेत्र हैं वहां के निवासियों की रक्षा के लिये बांध बना दिये गये हैं । परन्तु कभी-कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि एक गांव की रक्षा के लिये जब पानी रोका जाता है तो उससे दूसरे गांव को हानि होती है । इस पर कुछ स्थानों पर जहां पानी रोका जाता था दूसरे गांव के लोग रोकथाम करते थे और झगड़ा होता था । इसलिये यह विधेयक ऐसा है जिस के द्वारा वहां के जिलाधीशों को अधिकार जो पहले भी थोड़ा बहुत था उस को और बढ़ाकर दे रहे हैं ताकि वह वहां के रहने वालों के जान-माल की पूरी तरीके से हिफाजत कर सकें । सन् ५१ के कानून में केवल उनके सामान को बाहर करा देना और कुछ नावों को मुहैया कराने की बात थी लेकिन अब अगर वह समझें कि बाढ़ आ गई है और कोई रुकावट हिफाजत करने में होती है और कोई भी रुकावट उनके जान-माल की हिफाजत में वहां के रहने वालों को सेफ रखने में होती है तो जिलाधीश को अधिकार होगा कि वह वहां के लोगों की रक्षा करने में सहायक हों । इस-लिये पुराना जो कानून है उसकी धारा ३ में हम इस के द्वारा तरमीम करना चाहते हैं ।

(इस समय १ बजकर ३१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुए ।)

---

*२४ अगस्त, १९६४ को कार्यवाही में छपा है ।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसका ब्योरा इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों से देखकर मालूम हो जायगा कि किस मकसद से यह बिल सदन के सामने लाया गया है। ज्यादा ब्योरे में मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा। इस पूर्वी जिलों की परेशानी को देखकर जो कि पहले उधर थी लेकिन अब पश्चिमी जिलों की तरफ भी फैल गई है व्यापक रूप से सरकार का जानोमाल की रक्षा का फर्ज हो जाता है कि वह जनता को जानोमाल की ठीक से रक्षा करे और इसीलिये इस कानून में जनता की रक्षा के लिये प्रयत्न किया गया है। सन् ५१ वाले अधिनियम में थोड़ी-सी खामी रह गई थी उसको हम इस के द्वारा ठीक करना चाहते हैं। केवल इसी खयाल से मैं इसे सदन के विचारार्थ पेश करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्षाता महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि १७ साल की आजादी के बाद सरकार को होश आया कि बाढ़ से जो नुकसान होता है उस सम्बन्ध में जिलाधीश को कुछ अधिकार दिये जायं कि वह तात्कालिक कोई काम कर सके। श्रीमन्, मैं राजस्व मंत्री को धन्यवाद देता कि इस सम्बन्ध में बाढ़ पीड़ित इलाके के लिये और भी धारायें जोड़ते, संशोधन करते और ऐसा विधेयक लाते जिससे प्रदेश को अधिक भला होता। जैसा माननीय रामकुमार शास्त्री जी ने कहा कि बाढ़ की समस्या पूर्वी जिलों को ही नहीं पश्चिमी क्षेत्र में भी इस प्रकार का संकट आता है। तो जब सारे देश में यह संकट आता है तो विधेयक में केवल एक धारा जोड़ देने से कोई काम नहीं चलता। सारा कपड़ा फट गया तो एक जगह चिप्पी लगा कर चाहें कि जाड़ा बरसात उसी से काट लें यह नामुमकिन है और इस प्रकार के संशोधन से कोई काम चलने वाला नहीं है।

मैं चाहता हूं इस विधेयक पर नये सिरे से विचार करें, संशोधन करें जिससे बाढ़ की समस्या का मुकाबला किया जा सके। इस विधेयक में केवल बाढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। बाढ़ से कम प्रकोप अतिवृष्टि का नहीं होता। वह बाढ़ से भी बदतर आपत्ति इस प्रदेश पर लाती है। यदि हाई कोर्ट में इस सम्बन्ध में कोई केस जायगा तो अतिवृष्टि शब्द के इस विधेयक में न होने से हाई कोर्ट आपकी बात नहीं मानेगा। हमारे यहां जिलाधीश ने इस प्रकार जमानत को एक्वायर किया लेकिन जिसकी जमीन ली गयी वह कमिश्नर के यहां चला गया और ६ महीने तक वहां मुकदमा रहा और उल्टा फैसला हो गया सरकार के। तो आप यह मानें कि जो संशोधन कर रहे हैं उसमें इसका दायरा बढ़ा दीजिये जिससे इस तरह की आपत्तियों में भी यह अधिनियम सहायक हो सके। अतः अतिवृष्टि शब्द का होना जरूरी है और जब बाढ़ में सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया आती है तो मंत्री जी जरा और सहायता कर दें। बांध बनाने की प्रक्रिया ले लें, नदी को गहरा करने की प्रक्रिया ले लें, नदी को बांधने, बिजली पैदा करने की प्रक्रिया ले लें, जमीन को ऊंचा करने की प्रक्रिया ले लें, नदी के कटाव को रोकने की प्रक्रिया ले लें, कटाव से पीड़ित लोगों को नये सिरे से बसाने की प्रक्रिया ले लें, टेस्ट वर्क जारी करें इन सब की व्यवस्था इस अधिनियम में होनी चाहिये। इसीलिये मैं चाहता हूं कि इसमें अतिवृष्टि शब्द को और बढ़ा दिया जाय। जहां लाखों आदमी अतिवृष्टि और बाढ़ से पीड़ित हों वहां एक लाइन का संशोधन लाकर जिलाधीश को बांध या दीवाल हटाने का अधिकार दे देने से ही हमको सन्तोष नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि ऐसी प्रक्रिया अपनायें जिससे अपने प्रदेश को बाढ़ रोका जा सके और उसको रोक कर लाखों एकड़ जमीन को बरबाद होने से बचाया जा सके। लाखों आदमी जो खानाबदोशों की सी जिन्दगी बाढ़ की वजह से व्यतीत करते हैं उनकी अवस्था को सुधारा जा सके। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई लाभ ऐसे विधेयक से नहीं होने वाला है। आप जानते हैं अतिवृष्टि के कारण हमारे यहां वर्षा ने इतनी तबाही कर दी जिसको रोकना मुश्किल हो गया। और इस विधेयक में कहीं पर अतिवृष्टि का नाम नहीं है।

नियोजन मंत्री जो यहां नहीं हैं, आप जानते हैं कि उनका काम तेजी से चल रहा है, सड़कें, बांध, लिया आदि बन रही हैं लेकिन यदि पानी की निकासी का उचित प्रबन्ध नहीं किया जाता

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

तो सारा विकास रुक जाता है और जनता को जो फायदा पहुंचना चाहिये उससे लिगुना नुकसान हो जाता है। अनभिज्ञ इंजीनियर जिनको इतना ज्ञान नहीं है कि पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकें उनकी इस अज्ञानता के कारण लाखों आदमियों तथा हजारों एकड़ जमीन की बरबादी का सामना करना पड़ता है। इसलिये सब से पहले पानी की निकासी की व्यवस्था हो उसके बाद नहर, सड़क आदि बनायी जायं। बरसात और बाढ़ के जमाने में हमने १९ तारीख को अपने कमिश्नर से कहा था कि आप इस समय जब पानी बरस रहा है आदेश दें कि इस वक्त जब बाढ़ है सारे क्षेत्र में ओवरसीयर और इंजीनियर घूमें और सर्वेक्षण करें कि कौन ऐसी जगहें हैं, कहां ऐसी जगहें हैं, कहां ऐसे नाले हैं जहां पर पानी का निकास नहीं है और जिसके कारण फसलें मारी जाती हैं। मऊनाथभंजन, श्रीमन्, आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा कस्बा है। वहां पर एक हरिजन बस्ती है। यह भी, श्रीमन्, आप जानते हैं कि शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है। वहां पर चारों तरफ सड़क बन्ध है। जहां पर ५ सौ एकड़ जमीन है जो आज ४–५ साल से पानी से लबालब है और पानी घर में घुस जाता है। सरकार से भी कहा गया पर कुछ नहीं हुआ। १० साल से पहले भी बाढ़ आती थी पर कारण क्या है कि आज गांव में पानी घुस जाता है और ज्यादा रकबा फसल खराब होती है। पानी का निकास ही नहीं होता बल्कि नदियां भी छिछली होती जा रही हैं। नदियों के बहाव को जब आप ठीक करेंगे उस समय लोगों को राहत मिलेगी और उनकी आपके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। यह सबसे बड़ा महत्व का काम आपके लिए होना चाहिए लेकिन आप उसे नहीं करते। श्रीमन्, मैं आपका और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन आप नदी के कटावों को रोकें, पानी की निकासी का प्रबन्ध करायें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नहीं जानता कि माननीय रामसुन्दर किस नदी के किनारे रहते हैं लेकिन मैं तो गंगा के किनारे रहता हूं और बाढ़ की विभीषिका का जो प्रकोप होता है उसका हमें अनुभव प्राप्त है। यहां पर तर्क दिए गये हैं कि ओवरसियर्स और इंजीनियरों द्वारा सर्वेक्षण कराया जाय। इन्हीं कारणों की वजह से मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं। सर्वेक्षण यदि कहीं का होता है तो पानी के बहाने के लिए तो जिलाधीश को इस अधिकार की आवश्यकता पड़ेगी और वह तभी उस रुकावट को दूर कर सकेगा। मैं बाढ़ मंत्री जी से विशेष रूप से कह देना चाहता हूं कि ऐसे अधिकार देने के बावजूद भी ये बातें दूर नहीं हो सकती हैं। हमारे पास एक नदी पड़ती है। वहां पर एक बार ऐसा हुआ है कि २ सौ, ४ सौ आदमी बल्लम लेकर उस पार खड़े हो गये और हमारे गांव के लोग इस पार खड़े हो गये। उधर के लोग कहते हैं कि बांध काट दें और गाजीपुर के लोग कहते हैं कि नहीं। दोनों जगहों के कलेक्टर वहां पर खड़े थे कि किसी प्रकार से मारपीट न हो लेकिन समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाय। बहुत सी ऐसी नदियां हैं। बहुत सी नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में पड़ती हैं। बाढ़ के समय उनके कारण बहुत असन्तोष पैदा होता है। इस विधेयक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यह भी समझ में नहीं आता है। बाढ़ के सम्बन्ध में चाहे कितने ही विधेयक आवें कुछ ऐसी पेचीदा परिस्थिति होती है कि उसमें कोई सुविधा नहीं दी जा सकती है, अधिनियमों से। इन अधिनियमों से कुछ होता नहीं है। इसका इलाज तो एक ही है कि जितने गांवों में बाढ़ आने की संभावना है उनमें एप्रोच रोड हों, उनमें नावें हों, परमानेंट तरीके से, उन्हें खाद्यान्न दिया जाय, नमक और तेल आदि का प्रबन्ध हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो मंत्री महोदय ने संशोधन विधेयक आज प्रस्तुत किया है मुझे इसके विरोध में कुछ कहना है। वैसे तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज अनेकों वर्षों से विपक्ष के लोगों की यह मांग रही है कि इस प्रकार का संशोधन विधेयक सदन में लाया जाये। अनेकों बाढ़ें और जल-प्लावन अपने प्रान्त में समय-समय पर आते रहते हैं, परन्तु सरकार की ओर से उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। परन्तु जैसा यह आज संशोधन आया है, उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अब सरकार ने बाढ़ और जल-प्लावन की गम्भीरता की ओर ध्यान दिया है। परन्तु यह एक छोटा सा संशोधन लाकर अगर सरकार सोचती है कि इससे समस्या हल हो जायेगी यह ठीक नहीं है, यह भ्रम है। जो संशोधन है उसके द्वारा एक विचित्र सा विचार अस्तित्व में आता है कि बाढ़ के क्या वास्तविक कारण हैं और उस पर क्या विचार कर लिया गया है? जिनके कारण बाढ़ की विभीषिका होती है, जिनके कारण यह संकट आता है क्या उस पर ध्यान दिया गया है? यदि इनके उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया है व जो भी इस प्रकार की रुकावट हो उसे कैसे दूर किया जाये, इस पर विचार किये बिना बाढ़ की विभीषिका दूर नहीं हो सकती है। यदि व्यक्तिगत लोगों की दीवाल और मकान आदि गिराने की जरूरत पड़ सकती है बाढ़ से क्षेत्र की सुरक्षा के लिये, तो इससे हजारों और लाखों रुपयों की लोगों की क्षति हो सकती है। यदि बाढ़ को दूर करने के लिये किसी व्यक्ति की किसी सम्पत्ति को लेना आवश्यक समझा जाए तो इससे उसका बड़ा नुकसान होगा। तो वहां इसका जो नुकसान होगा उसका उसको उस पर मुआवजा दिया जाये क्योंकि जब सरकार किसी अन्य कार्य के लिये भूमि अधिकृत करती है तो उसका उचित मुआवजा दिया जाता है और ऐसे कार्यों के लिये जो एक प्रदेश के लिये परम आवश्यक हैं या किसी स्थानीय संकट को दूर करने के लिये जरूरी हैं और जिनसे किसी की व्यक्तिगत क्षति हो रही है, तो उसका उसको उचित मुआवजा अवश्य दिया जाना चाहिये। इसलिये संशोधन में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये, और जिसका इस संशोधन विधेयक में होना आवश्यक है।

दूसरी बात यह कहनी है कि बाढ़ से नुकसान होता है, जल-प्लावन से नुकसान होता है और जहां पर पानी से क्षेत्र डूबे रहते हैं, उनकी ओर सरकार ध्यान दे। संचार साधनों की गड़बड़ी आदि जलप्लावन से अधिक नुकसान होता है। प्रति वर्ष ऐसी अनेक समस्यायें, ऐसी चीजें हमारे सामने लाई गई हैं परन्तु जल-प्लावन के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और समस्या की ओर अगर ध्यान नहीं दे सकी, तो केवल एक छोटा-सा संशोधन का प्रस्ताव ही लाने का जो प्रयत्न किया है वह काफी नहीं है। इसलिये इससे केवल यह संकट दूर होने वाला नहीं है। यदि जल संचार के प्रयाप्त साधनों की ओर ध्यान दिया जाये तो जल से बहुत से क्षेत्र खाली हो सकते हैं और इस प्रकार हमें खेती के लिये काफी भू-भाग प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यदि सरकार ने इस पर ध्यान दिया होता तो बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती थी।

इसी प्रकार से पी० डब्लू० डी० की तरफ से जो कान्स्ट्रक्शन वर्क होते हैं, सड़कें कुछ ऐसी बनाई जाती हैं कि जिसमें रास्ते के खेत व कल्वर्ट वगैरह जो सड़क के मार्ग में बाधा स्वरूप आते हैं उनको तोड़वा दिया जाना चाहिये किन्तु उसमें भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें भी कोई ऐसी चीज सामने नहीं लाई गई कि वहां पर भी कुछ उचित व्यवस्था हो और जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा कर सकें उसके लिये भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये थी। इसमें अनेक ऐसी चीजें हैं जिनको छोड़ दिया गया है। इस प्रकार का संशोधन विधेयक अगर बृहत रूप में लाया जाय तो प्रदेश का हित हो सकता है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय,जो यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी की या सरकार की जो भावना है वह अपनी जगह पर उत्तम जरूर है, लेकिन दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिये, यह मेरा निवेदन सरकार से और मंत्री जी से है। १९५० के बाद यह महसूस किया गया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ बहुत आती है और सरकार की तरफ से एक विधेयक, १९५२ में आया, जिसमें यह महसूस किया गया कि बहुत कठिनाइयां सरकार को उत्पन्न हो रही हैं। गांवों में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि कभी-कभी नावों के लिये किसानों को तकलीफ हो जाती है। कभी-कभी उनको बाहर निकाल कर दूसरी जगह बसाने की जरूरत हो जाती है जब बाढ़ आ जाती है तो सरकार एक सुनीत आत्मा से एक विधेयक ले ई और आज सरकार उसी विधेयक में फिर से संशोधन करना चाहती है और इसमें तीन सेक्शन के बजाय एक (क) और बढ़ा कर इसको पारित कराना चाहती है।

श्रीमन्, मैं महसूस करता हूं, चूंकि मैं भी बाढ़ एरिया का रहने वाला हूं कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जब बाढ़ आ जाती है दो तरफ से बंधा बना हुआ है तो उसको काटा जाय। लेकिन सरकार उसको काट नहीं पाती है क्योंकि अगर काटती है तो बड़ी आबादी को बचाने के लिये छोटी आबादी उसकी चपेट में आ जाती है और किसान विरोध करने लगते हैं। सरकार उसको दबा नहीं पाती है। सरकार का मकसद जरूर पुनीत है लेकिन सरकार एकांगी रूप से काम कर रही है क्योंकि अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सारे प्रदेश में बाढ़ आती है उसके नियंत्रण के लिये बाढ़ योजना कायम कर रहे हैं और उसके अन्तर्गत डिवीजन कायम किये जायंगे। एक बार पहले भी बाढ़ डिवीजन कायम किये गये थे और उसके बाद ५० के बाद ५२ में विधेयक लाना पड़ा था क्योंकि जहां जहां जरूरत हुई बांध और कल्वर्ट्स बना दिये गये। यह नहीं देखा गया कि पानी कहां से जायगा। इंजीनियर ने जैसा कहा वैसा कर दिया गया। इस तरह से सारे प्रदेश में इनका एक जाल सा बिछा दिया गया और करोड़ों रुपया इस प्रदेश में खर्च किया गया। इसके बाद सरकार ने महसूस किया कि इसकी जरूरत नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि इतनी क्षति हुई कि हर साल बाढ़ भीषण रूप धारण करती चली गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कभी भी बाढ़ से डूबता नहीं था आज वहां भी बाढ़ आने लगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो हर साल १ सौ करोड़ रुपये की बरबादी होती है, हर साल त्राहि-त्राहि मचती है।

जिस बाढ़ डिवीजन के अन्तर्गत आपने एक योजना बनायी, करोड़ों रुपये खर्च किये, सारी जगह बांध बनाए, कल्वर्ट्स बनाये, पुलियां बनाईं और उसके नतीजे में सरकार ने महसूस किया कि अब फ्लड डिवीजन की जरूरत है और सन् ५१ में विधेयक ले आये और यह अधिनियम बना। अब आप यह दूसरा संशोधन विधेयक ला रहे हैं और अब चूंकि फिर बाढ़ डिवीजन की रचना की जा रही है तब आप को इस समय अपने इंजीनियर्स और चीफ इंजीनियर्स से राय लेनी चाहिये थी कि आखिर इसका क्या नतीजा होगा और इसका प्रभाव प्रदेश के लोगों पर क्या पड़ेगा? आपने एक एजेंसी कायम कर दी वह अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको अथराइज करेगा कि किस जमीन को अधिगृहीत कर ले, या कौन सा बांध तैयार करे। अब यह पावर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी है, मैं समझता हूं कि इसमें दुरुपयोग की सम्भावना है।

मेरा खयाल है कि बाढ़ की व्यवस्था को ठीक करने के लिये एक कम्पैक्ट विधेयक लाना चाहिये था। बाढ़ को रोकने और उसके द्वारा की गयी अव्यवस्था को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है तब कम्पैक्ट विधेयक से काम हो सकता है। वैसे यह विधेयक सामयिक है लेकिन इसमें बड़ी कमियां हैं और मेरा खयाल है कि चारों तरफ के सुझाव सुनने के बाद और इंजीनियर्स के व्यूप्वाइंट सुनने के बाद अगर विधेयक आया होता तो ज्यादा उचित होता। इसके साथ ही मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इस विधेयक द्वारा संचालन जिनके हाथ में दिया जाय, सरकार

उसको विशेष रूप से हिदायत करे कि वह बाढ़ या बहाव को रोकने के पहले यह अवश्य देखें कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसमें ऐसा प्राविधान अवश्य होना चाहिये जिससे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोई ऐसा व्यवधान उपस्थित न कर सके जिससे उनके जिले को तो फायदा हो जाय और दूसरे जिले में, जैसा माननीय कृष्णानन्द राय जी ने बताया, नुकसान महसूस होने लग। इस चीज की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। जिन भावनाओं से यह विधेयक लाया गया है वह पुनीत है लेकिन जिस बात की ओर मैंने ध्यान दिलाया है अगर वह प्रतिबन्ध नहीं होता है तो यह विधेयक पूर्ण नहीं माना जायगा। मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में विचार करें, इंजीनियरों से बातें करें और उनके सुझावों को लेकर एक कम्पैक्ट विधेयक बनावें तो अच्छा है, वैसे जिन भावनाओं से यह विधेयक आया है उसका मैं और इस आदरणीय सदन के इधर और उधर दोनों तरफ के माननीय सदस्य आदर करते हैं और आदर किये बिना नहीं रहेंगे लेकिन अगर आप एक कम्पैक्ट विधेयक बना सकते तो अच्छा होता। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक बाढ़ के सम्बन्ध में और कटान के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी लाये हैं और जिस भावना से उन्होंने उपस्थित किया है मैं उस भावना की सराहना करता हूं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसका विरोध किया जाय, लेकिन मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि जिलाधीश को इसमें अधिकार दिया गया है कि जिलाधीश जहां पर जरूरत समझे, यदि पानी का बहाव किसी खास दिशा में रुकावट डालता है तो वह वहां पर तोड़ फोड़ कर सकेगा और बहाव को ठीक कर सकेगा। इससे जनता की जान माल की रक्षा होगी और खतरा दूर होगा। यही इस विधेयक की मंशा है। मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस विकट समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर इसी अधिकार के खंड में एक खंड और बढ़ा दिया जाय तो बड़ा अच्छा हो। मैं उस इलाके का रहने वाला हूं जहां पर नित्य प्रति यह समस्या है। हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है। मैं अभी देहात से आ रहा हूं जहां पर गंगा का कटान शुरू है और हजारों आदमी वहां पर बसे हुये हैं। उस अधिनियम में यह अधिकार है कि भूमि अधिकृत कर सकता है। यह उसका अधिकार मुकम्मल रहना चाहिये। उस अधिकार के खिलाफ, जैसे ही भूमि अधिकृत करते हैं, लोग कमिश्नर साहब के यहां चले जाते हैं और कमिश्नर के यहां से स्टे आर्डर ले आते हैं। कलेक्टर देखता रह जाता है। इस प्रकार से गंगा के कटान का जो संरक्षण सरकार कलेक्टर के द्वारा करना चाहती है वह कर नहीं पाती। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस खंड के साथ इस तरह का कोई खंड रख दिया जाय जिससे उस कलेक्टर के आर्डर के खिलाफ कोई अपील न हो सके। किसी अदालत में वह न जा सके। कलेक्टर भूमि लेकर बाढ़ के खतरे को कम कर सकता है और लोगों को वहां पर बसा सकता है, यदि उसके हाथ में यह अधिकार बराबर के लिये रहे। इसलिये यह अधिकार जिलाधीश को देना जरूरी है।

अभी मैं उस इलाके को देख कर आ रहा हूं। वह इलाका गंगा और घाघरा के बीच में पड़ता है। दोनों तरफ से वह इलाका कट रहा है। एक तरफ गंगा का कटान है और दूसरी तरफ घाघरा हर साल हजारों परिवारों को उजाड़ रही है। इसलिये जिलाधीश को आप तरफ घाघरा हर साल हजारों परिवारों को उजाड़ रही है। इसलिये जिलाधीश को आप जैसा अधिकार दे रहे हैं उसके पास वह बराबर के लिये रहना चाहिये। अभी जैसा कि हजारों, मित्र ने बतलाया कि हमारे यहां एक बलिया बैरिया बांध बना हुआ है। यह बांध हजारों, लाखों एकड़ जमीन की हिफाजत करता है और हजारों परिवारों की हिफाजत करता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रह्मदत्त मावर (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता—

मैं सरकारी पक्ष से कहूंगा कि कोरम की तरफ सतर्क रहें, क्योंकि अब भी बड़ा मार्जिनल कोरम है। माननीय काशीनाथ जी, आप जारी रखें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, मैं जिक्र कर रहा था कि जब इस तरह का खतरा उत्पन्न हो जाय कि बड़े-बड़े बांध जिन पर लाखों रुपया खर्च किया गया है वह अगर कटने वाले हों और उस समय भी पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर, सिंचाई विभाग के लोगों का इन्तजार किया जाय कि किस मुहकमे का काम है ऐसा न करके तत्काल जिलाधीश को अधिकार होना चाहिए कि कटान से बचाने के लिए फौरन कोई कदम उठावे। यह बलिया-बैरिया बांध २६ लाख रुपये की लागत से बना है, फी मील एक लाख रुपया खर्च किया गया और अब फिर ५० हजार रुपया फी मील की स्कीम बनी हुई है। ऐसा मुकम्मल बांध हजारों लाखों लोगों की हिफाजत करता है, हजारों एकड़ जमीन की रक्षा करता है। अगर यह न होता तो सारा जिला तबाह हो जाता। उस पर आज कटान का खतरा उत्पन्न हो गया है। कोई कहता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का है, कोई कहता है कि स्पर बनाने का अधिकार सिंचाई विभाग का है, उसी का काम है। तो आप तत्काल जिलाधीश को अधिकार दें और यदि कहीं पर भूमि अक्वायर करने की जरूरत हो तो कलेक्टर को पूरे अधिकार हों और उसकी कमिश्नर या कहीं भी अपील न हो जिससे वह काम आसानी से, जल्दी से हो सके तभी मंत्री जी जिन भावनाओं से प्रेरित होकर इस बिल को लाये हैं उसकी मंशा की पूर्ति हो सकती है। इसलिए जो मैंने संशोधन आपके सामने रखा है, उसे आप स्वीकार करें।

श्री अधिष्ठाता—

काशीनाथ जी, साधारण नियम के अनुसार संशोधन काफी पहले आना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसमें केवल एक ही संशोधन है, मैं अनुमति देता हूं इस शर्त के साथ कि उसकी प्रतिलिपि आप सरकार के पास तुरन्त भेज दें।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक इतना आवश्यक है कि मैं समझता हूं सदन में कोई सम्मानित सदस्य इसका विरोध नहीं करेगा। विरोधी पक्ष की तरफ से माननीय रामसुन्दर पांडेय तथा माननीय काशीनाथ जी ने भाषण दिये, उन्होंने भी इस विधेयक की प्रशंसा ही की है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। मैंने स्वयं देखा है, जहां जल प्लावन की नौबत होती है तो रात को भी और दिन को भी ऐसे अवसर आते हैं कि लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कलेक्टर यदि किसी 'आबस्ट्रक्शन' को हटाना चाहता है किन्तु वे हटा नहीं सकते, उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। लोग झगड़ा करने को तैयार रहते हैं, इसलिए एक बहुत बड़ी कमी की, यह संशोधन पूर्ति करने जा रहा है। मैं माननीय नरसिंह नारायण पांडेय, श्री रामसुन्दर पांडेय और श्री काशीनाथ जी के विचारों से सहमत हूं। यह आवश्यक है कि इसका विस्तार करके हम यह भी प्राविधान कर दें कि बाढ़ की विभीषिका के निराकरण के साथ जो 'जल-प्लावन' हो जाता है उसकी भी विभीषिका का कैसे निराकरण कर सकें।

'वाटरलागिंग' एक ऐसा संकट पैदा करता है जो बाढ़ से किसी प्रकार कम भयानक नहीं होता । उसकी विभीषिका बाढ़ से कम नहीं होती । गांव के गांव उससे प्रभावित हो जाते हैं । मैंने सन् ६३ में माननीय राजस्व मंत्री के आदेश पर माननीय काशीनाथ मिश्र जी के जिला बलिया का दौरा किया था और वहां देखा कि मीलों तक ऐसी गंभीर परिस्थिति पैदा हो गयी थी कि चारों तरफ पानी ही पानी दृष्टिगोचर होता था और पानी की निकासी का कोई इन्तजाम नहीं था ।

हमारे जिला आजमगढ़ में २३ नदियां हैं और ३–४ महीने उनकी दशा बड़ी भयंकर हो जाती है । कलक्टर बेचारे लाचार हो जाते हैं स्थिति पर काबू पाने में । इसलिये इस विधेयक की परम आवश्यकता थी । साथ ही मैं माननीय राजस्व मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि उनको बाढ़ के साथ साथ 'वाटर लागिंग' वाले संशोधन को भी और एड कर देना चाहिये और जिलाधीशों को यह अधिकार रहना चाहिये कि जहां कहीं कोई आब्स्ट्रक्शन हो उसको वह हटा सकें । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और यह सदन इसे शीघ्र स्वीकार करेगा ।

*श्री सुरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । यह विधेयक अवश्य स्वागत के योग्य है परन्तु इसमें कुछ कमियां हैं जिससे इसका जो असली मकसद है वह पूरा नहीं होता । यह विधेयक एक तरफा है । बहुत से बन्धे जमींदारों के जमाने में बने थे जो कट गये हैं और जिसकी वजह से पानी गांवों में पहुंच जाता है और गांव बरबाद हो जाते हैं । उनके पुनः बनाने का प्रबन्ध इस विधेयक में नहीं किया गया है ।

श्रीमन्, हमारे गोंडा जिले में जो नदियां हैं उनमें अक्सर बाढ़ आया करती है और तमाम गांव बरबाद हो जाते हैं । जो लोग बेघरबार हो जाते हैं उनके लिये कोई प्रबन्ध नहीं हो पाता है । हमारे यहां बरईजोत और बभनपुरवा के कई लोग जो बेघरबार हो गये थे डी० एम० के यहां गये कि उनको कुछ जमीन मिल जाय, परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, उनको बसाया नहीं गया । उनके पास न तो खेती के लिये जमीन है और न कोई जिन्दगी का ही सहारा है । वे बेचारे बहुत परेशान हैं । तो इन लोगों की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनके लिये भी कोई ऐसा प्रबन्ध किया जाय । इसी तरह से पहले जमींदारों के जमाने में एक बांध रसूल बाग में और महुवाखनी से बहमपुरवा और करकुंडा तक बना था । इस बांध से आसपास के गावों को बाढ़ के पानी से राहत मिलती थी । किन्तु इस बांध के कट जाने के कारण आसपास के गांव में बड़ा नुकसान होता है । अक्सर ऐसा होता है कि नवोरी गांव के पास एक नाला था जो फट गया है और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा तालाब हो गया है और इस कारण बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाता है । इससे भी लोगों को काफी नुकसान पहुंचता है । लोगों ने इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर के पास दरखास्त दी किन्तु आज तक कुछ नहीं हुआ । तो मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में इन सब बातों का भी जिक्र किया जाय । इसमें वे सब राय लेकर और भी संशोधन किये जायं तो यह बहुत अच्छा होगा ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, मैं प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि जो मंशा सरकार को इस विधेयक के द्वारा करने की है उसका आदर होना चाहिये । क्योंकि बहुत सी जगहों पर बाढ़ के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि अगर उनको कंट्रोल में न रखा जाय तो बहुत बड़े नुकसान होने की संभावना रहती है । परन्तु इसके साथ ही मैं सरकार से बड़े अदब से यह भी दरखवास्त करूंगा कि अगर अड़चनों को दूर करने के लिये काफी नुकसान उठाना पड़ता है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

तो ऐसी हालत में उन अड़चनों को दूर न करके, इस नुकसान को बचाया जा सकता है। दूसरी बात पानी के बहाव को रोकने के लिये किसी क्षेत्र को सुरक्षित करें लेकिन उस पानी का बहाव दूसरे क्षेत्र में जा सकता है और उस दूसरे क्षेत्र की भूमि पहले से सुरक्षित थी उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी जो कि मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं होगा। इससे दो ऐडज्वाइनिंग जिलों में कनफ्लिक्ट भी पैदा हो जायेगी। वह खतरा जब एक जिले में कभी नहीं था तो वह कभी इसे नहीं पसन्द करेगा। ऐसी स्थिति में चाहिये यह कि जब एक जिले का डी० एम० अपने यहां के खतरे को दूर करने की कोशिश करता है और दूसरे जिले को नया खतरा पैदा होने की संभावना है तो ऐसी हालत में दोनों डी० एम० को आपस में मिल कर सरकार का निर्णय लेना चाहिये। मैं समझता हूं बहुत बड़ी सर्तकता बरतने की जरूरत है इन बातों पर।

इस संबंध में मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से यह भी अच्छा सूत्र होगा कि जिन लोगों की जमीन पर पानी के बहाव द्वारा नुकसान होगा उसकी पूर्ति सरकार की तरफ से होना चाहिये क्योंकि वह जो क्षति पहुंची है वह दैट इज नाट मिस मेजर एन ऐक्ट बाई गाड, बट इट इज दि ऐक्ट आफ ह्युमन एजेन्सी। इसके लिये उन लोगों को माकूल कम्पेनसेशन मिलना चाहिये। जो क्षति उनको इंसान के कारण उठानी पड़ती है, उसकी बुद्धि पर जनहित के लिये ब्रेक होना चाहिये जब वह कोई निर्णय करे। इसलिये विधेयक में इस बात का प्रावीजन होना चाहिये कि लोगों को उनके नुकसान का मुआवजा मिले और छोटे नुकसान को बचाने के लिये बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिये। जहां दो जिलों का कनफ्लिक्ट हो वहां दोनों जिलाधीशों की सलाह के बाद ही कोई कार्यवाही की जानी चाहिये।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत विधेयक देखने में तो निर्दोष मालूम होता है लेकिन अगर इसकी तह में जाया जाय तो बड़ी बड़ी कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं और अन्याय भी लोगों के साथ हो सकता है। हमारे संविधान की धारा ३१ में दिया है कि नो परसन शैल बी डैप्राइव्ड आफ हिज प्रापर्टी सेव बाई अथारिटी आफ ला। लेकिन इस कानून के पास हो जाने के बाद अगर किसी की भूमि या मकान गिराते हैं या किसी तरह से उसकी फसल को हानि होती है तो उसे मुआवजे पाने का हक नहीं होगा। इस कानून का अनुचित लाभ यह सरकार और इसके कर्मचारी उठा सकते हैं। बाढ़ की कठिनाइयों को वहीं का आदमी जानता है जिसमें जिन्दगी दूभर हो जाती है। किसी तरह से किसान के बाल-बच्चे और मवेशी जिन्दा रहते हैं, यह बड़ी समस्या है। साथ ही हमें बाढ़ का कारण देखने पर मालूम होगा कि सरकार की प्लानिंग गलत है। सरकार के इंजीनियर वगैरह गलत प्लानिंग कर रहे हैं, और यही बाढ़ का मुख्य कारण है। वे पानी का बहाव गलत तरीके से ले जाते हैं और हर साल गांव पर गांव बरबाद होते चले जाते हैं। जहां नदी का मोड़ होना चाहिये, उसे वे नहीं देखते और जहां रेग्यूलेटर होना चाहिये उस जगह नहीं बनाते हैं। गल्स के लिये भी गांव वाले कहते हैं कि यहां लेविल ऊंचा है लेकिन सरकारी कर्मचारी उनकी बात नहीं मानते हैं और मनमाने ढंग से काम करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि किसान को कठिनाई भुगतनी पड़ती है।

मैं जानता हूं कि बहुमत के बल पर अगर कोई भी कानून माननीय मंत्री जी पास करा सकते हैं और यह कानून भी पास हो जायगा। लेकिन वह इस बात का ध्यान रखें कि कहीं इस कानून के शिकार गरीब लोग न हों। बड़े आदमियों के मकान, दीवाल और फसल आदि बचाने के लिये हर प्रकार की कोशिश होगी और शायद कलेक्टर की हिम्मत भी न पड़े। इसलिये इस विधेयक में खास हिदायत कलेक्टर को यह होनी चाहिये कि जब किसी तरह की ऐसी बात आवे तो वह देखे कि गरीब न मारा जाय। बाढ़ के समय पानी का निकास होना भी जरूरी है लेकिन अमीर आदमी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की अगर दीवाल तोड़ी जाती है तो उसे इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि गरीब आदमी का होगा। अगर किसी गरीब आदमी का मकान या दीवाल गिराई जाय या उसकी फसल बरबाद हो, तो उसे मुआवजे की व्यवस्था अवश्य करें। रूल्स ही में इसे रख दिया जाय।

इस विधेयक में २ अधिकार कलेक्टर को दिये गये हैं। पहला तो यह है कि वह बाढ़ के पानी के बहाव को मोड़ सकता है। दूसरा यह है कि किसी दीवार बांध एवं किसी भी वस्तु को जिससे पानी के बहने में बाधा उत्पन्न होती हो पूर्णतया अथवा अंशतः हटाया जाय। बांध का कोई अंश काटने से भी किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है और बाद में वह ठीक किया जा सकता है। लेकिन यह भी आवश्यक हो जाता है कि जब पानी का निकास हो जाय और आप समझते हैं कि आप उस जमीन को हमेशा के लिये लें तो उसके मालिक को उसका कम्पेन्सेशन देना भी आवश्यक हो जाता है।

कभी-कभी यह भी देखा गया है कि छोटे छोटे नाले पानी के उबाल से उमड़ पड़ते हैं और उनका भी मोड़ जरूरी हो जाता है। इसमें एक्सपर्ट्स की राय लेकर इस प्रकार से काम होना चाहिये कि ज्यादा नुकसान गांववालों को न हो। बांध की मरम्मत का भी प्राविधान इसमें होना चाहिये। तो यह नियमों के अन्दर ऐसी चीज आ जाय कि नया मोड़ देने में किसी को कोई नुकसान हो, तो उसको ठीक कराने का भी प्राविधान हो। इस समय इस विधेयक के अन्दर वह चीज नहीं है। इन शब्दों के साथ में उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इन दो तीन सुझावों पर ध्यान देंगे और नियमों में इनका प्राविधान करेंगे।

पानी का निकास एक जरूरी चीज है, वह गांव वालों के लिये जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है, इसलिये मैं इस विधेयक के रास्ते में हस्तक्षेप नहीं करूंगा लेकिन यह जरूर कहूंगा माननीय मंत्री जी से कि इसके साथ साथ वह यह भी देखने की कृपा करें कि गरीब आदमी इसका शिकार न होने पावे और अगर किसी का नुकसान हो तो मार्केट प्राइस पर उसको कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये। अभी तक लैंड एक्वीजीशन आदि में जो सरकार का कम्पेन्सेशन देने का तरीका है उसके बारे में इस हाउस में कई बार कहा जा चुका है। पंजाब और बिहार में इससे कई गुना कप्पेन्सेशन दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जमाना बदल गया है। गरीबों को भी जिन्दा रहने दीजिये। जो बेचारे गरीब हैं, अलाभकर जोतों वाले हैं उनकी वह थोड़ी सी जमीन भी छीन लेना चाहते हैं तो उसके बदले में इतना तो खयाल उनका रखना चाहिये कि उन्हें उचित कम्पेन्सेशन मिल जाय। (व्यवधान) लेने का सवाल इस तरह तो नहीं है लेकिन इस तरह आ जाता है कि आपने एक बार तोड़वा दिया, दरवाजा खोल दिया उधर से तो उसमें तो गांव के गांव साफ हो गए, उनका फिर क्या हाल होगा ?

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वह भी बाढ़ के इलाके के हैं। तो आपके यहां तो श्रीमान्, हमने देखा, जो शीत लहरी आयी उसमें बहराइच में इतनी छूट हुई कि जिसकी कोई हद् नहीं लेकिन हमारे जिले गाजीपुर में जहां पर कि शीत लहरी का इतना भीषण प्रभाव पड़ा, सारी फसल का नुकसान हो गया, वहां एक पैसे की छूट नहीं मिली। सूखे से सब वहां नुकसान हो गया लेकिन एक पैसे की छूट नहीं मिली। मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्री जी के जिले में तो इस तरह की हरकत हो और हमारे यहां जब कि बहराइच से ज्यादा नुकसान हो, वहां एक पैसे की छूट न दी जाय, यह कहां का न्याय है ? मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जिन नजरों से वह बहराइच को देखते हैं उन्हीं निगाहों से हमारे गाजीपुर की तरफ भी देखें तो शायद जो भुखमरी की समस्या आज है, वह भी वहां से खत्म हो जाय।

आज तो बराबर सदन में भुखमरी की शिकायतें की जा रही हैं और सरकार कहती है कि उसने सस्ता गल्ला हर जगह भेजवाया है, मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे यहां दो तीन गांव पंचायतें ऐसी हैं कि जहां आज तक १ छटांक गल्ला भी नहीं गया है। मंत्री जी अपने जिलाधीश

[श्री कमलासिंह यादव]
से पूछ लें कि आज २७ अगस्त तक कितने छटांक गल्ला वहां दिया है । माननीय नेगी जी से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपकी तो उधर रिश्तेदारी भी है, आप पता लगवा लीजिये, कितने छटांक गल्ला वहां भेजा गया है ? अगर एक छटांक भी गया हो तो जो सजा किसी और को हो सकती है वह मुझे दी जाय । (व्यवधान) मैं किसी बुरी भावना से नहीं कह रहा हूं वह तो दूसरे लोग उस तरह की बात उछालते हैं । मैं तो आपको बहुत ऊंचा समझता हूं । लेकिन इसलिये कह रहा हूं कि गरीबों का तबका बहुत नीचा होता है । आपके लिये तो खाने की कोई कमी नहीं है । लेकिन उस गरीब के बारे में समझ में नहीं आता जो झोपड़ियों में भूख की ज्वाला से व्याकुल और परेशान है । भगवान जाने वह किस तरीके से अपनी जिन्दगी बसर करता है । परिवार में १४–२० आदमी हैं और उसको तीन किलो अन्न दिया जाता है, वह भी दिन भर दूकान पर रहने के बाद में । अगर चना होता तो एक एक मुट्ठी खा भी लिया होता, लेकिन गेहूं बगैर पकाये खाया भी नहीं जाता है । इसलिये माननीय मंत्री जी गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील, भदिया पंचायत और गढ़वाल तहसीलों की तरफ ध्यान देने की कृपा करें । वहां न कोई दूकान है और न कोई लाइसेंस । माननीय मंत्री जी रूल्स में अवश्य ही कोई प्राविधान करें जिससे गरीब जनता के अधिकारों का हनन न हो ।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)––

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, चूंकि पहले विधेयक में कुछ कमी थी, इसलिये उस कमी को पूरा करने के लिये यह विधेयक सरकार द्वारा लाया गया है । मैं समझता हूं कि सरकार को कुछ विवशता अनुभव हुई जिसके आधार पर यह विचार किया गया कि कानून में संशोधन किया जाय । मेरा विचार है कि सरकार को इस प्रकार का संशोधन विधेयक लाने के पहले इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिये था कि इस विवशता का मूल कारण क्या है ? पानी के बहाव में इस प्रकार के व्यवधान उपस्थित हो जाते हैं । इसके दो कारण हैं । एक तो यह है कि जो पानी का स्वाभाविक प्रवाह था, जो छोटे-छोटे नाले और नद थे वे पट गये तथा छिछले हो गये हैं । दूसरा यह कि सरकार की ओर से जो विकास के कार्य हुए, जो बांध और सड़कें बनायी गयीं, ट्यूबवैल्स की नालियां बनायी गयीं, उनसे कुछ ऐसी अव्यवस्था पैदा हो गयी कि पानी का जो स्वाभाविक बहाव था वह अवरुद्ध हो गया ।

(इस समय २ बजकर ३४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार एक व्यापक पैमाने पर पूरे प्रदेश में सरकार एक ऐसे सर्वेक्षण की व्यवस्था करे और यह मालूम करे कि कौन से ऐसे बांध और सड़कें हैं जिनकी वजह से नदियों के पानी का स्वाभाविक बहाव में व्यवधान पैदा हो गया है । इसके अलावा हमारे यहां एक गंगरी नाला है जिसके गहरा करने के लिये सरकार से बार-बार प्रार्थना की गयी । अभी शास्त्री जी गोरखपुर गये थे । उनको भी लिखकर दिया गया कि इस नाले को गहरा कर दिया जाय । और बहुत से स्थानों से नालों और नदियों को गहरा करने के प्रस्ताव आये । सरकार को उन प्रस्तावों की ओर ध्यान देना चाहिये ।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)––

श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री रामलखन शुक्ल––

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कार्य हुए जिनकी वजह से कुछ व्यवधान प्रस्तुत हुए और उन्हीं व्यवधानों को हटाने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है । इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर कैसे आती है इसका एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं । गोरखपुर शहर के पास राप्ती रोहिन नदियां मिलती हैं ।

आज से १५–२० वर्ष पहले काफी दूरी में वे बहती थीं और वहां पर तीन स्थानों पर बड़ा ही जबरदस्त व्यवधान उपस्थित कर दिया गया । इस पर जीतपुर नालों से होकर एक पक्की सड़क बना दी गयी, वडगहिल नाले पर बस्ती वाली सड़क पक्की बना दी गयी और फिर शहर बचाने के नाम पर एक मलौनी बांध बांध दिया गया । मलौनी बांध ने पिछले सालों में कितनी तबाही पैदा की है, यह सभी को मालूम है । गोरखपुर शहर को बचाने के नाम पर ३६–४० मील की दूरी पर भी यदि राप्ती में कोई ठोकर बनाने की बात कही जाती है तो इंजीनियर साहब ने कहा है कि इसका प्रभाव मलौनी बांध पर पड़ेगा । अब डाक्टर या इंजीनियर. जो कुछ कहते हैं उसे तो मानना ही पड़ता है, उसी तरह से मलौनी बांध के बारे में जो कुछ भी इंजीनियरों ने कहा उसे कबूल करना पड़ा । लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ऐसी कार्यवाही हुई जिससे कुछ व्यवधान प्रस्तुत हुए ।

जिस भावना से यह संशोधन विधेयक यहां लाया गया है उसके देखते हुए हर समझदार आदमी इसका समर्थन करेगा और मैं भी इसका समर्थन करता हूं, परन्तु सरकार को एक चेतावनी अवश्य दे देना चाहता हूं कि लोगों की सम्पत्ति व जीवन की रक्षा करने के लिये जिलाधीश को जो आप डिस्क्रिशनरी पावर दे रहेहैं इस पर आप गम्भीरता के साथ सोच लें । आखिर वह किसकी सम्पत्ति की व किसके जीवन की रक्षा करेगा ? यह एक बड़ा ही जबरदस्त पावर आप जिलाधीशों को दे रहेहैं । मुझे सन् ६२ की बात याद आती है जब कि बड़ी ही जबरदस्त बाढ़ आयी थी । बड़गहल के पास राप्ती नदी को काट देने का विचार तो रहा था । परन्तु उसके काटने से लाखों व्यक्तियों का जीवन खतरे में पड़ जाता। फिर यह सवाल पैदा हुआ कि शहर को इस बाढ़ से कैसे बचाया जाय ? शहर को बचाने के नाम पर किसानों की हजारों एकड़ भूमि जलप्लावित हो गयी । मुझे याद पड़ता है कि सन् ६२ में लोग बस्ती वाली सड़क के किनारे के बांध की रक्षा के लिये भाला, बर्छी और लालटेन लिये हुए बराबर रात में पहरा देते रहते थे और यदि कभी इंजीनियर भी वहां जाते थे तो उनको भागते ही बनता था । तो इस पर आपको गौर करने व सोचने की आवश्यकता है और माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे अपने नियमों के अन्तर्गत कुछ ऐसा संशोधन रखें जिससे जिलाधीशों को जिम्मेदारी के साथ अपना डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करने की समुचित व्यवस्था हो । जिलाधीशों को यह डिसक्रिशन देते वक्त उनके ऊपर कोई दूसरी आल्टरनेटिव व्यवस्था प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होनी चाहिये । मुझे आशा है कि मंत्री जी जिस शुभ कामना से इस विधेयक को लाये हैं उससे प्रेरित हो कर ही सदन इस पर विचार करेगा । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बाढ़ का बिल जो मंत्री जी लाये हैं इसका विरोध मैं नहीं करता। चूंकि यह बिल तो अच्छा है और बहुत जरूरी है लेकिन साथ ही मुझे अफसोस जरूर है कि सन् ५१ में यह बाढ़ ऐक्ट बना था और क्या तब से अभी तक यह सरकार सोती रही ? कितने ताज्जुब की बात है, माननीय सदस्य मानते हैं कि सन् ५१ से यह सरकार पृथ्वीराज की नींद में सोती रही और जिलाधीशों को अधिकार नहीं दिया गया और इसी कारण से प्रदेश चौपट हुआ है। मंत्री जी हमारे जिले में गये थे, वहां पर जल प्रलय हो रहा था और अब भी वहां यही बात है, यह न समझ लेना कि अब ठीक हो गया है । बजट से हमने रुपया पास किया, बाढ़ से बचाओ, योजना बनाओ और हर विकास क्षेत्र में योजना बनाकर भेजी गई, हर ब्लाक की मीटिंग में पास हुई, जिला-परिषद् ने उसका समर्थन किया लेकिन उनके जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर सरकार कठपुतली बनी हुई है और जो आज भी गैलरी में नहीं आये हैं कि जो सुन सकते कि सदस्यों की क्या राय है । यह अधिकारी जो किसान के गले को दबोचते हैं, जो किसान को फांसी चढ़ाते हैं वह यहां नहीं आते । बाढ़ का वह क्या प्रबन्ध करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लखीसिंह]

मुझे बताना पड़ेगा कि जब किसी जगह से पानी को निकालने की योजना बनाई जाती है तो ड्रेनेज विभाग के अधिकारी कहते हैं कि यह तो सिंचाई विभाग निकालेगा । सिंचाई विभाग के इंजीनियर कहते हैं कि जिलाधीश हमें जमीन दिला दें तब निकलेगा । तो इस सरकार पर हमारा चार्ज है कि यह सरकार किसानों को तबाह करना चाहती है, उनको कुचलना चाहती है । मैं नहीं जानता कि मंत्री जी सन् ५१ में इस विभाग में थे या नहीं। मैं तो उस वक्त जेल में रहा हूं लेकिन सरकार उनके दल की ही थी, सरकार कहां सो रही थी जो तब से इतना नुकसान कर दिया ? जो किसानों का नुकसान ५१ से अब तक हुआ है वह सरकार को देना चाहिये, यह मेरा सुझाव है, यह नोट कर लें। यह सरकार नुकसान का हिसाब लगाये, सर्वे कराये और हर साल जो नुकसान ५१ के बाद किसानों का हुआ है और जो सरकार की भूल के कारण हुआ है वह सरकार दे। आज जो यह बिल आया है मैं इसका विरोध नहीं करता, सुबह का भूला-शाम को घर आ जाय तो भूला नहीं कहाता । अब चेते हैं गनीमत है । हमारे यहां जमुना में बाढ़ आती है लेकिन कोई प्रबन्ध नहीं किया गया । चाहे बलिया में बांध बने हों या कहीं बंधें हों लेकिन हमारे जिले में बाढ़ रोकने के लिये इस सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया, यह भी मंत्री जी नोट कर लें । वह खुद देख आये हैं, उनको बताने की बात अब नहीं है । पूर्व की सी हालत अब हमारे इलाके में भी हो गई है। वहां भी सारी खरीफ की फसल मारी गई और आपके जिलाधीश और इंजीनियर कानों में तेल डालकर सो रहे हैं । हम आगरे में इंजीनियर से मिले और उनसे कहा । उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमारे पास रुपया ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं । जो अपर डिवीजन के इंजीनियर हैं उन्होंने कहा कि हमारे जो अधिकारी हैं उनको हमने नक्शा बनाकर भेज दिया है । जिलाधीश को अधिकार दिया नहीं और एक एक महन्त अभी ऐसे बैठे हुए हैं, आपने तो जमींदारी खत्म कर दी है, मैं कहता हूं खाक खत्म नहीं की, अझ-ईकलां के एक महन्त ने नाला रोक दिया और हजारों एकड़ जमीन पर खरीफ की खड़ी फसलें उसके कारण बरबाद हो गयीं, पर जिलाधीश महन्त से डाली लेकर खुश हो जाता है। मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करता लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जिलाधीश को अधिकार देना जरूरी है । लेकिन अधिकार के साथ ऐसे जिलाधीश वहां नियुक्त करो जो गरीब किसान के साथ अन्याय न करें । ऐसा न हो कि १, २ एकड़ वाले किसान की जमीन ले ली जाय और महन्त के डर के मारे, उसकी डाली के मारे छोटे-छोटे किसान मारे जायं । हम तो यहां तक तैयार हैं कि बहुत से किसानों को बचाने के लिये अगर बाढ़ रोकने का इंतजाम होता है तो हम तैयार हैं लेकिन उस किसान को उसकी जमीन का सही मुआवजा दिया जाय जो पड़ोस की पंजाब सरकार देती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर बहुत बहस हो चुकी है ।

श्री कल्पनार्थासिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, हमको कुछ बातें कहनी हैं, ३, ४, बार खड़ा हुआ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है आप बोलें और एक दो सदस्य और बोल लें क्योंकि ज्यादा समय नहीं है ।

श्री कल्पनार्थासिंह--

श्रीमन्, माननीय रामलखन शुक्ल ने सही ढंग से सरकार का ध्यान कुछ बातों की तरफ आकृष्ट किया है और मैं समझता हूं कि इस बिल से प्रशासनिक संबंध राजस्व मंत्री का है इसलिये उन्होंने इस बिल को पेश किया, वरना अगर इसका असर देखा जाय तो समूचा असर सिंचाई विभाग पर पड़ता है । हमारी बात अगर सिंचाई मंत्री तक पहुंच जाय तो मैं समझता हूं कि प्रदेश का ज्यादा कल्याण होगा। हमारे प्रदेश में सिंचाई विभाग बांध बनाता है । कुछ बांध ऐसे हैं जो फ्लड डिबीजन ने बनाये जो सिंचाई विभाग में ही शामिल हैं । आज इन बांधों के

बारे में यह कहा जाय कि वह फीजीबिल नहीं हैं, उपयुक्त नहीं हैं, जो इतने सर्वे के बाद बनाये गये, तो इसकी जिम्मेदारी सिचाई विभाग को लेनी चाहिये। मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि बस्ती जिले में, जब पिछले साल एक बांध के काटने की घटना हुई तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी और वह बांध सरकार द्वारा बनवाया गया था। वहां के लोगों का कहना था कि यह बांध उपयुक्त स्थान पर नहीं बनाया जा रहा है। इससे दूसरी तरफ के रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचेगा। नतीजा यह हुआ कि जब बाढ़ ऊंची आयी तो अधिकारियों को उसको काटना पड़ा और दूसरी तरफ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया जिसके खिलाफ पुलिस को गोली चलानी पड़ी। उसकी जांच हुई, क्या रिपोर्ट आयी मुझे नहीं मालूम, मैं उस पर कमेंट नहीं करता लेकिन एक फैक्चुअल स्टेटमेंट हो चुका है कि वहां गोली चलाने की आवश्यकता अधिकारियों को पड़ी।

माननीय चन्द्रसिंह रावत जी ने कहा कि जहां दो जिलों का सवाल पड़ जाय वहां स्थिति कैसे सम्हाली जा सकती है। माननीय रामलखन शुक्ल ने कहा कि गोरखपुर में मलौनी बांध को बचाने के लिए एक तरफ के हिस्से को किस तरह से उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है। आज दो तरह के बांध हैं। एक सरकार के बनाये हुए और दूसरे जनता द्वारा बनाये हुए। मेरा कहना है कि जिसको जनता ने बनाया है उसके भी स्थान का भार सरकार को लेना चाहिए। उस बांध के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनकी जानकारी में नहीं है। यह बांध उन सब की जानकारी में है और हमारी सरकार की जानकारी में बना है। चाहे वह जनता द्वारा श्रमदान के जरिये बना हो अथवा सरकार द्वारा बना हो, सरकार को उस बांध की रक्षा करनी चाहिए।

इस सिलसिले में मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा कि एक बांध कोठा रकेहट है जो हमारी तहसील में राप्ती के किनारे अस्वन पार पुर बांध, जो तरैना के संगम तक जाता है, अगर उस बांध की और मझौली और ददरी बेरिया बांध में मरम्मत ठीक से सरकार नहीं रख सकती तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है ? इसके टूटने से कई हजार एकड़ फसल का नुकसान होता है। पिछले साल वह बांध टूट गया था। उस की मरम्मत नहीं हुई। मेरी कांस्टीटचुएंसी के करीब १६४ गांव प्रभावित हुए। दूसरी तरफ एक और बांध राप्ती नदी के उस ओर पड़ता है। हमेशा इस बांध को काटने की कोशिश की जाती है और मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस बांध को सरकार द्वारा बनाया जाय या श्रमदान के द्वारा बनाया गया हो, उस बांध को तोड़ने की चेष्टा देवरिया के जिलाधीश, करेंगे या लोग करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि गोरखपुर की जनता इस बात को बैठे-बैठे कैसे देखेगी कि यह कितना उचित है अथवा अनुचित है। जब हम कहते हैं कि प्रत्येक बांध को मजबूत बनाइये तो सिंचाई विभाग के इन्जीनियर कहते हैं कि यह बात फीजिबिल नहीं है। क्योंकि यह नदी के पेटे में है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है राप्ती के दूसरे किनारे पर वे बांध बनाने की सोच रहे हैं तो इस तरह से अगर अनप्लान्ड वे में बांध बनाये जायेंगे तो दूसरी तरफ के लोग उसको बरदाश्त करने के लिए कैसे तैयार होंगे ? नदियों का पानी अगर अपने आप किसी तरफ बह जाय तो लोग बरदाश्त कर सकते हैं क्योंकि उसे वे दैवी आपदा मानते हैं किन्तु अगर मनुष्य एक तरफ बहने वाले पानी को दूसरी तरफ कर देता है तो वह आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है जिसका नुकसान होगा।

कुछ लोगों ने १९६१ की बाढ़ में मेरी कांस्टीटएंयूसी में एक राप्ती के किनारे ददरी-बेरिया के बांध को काटा। मैं माननीय मन्त्री जी के सामने रखना चाहूंगा कि वे मेरी बात की सत्यता को जांचने के लिए अपने रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों से पता लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ। आज भी पचासों ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं। मेरी कांस्टीटचुएंसी में एक बांध मझौलिया है। इसको सिंचाई विभाग के फ्लड डिवीजन ने बनाया था। अगर इस बांध को काटने के लिए दूसरे जिले के लोग या जिलाधीश वहां के लोगों से प्रभावित होकर करते हैं तो मेरा ख्याल है कि बांध बनाने की सारी योजनायें ही असफल हो जायेंगी।

[श्री कल्पनार्थासिंह]

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि किसी भी बांध को काटने से पहले इन बांधों का सिंचाई विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया जाय और यह बताया जाय कि अगर फ्लड लेविल इतना होगा तो उस मौके पर यह बांध काटा जा सकता है, अन्यथा नहीं। बांध काटने का कारण देना चाहिए और उससे क्षतिग्रस्त होने वाले लोगों को उनकी सुनवाई का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सूचना देकर जहां दो जिलों का सवाल हो वहां के जन प्रतिनिधियों और वहां के सरकारी अधिकारियों को मिलकर सोचना चाहिए और जब तक कोई निश्चित परिणाम पर न पहुंच जायं कि फलां बांध काटना आवश्यक है, तब तक बांध काटने का अधिकार किसी जिलाधीश को न होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बांध काटने के पहले वहां का सर्वे होना चाहिए। अगर हमारे सुझाव पर ध्यान दिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

*कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, यह संशोधन विधेयक बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है और इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार के जितने भी विधेयक होते हैं, वह कैसे होते हैं, उनमें जो सरकार का पैसा लगता है, उसका दुरुपयोग होता है। इस बात को बहुत सोचने की जरूरत है। आज सरकारी पैसा जो जनता के कामों में खर्च होता है, उसका अधिकांश हिस्सा दुरुपयोग किया जाता है। मान लीजिये बाढ़ से रक्षा के लिए बन्धी बनायी गयी है, उसमें ठेका दिया गया, ओवरसियर, इन्जीनियर वगैरह यह सब खा जाते हैं, पैसे का दुरुपयोग होता है और काम भी ठीक से नहीं होता है।

एक मेरा सरकार से छोटा सा सुझाव है, उस पर आज पूरा सदन भी गम्भीरता से विचार करे, वह यह है कि जहां-जहां पर नदियां हैं वहां पर वहां की जनता बाढ़ से सताई हुई है, वह पीड़ित है। वहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने और कपड़े की कोई व्यवस्था नहीं है और वह अत्यधिक गरीब हैं। तो ऐसे पीड़ित लोगों की एक सेना बनायी जाय और आपके इन्जीनियर, ओवरसियर, उनको सिपाही रखें, और उनसे काम लें। इस प्रकार से जहां-जहां पर ठेकेदार की निर्माण कार्य में जरूरत हो उसको हटाया जाये, क्योंकि वह ठीक से काम नहीं करते हैं और सरकारी धन का बहुत अपव्यय होता है। तो इस तरह से जो गांव के लोग बेकार हैं, जो भूखों मर रहे हैं ऐसे लोगों की एक सेना भरती की जाय और आप के इन्जीनियर और ओवरसियर उन्हें सिपाही रखकर उनसे काम लें। ऐसे कार्यों का हिसाब देखने के लिए वहां के जन प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनायी जाय, जिससे कि धन का कहीं से भी दुरुपयोग न होने पाये।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि हमारा प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के और जिलों से बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ है, वहां पर बेकारी और भुखमरी सर्वत्र व्याप्त है। जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेरे जिले के दरिया काफी बढ़ी हुए हैं। उधर गंगा और सई तथा २-३ छोटी -छोटी नदियों की बाढ़ से लोग पीड़ित हैं। क्षेत्र की जनता चारों तरफ से नदियों की बाढ़ से घिरी हुई है। हमारे क्षेत्र में गंगा, सई, बखुलाई आदि और कई छोटी-छोटी नदियां हैं, जिनसे जन जीवन परेशान है। सारा क्षेत्र छोटी-छोटी नदियों से घिरा हुआ है। कोई पुल नहीं है, बाढ़ के समय निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मेरे क्षेत्र की जनता बहुत ही दुखी है। अगर आप मेरी बात की ओर ध्यान दें तो मैं आपको बताऊं रामनगर कौल की बाढ़ से मेरा इलाका ३ तरफ से बिलकुल घिर जाता है और सारे मवेशी भूखों मरने लगते हैं। जनधन की अत्यधिक हानि हो जाती है। दूसरे गांव बताऊं आपको मुस्तफाबाद, कसिया रामपुर, अगई, बेवली, उछापुर, बीरसापुर आदि जाने कितने ऐसे यह सब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गांव हैं जो सई नदी की बाढ़ से बहुत दुखी रहते हैं और उनके निवासियों के लिए निकलना-बैठना दूश्वार हो जाता है। इस सब लोगों की एक ऐसी सेना भरती की जाये, जिससे कि पाले और भूख से सताये हुये जो लोग हैं उनको काम दिया जाये और वह १-२ रुपया कमा सकें। और आपके ओवरसियर और इन्जीनियर उनसे बांध बनवाने का काम ले सकें। तो इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक से इन्जीनियर और ओवरसियर निरीक्षण करते रहें और उन की बेकारी ही दूर हो जायगी। मेरा जिला जितना गरीब है उस की जनसंख्या भी बहुत अधिक ही है। वहां के लोग भूख से पीड़ित हैं और पाले से सताये हुये हैं, अभी वहां बाढ़ नहीं आयी है। अगर बाढ़ आ जायगी तो कुछ कहना ही नहीं है। मेरा अनुरोध है कि अगर सई और गंगा में बाढ़ आये तो बाढ़ पीड़ितों और बेकार लोगों की खास व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं प्रार्थना करूंगा कि और माननीय सदस्य क्लाजेज पर बोल लें।

श्री सुखदेवप्रसाद--

श्रीमन्, जनसंघ में से केवल दो ही मेम्बर बोले हैं, मुझे केवल ३ मिनट दे दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप चौथे क्लाज पर बोल लीजिये।

श्री रामकुमार शास्त्री--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निहायत खुशी हुई जब इस सदन के माननीय सदस्यों को यह सुअवसर प्राप्त हुआ कि बाढ़ से सम्बन्धित जो परिस्थिति उनके भिन्न-भिन्न जिलों में वर्षों से व्याप्त है, उस तजुर्बे के आधार पर वे बहुत संजीदगी के साथ जो एक भयावह परिणाम होता रहा है उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करें। मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल सूत्र रूप में है। बाढ़ का नाम जरूर है, लेकिन इसमें बहुत से मित्र बहुत से सुझावों को लाकर समावेश करना चाहते हैं। जैसे एक बड़ी नदी है और स्रोत कई हैं, नाले हैं, तालाब हैं, उसी तरह से हमारे सुझाव भी बाढ़ से सम्बन्धित हैं। मेरे जिले बस्ती में एक बखिरा ताल है, उसका सम्बन्ध माननीया चीफ मिनिस्टर की कांस्टीटचुएंसी से है उसका दायरा सात कोस है और उसमें ८-१० नदियां आकर मिलती हैं, उसको आप चाहें वाटर लागिंग कह लीजिये, इसका समावेश क्या इसमें होता है या नहीं? इस तरह से प्रदेश के और भी जिले हैं, जहां कई जगह से एकत्रित होकर नदियां आती हैं। जैसे देवरिया जिला है, रुद्रपुर में भी बहुत से नाले राप्ती में एकत्रित हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे रक्षा पाने के लिए हमारे पास फ्लड बोर्ड है और लाखों रुपया बाढ़ के कामों में खर्च किया गया है। जैसे बहुत से गांव ऊंचे किये गये और न जाने कितने बांध और ठोकर बनाये गये। अभी मनौली बांध का जिक्र यहां हुआ है। मैंने उसको देखा है, मीलों तक जाती है और इसके इर्द-गिर्द अनेकों बंध ही बंधे हैं। वहां की जनता ने प्रस्ताव पेश किया है कि हमारा गांव बचाया जाय। तो सरकार ने एक प्रचुर मात्रा में धन खर्च करके उसे बनवाया। पिछले वर्ष विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई। इनके टूटने से बहुत ज्यादा जल जमा हो गया और नुकसान पहुंचा। साधारण माल को क्षति को इतनी फिक्र नहीं होती, लेकिन जब जान की बाजी आ गयी, तो सोचा गया कि किस तरह से रक्षा की जाय। जब १९५१ के बिल में सहारा नहीं और डी० एम० कुछ न कर सका तो इस भावना से प्रेरित होकर हमें यह बिल लाना पड़ा।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

मुझे भाइयों के विचार सुनकर खुशी हुई जिन्होंने बताया कि बाढ़ें कैसे आयीं। माननीय रामलखन शुक्ल और माननीय रामसुन्दर जी पूर्वी जिले के रहने वाले हैं और हमारे कल्पनाथ सिंह जी हैं। इनके साथ देवरिया जिले के २५ मील तक राप्ती में मोटर बोट से मैंने दौरा अभी हाल में किया है। माल मन्त्री जी ने आदेश दिया था कि वहां की स्थिति देखकर रिपोर्ट करो। मुझसे अगल बगल के लोगों ने मांग की कि बांध बन जाना चाहिए। यहां यह कहा जाता है कि अगर बांध बनाओगे तो एक दो या चार जगहें उसमें आ जावेंगी और उसके लिए दुरुपयोग होगा। तो इसीलिए तो यह विधेयक आया है कि जब प्रान्त में अत्यन्त भयावह स्थिति बाढ़ की वजह से आ गयी है तब थोड़ा सा अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देकर काम करवाया जाय। वह कार्य भी जनहित में होगा। हमारे माननीय कमला सिंह जी ने कहा कि दुरुपयोग होगा। लेकिन यहां तो पानी के जो स्रोत हैं उनके निकालने की बात है। हम उनको मालिकाना हक से डिप्राइव नहीं करना चाहते हैं जो वे संविधान के सेक्शंस का हवाला दे रहे थे। एक फौरी काम करने के वास्ते हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार दे रहे हैं। उनका भी बहुतों का उनमें से बाढ़ पीड़ित एरिया से सम्बन्ध होगा, वे क्यों उन अधिकारों का मिसयूज करेंगे। हमें भरोसा है कि वे उनका दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे।

माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा कि जितनी नदियां हैं उनकी सतहें ऊंची हो गयी हैं। हजारों वर्षों से नदियां बह रही हैं। वे जहां से चलती हैं वहां से रास्ते में सिल्ट लेकर जरूर आती हैं और उनसे सतह ऊंची हो गयी होगी। अब मनुष्य से जितना सम्भव हो सकता है उपाय ढूंढता है, सरकार ने भी एक योजना तैयार की और उस पर लाखों और करोड़ों रुपया हम खर्च करने जा रहे हैं। लेकिन गंगा की सिल्ट की बात कही गयी। अब हमारे पास कितना साधन है यह भी देखना जरूरी है। हमें पानी को भी बचाना है और यह भी देखना है कि हमारे पास धन कितना है। बहरहाल, यह बिल छोटा सा है। मैं सभी सदस्यों का आभार मानता हूं कि अपने यहां की स्थिति वर्णित करने का उनको मौका मिला। सरकार जागरूक है और जितने साधन भी हमें उपलब्ध हैं, चाहे ग्रैचूटस रिलीफ के रूप में हों, चाहे लगान की माफी या मुल्तवी करने में जितना भी सम्भव हो सकता है यह जनप्रिय सरकार अवश्य करेगी, क्योंकि यह जनता का कल्याण करने वाली सरकार है। सरकार यह कभी नहीं चाहेगी कि बाढ़पीड़ित इलाकों में लोगों को तकलीफ हो, इस अभिप्राय से यह बिल पेश ही किया गया है। मुझे पूर्ण आशा है कि यह बिल सर्वसम्मति से पास होगा।

*श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)--

मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष जी। माननीय मन्त्री जी ने नदी की तलहटी को नीचा करने का जिक्र किया। आपका कहना है कि हजारों वर्षों से नदियां बह रही हैं, सिल्ट ले आती हैं और हो सकता है कि उनकी तलहटी ऊंची हो जायं। लेकिन जो नदियां सीधे शहरों के अन्दर होकर बहती हैं, जैसे जौनपुर में गोमती बहती है। इसके दोनों किनारों पर शहर बसा है उस पर एक शाही पुल बना हुआ है। आज से चार पांच सौ वर्ष पूर्व अब्दुर्रहीम खानखाना ने उसे बनवाया था। उसका मलबा सब का सब वहीं गिर गया है जिसकी वजह से नदी की तलहटी ऊंची हो गयी है। उसके बारे में सदन में कई बार प्रश्न उठाया गया कि इस मलबे को अगर हटा दिया जाय तो जौनपुर का आधा हिस्सा सुरक्षित हो जायगा नहीं तो उसकी स्थिति यह हो रही है कि वह नदी दक्षिणी भाग की ओर बढ़ रही है और उसका नतीजा यह है कि ओलन्दगंज से कचहरी तक सैलाब में आ जायगा। पिछली बार जब बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी तो तब वहां के कलेक्टर और इन्जीनियर ने चाहा था कि उस पुल के पैरापेट को तोड़ दिया जाय, लेकिन ६ घंटे की मेहनत के बाद सिर्फ तीन फुट पत्थर उस में से निकल पाया। अब ऐसा बहाव पीछे बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से ओलन्दगंज और उससे लगे हुये इलाके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खतरे में आ गये हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि और उनको याद दिलाना चाहता हूं कि गोमती को तलहटी में जो मलबा पड़ा हुआ है जिसके कारण दरिया रुका हुआ है और बाढ़ आया करती है उसको साफ कर दिया जाय जिससे जौनपुर को रक्षा हो सक।

इसी सिलसिले में एक यह बात भी कहना चाहता हूं कि गोमती नदी के ऊपर से एक नाला निकाला गया था। पुराने जमाने में एक नाला निकाल कर, बहीरपुर, नाले के नाम से उस नाले के द्वारा पानी निकालकर ३ मील के फासले पर वह पानी निकाल दिया गया था। अब वह नाला पट गया है। उसको ठीक कर दिया जाय, तो जौनपुर को बाढ़ से कभी भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पानी आगे निकल जायगा।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

यह दोनों बातें इस बिल की परिधि के अन्दर नहीं आतीं।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---

हमारे गोंडा जिले में सरकार ने एक बांध बनाया है, जो कर्नेलगंज से लेकर घघौरा तक है। वह एरिया सारा घाघरा नदी से मिला हुआ है। उन लोगों के जीवन को हमेशा संकट रहता है। उनकी खरीफ की फसल बाढ़ के कारण सदैव बरबाद हो जाती है तो सरकार उनकी खरीफ की मालगुजारी को माफ कर दे और दूसरी बात यह है कि ४ अदालत पंचायतें नरायनपुर कलां, कटुवा नाला, जगदीशपुर, बाल्दी और डुबहा बाजार की खरीफ की फसल टडी नदी, भरथा तालाब और लुश्की नाला के पानी से बरबाद हो जाती है तो वहां पर भी लगान माफ कर दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

यह चीज भी इस विधेयक में आती नहीं तो हम क्या करें।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड २

दीर्घ शीर्ष नाम उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ९, १९५२ ई०।

२---उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का अधिनियम, १९५१ ई० (जिसे एतत्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के दीर्घ शीर्षनाम के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"बाढ़ के कारण आयी हुई या सम्भावित विपत्ति से जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए कतिपय व्यवस्था करने के निमित्त अधिनियम"

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड ३–क

श्री उपाध्यक्ष––

एक संशोधन माननीय काशीनाथ जी का आया है जो मेरे पूर्व के अधिष्ठाता जी ने स्वीकार किया। अब वह उनका संशोधन पेश होगा।

श्री कमलासिंह यादव––

एक मैंने भी संशोधन दिया है। नियमों के विरुद्ध यह नहीं होगा क्योंकि हम लोग अभी कल ही आये हैं। नियम के अनुसार हमको उतना समय नहीं मिला है। तो हमारा संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

अधिक समय न लीजियेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)––

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस विधेयक के अनुकूल है। जो इस विधेयक की मन्शा है और राजस्वी मंत्री जी जो समस्या हल करना चाहते हैं उसमें यह संशोधन सहायक है। हमारा संशोधन यह है कि :––

खंड २ के बाद एक नया खंड ३–क निम्नलिखित रूप में बढ़ा दिया जाय :––

"३–क––जब जिलाधीश को ज्ञान हो या उसकी जानकारी में यह बात लायी जाय कि कोई बस्ती आबादी कटान और बाढ़ के खत` से नष्ट होने वाली है या जान माल का खतरा है, तो उस बस्ती को दूसरी जगह बसाने के लि` तत्काल भूमि अधिगृहीत कर सकता है। और भूमि स्वामी द्वारा कहीं पर भी किसी भी अदालत में उस जिलाधीश द्वारा अधिगृहीत भूमि आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।"

श्रीमन्, आजकल ऐसा देखा जाता है कि जिलाधीश अगर किसी भूमि को अधिगृहीत करके बाढ़ से नष्ट होने वाले जान व माल की रक्षा करना चाहते हैं और उसे अक्वायर किया जाता है तो स्वामी फौरन दौड़ करके कमिश्नरी में जाकर स्टे ले आता है और जिलाधीश की कार्यवाही को स्थगित करा देता है। तो सारी समस्या वहीं पर प पड़ जाती है और जो बाढ़ और कटान के खतरे से जिनको सरकार और जिलाधीश बचाना चाहते हैं वह बचा नहीं पाते हैं और न कोई कार्यवाही हो पाती हैं। तो मंत्री जी मेरे इस सुझाव को मान लें और इस संशोधन द्वारा जिलाधीश को अधिकार दें कि जो जरूरी काम बाढ़ और कटान को रोकने के लिये जिलाधीश करना चाहें वह कर सकें, उनका हाथ मजबूत होगा।

कुछ विरोधी पक्ष के लोगों ने कहा कि रास्ता बनाते समय या कोई क्रिया करते समय जिलाधीश कोई धांधली या पक्षपात कर सकता है। मैं समझता हूं कि जिस समय बाढ़ का संकट आता है तो सरकारी पार्टी हो चाहे विरोधी पार्टी हो या कोई सरकारी अधिकारी हो वह उस समय मानवता की प्रवृत्तियों से ओतप्रोत होकर काम करता है और सही काम करना चाहता है। कोई निर्दय से निर्दय जिलाधीश हो, जब बाढ़ की विभीषिका में पहुंचता है तो गलत काम नहीं कर सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। वह संकट के समय ऐसी ही लोगों की जमीन अक्वायर करता है है जिनके पास ज्यादा जमीन है, लेकिन वह लोग रुपये पर स्` करा लेते हैं। तो ऐसा अधिकार यदि नहीं होगा तो काम सुचारु रूप से न हो सकेगा, यही मुझे कहना है।

*श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं। जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसका मैं अनुमोदन करता हूं। बाढ़ आती है, नदियों में नालों में तो उसके कटाव से घर और जमीन कट जाते हैं और रहने को भी स्थान नहीं रहता। तो खाली कराने के लिये तो विधेयक है ही, लेकिन भूमि अक्वायर करने में दिक्कत हो जाती है। बाढ़ के समय आवश्यकता होती है कि जिनके मकान नीचे हैं या कट गये हैं उनके रहने वालों को ऊपर ऊंचे स्थानों में ले जायं और जानवरों के रहने का भी इन्तजाम किया जाय, उसके लिये ऊंची से ऊंची जमीन अक्वायर करके पजेशन लेना जरूरी होता है, कम्पेंसेशन की बात बाद में आती है। दो तरीके को लैंड अक्वायर होती है। एक तो धीरे-धीरे कार्यवाही होती है, दसरे जहां इम्मीडियेट जरूरत होती है वहां तुरन्त पजेशन ले लेते है, फिर कार्यवाही करते है। तो बाढ़ की परिस्थिति में, जो एक मजेंसी कायम हो ी है उस वक्त जरूरत होती है कि जो छोटे काश्तकार हैं उनको आप उनके स्थानों से हटा कर ऊंचे स्थानों में रखें।

अगर ऊंची जमीन पर उन लोगों को उसी वक्त बसाया जायगा तो मैं समझता हूं कि उनका बड़ा उपकार होगा। जिस वक्त बाढ़ आती है वे लोग ऊंचे स्थान पर बसना चाहते हैं, लेकिन जब बाढ़ चली जाती है तो वे लोग अपनी जगह जाना चाहते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि हमारी जमीन वहां हैं, हमारा घर वहां है। हर साल बाढ़ के कारण उनको परेशानी होती है। बाढ़ के समय वह सही हालत को महसूस करता है, बाढ़ के बाद वह उसे भूल जाता है, उतना उसको महसूस नहीं करता।

कई केसेज में मैंने कलेक्टर से कहा और अधिकारियों से कहा कि गांव के किनारे जो ऐसे लोग बसे हुए हैं जिनके मकान हर साल बाढ़ से कट कर नदियों में मिल रहे हैं उनको कहीं ऊंचे स्थान पर बसाया जाय, कलेक्टर ने आदेश भी दिये जमीन एक्वायर करने के लिये, यह भी हुआ कि मुआवजे में जितना रुपया किसान चाहें ले लें मगर जमीन पर किसी ने मन्दिर बना लिया, किसी ने कोई देवता की मूर्ति स्थापित कर ली, और वह एक्वायर नहीं की जा सकी। इसलिये होना यह चाहिये कि जहां बाढ़ का प्रकोप हो, मकान जोरों के साथ कटकर नदियों में गिर रहे हों, वहां फौरन जमीन एक्वायर होना चाहिये, पहले पजेशन ले लिया जाना चाहिये और फिर मुआवजे आदि का प्रश्न उठना चाहिए। इससे जिन लोगों को बसाना है उनके साथ बड़ा उपकार होगा। इसलिये यह संशोधन रोक रखा गया है यह बहुत जरूरी है। अगर विधेयक में इसको कहीं न रख सके तो रूल्स में मंत्री जी इसे कहीं लाने की व्यवस्था करें ताकि उससे गांव की जनता को लाभ हो सके, जानवरों को लाभ हो सके और जन-जीवन सुरक्षित रह सके।

*श्री हुकुमसिंह विसेन--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाई माननीय काशीनाथ मिश्र तथा माननीय कमलासिंह यादव जी के भाषणों को सुना। जिस भावना से उन्होंने यह संशोधन रखा है उसकी ताईद करता हूं, लेकिन देखना यह है कि क्या यह संशोधन इस बिल में आ सकता है? सभी लोग जानते हैं कि एक लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट बना हुआ है और हर एक को रेमिडी सीक करने का अधिकार है। अब हमसे कहा जाता है कि हम किसी को अपील करने की इजाजत न दें तो मेरी समझ से यह ीक नहीं होगा। अगर कुछ पहले यह संशोधन हम मिल गया होता तो हम उस पर लीगल राय ले लेते, लेकिन इस वक्त जितनी अक्ल मुझ में है उसके अनुसार मैं इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि इसमें बड़ी अड़च पड़ जा गी। मैं बिला वजह किसी को अप राइट्स से वंचित नहीं करना चाहता। हमारा जो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट हैं उसमें फौरी कार्यवाही करने का प्रावीजन है जिस तरह से कि क्रिमीनल प्रोसीजर कोड में झट गिरफ्तार करने का प्रावीजन है। फिर मुकदमा चलता रहे। इस बात से इसमें भी कब्जा लिया जा सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

हां, हमारे मित्र अगर कहते कि हम अपने कलक्टर्स तो यह डाइरेक्शन दे दें, तो हमारा काम हल हो जाय, तो इस विधेयक में ऐसा संशोधन लाना उचित नहीं समझता। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं थोड़ा और कह देना चाहता हूं। २ मिनट में हो जायेगा। लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अंदर यह धारायें मौजूद हैं जो मैंने बताया है। फौरन पजेशन ले लें फिर बाद में एक्यूजीशन करें। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां एसी स्थिति हो वहां पजेशन पहले दिला दें।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

कानून में फंडामेंटल राइट्स उनको हैं। उससे कैसे वंचित रह सकते हैं। बात सही है। जहां तक मौलिक अधिकारों का सवाल है, हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी ही चाहिये। लेकिन उसका कहीं नाजायज उपयोग नहीं होना चाहिये। कहीं २ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जब मौलिक अधिकारों में आपस में तनाव पदा हो जाता है। तो उसके बचाव के लिये, उसके समाधान के लिये, यह आवश्यक है कि अगर इस विधेयक में कानून के मुताबिक फिट न करता हो तो एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव आदेश जारी करें कि इस काम में विलम्ब न हो। कमिश्नर और जिलाधीश को ऐसी इस बात की सूचना दें, राजाज्ञा जारी करें कि इस काम में विलम्ब नहीं होना चाहिये। मैंने देखा कि अगर कोई मौजू जिलाधीश हुआ, बिल्कुल दिलचस्पी से काम करनेवाला हुआ, जैसे कि हमारे यहां पहले एक दत्त साहब थे, जितने लोग चाहते थे बसा दिया था। तो जब ऐसे लोग हों कि खुद दिलचस्पी लेते हों उनको समस्याओं को ध्यान में रख कर जमीन को अधिगृहीत करके, लोगों को बसा दें, तब तो संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब जिलाधीश परवाह नहीं करते तो उस हालत में इस संशोधन को सरकार को मान लेना चाहिये कि राजाज्ञा जारी करके कमिश्नर्स को इस संबंध में आदेश दिये जायं ताकि जो लोग जहां बसना चाहते हों, वहां बस जायें। आपकी मंशा में यह विधेयक सहायक है तो वही मंशा आपको इस संशोधन में भी मिलेगी। अतः मेरा माननीय राजस्वमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि मेरे इस संशोधन को मान लिया जाये और राजाज्ञा जारी करने की कृपा की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राजस्व मंत्री जी, आपको कुछ कहना है इस संबंध में ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २ के बाद एक नया खंड ३-क निम्नलिखित रूप से बढ़ा दिया जाय--

"३-क--जब जिलाधीश को ज्ञात हो या उसकी जानकारी में यह बात लायी जाय कि कोई बस्ती, आबादी कटान और बाढ़ के खतरे से नष्ट होने वाली है और जान माल का खतरा है तो उस बस्ती को दूसरी जगह बसाने के लिये तत्काल भूमि अधिगृहीत कर सकता है और भूमि स्वामी द्वारा कहीं पर भी, किसी भी अदालत में उस जिलाधीश द्वारा अधिगृहीत भूमि आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड ३–४

३––मूल अधिनियम की प्रस्तावना के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :–– उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९५२ ई० की प्रस्तावना का संशोधन

"यह इष्टकर है कि बाढ़ के कारण आई हुई या सम्भावित विपत्ति से जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये कतिपय उपबन्ध बनाये जायं ।"

४––मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय :–– धारा ३–क का बढ़ाया जाना

"३–क–(१) यदि जिला मजिस्ट्रेट का यह मत हो कि किसी क्षेत्र में बाढ़ के कारण आई या सम्भावित विपत्ति से जीवन पर आसन्न संकट अथवा सम्पत्ति की गम्भीर क्षति को रोकने के लिये लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है कि–– पानी के बहाव मोड़ने या बाधा हटाने का अधिकार

(१) बाढ़ के पानी के बहाव को मोड़ा जाय; या

(२) किसी दीवाल, बांध अथवा अन्य किसी वस्तु को, जिससे किसी भी दिशा में ऐसे पानी के बहने में बाधा उत्पन्न होती हो, पूर्णतः अथवा अंशतः हटाया जाय;

तो वह ऐसे पानी के बहाव को मोड़ने के लिये अथवा यथास्थिति ऐसी दीवाल, बांध या वस्तु को हटाने के लिये ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह आवश्यक समझे ।

(२) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (१) के अधीन दी गयी कोई आज्ञा ऐसे अभिकरण (Agency) द्वारा और ऐसी रीति से निष्पादित की जायगी जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय ।"

श्री कमलासिंह यादव––

हमारा संशोधन आप पहले ले लें तब इसको रखें....

श्री उपाध्यक्ष––

आपका तो जनरल है, जहां कहीं भी शब्द 'बाढ़' आया हो उसके बारे में है, वह बाद में हो जायगा ।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)––

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक संशोधन है ।

श्री उपाध्यक्ष––

हां, आपका भी है, मैं एक को एलाऊ कर दूंगा, दोनों उस पर बहस कर लेंगे । बाद में उसको लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बृजबिहारी––

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि इस विधेयक में जहां-जहां शब्द 'बाढ़' आया है उसके आगे शब्द 'अथवा जलप्लावन' बढ़ा दिया जाय । यह क्यों मैंने रखा है इसे भी जान लें ।

श्री कमलासिंह यादव--

माननीय मिश्र जी के संशोधन में जलप्लावन के साथ वाटर लागिंग और ऐड कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह दोनों एक ही चीज है । जलप्लावन वाटलर लागिंग की जगह पर ही है ।

श्री बृजबिहारी--

माननीय कमला सिंह जी ने मेरे संशोधन को समझा नहीं । उनका स्वयं का जो शब्द है उसी की जगह हिन्दी शब्द मैंने रखा है । यह मैंने इसलिये रखा है कि कि ऐसा समय भी आ जाता है कि 'वाटर लागिंग' हो जाती है जिसको कि हिन्दी में 'जलप्लावन' कहते हैं। जल के निकास की व्यवस्था अगर नहीं होती है तो बड़ी मश्किल आ जाती है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को यदि स्वीकार न कर सकें तो आदेश के जरिये से ही ऐसा कर देवें, किसी भी तरह इसकी व्यवस्था कर दें । मैंने उनसे बात भी कर ली है । अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो बड़ी दिक्कत होगी ।

श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल है कि आपने शायद मेरा भी संशोधन साथ में रख दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

उसी में उसका भी समावेश हो गया है । उनका पहले आया था ।

श्री कमलासिंह यादव--

वह तो वापस ले लेंगे । अगर माननीय मंत्री जी इसको मान लेते हैं तब तो ठीक है नहीं तो मैं कहना चाहता हूं .....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, अभी-अभी आपने खंड ३ को विधेयक का अंग मान लिया और खंड ३ में भी 'बाढ़' शब्द आया है । उसके बाद भी आपने इस संशोधन को एलाऊ कर दिया कि जहां कहीं भी 'बाढ़' शब्द आया हो उसके बाद 'जलप्लावन' रख दिया जाय, तो जब यह पास हो जायगा तो क्या स्थिति होगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो जनरल है .... (व्यवधान) विदड्रा तो हाउस की राय से ही होगा और हाउस की राय से ही पास भी होगा । लिहाजा कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता ।

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, विदड्रा पार्टी के डंडे के बल पर होगा । अगर वह विदड्रा नहीं करते तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन अगर विदड्रा करते हैं तो मेरा संशोधन माना जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, पहले उनका संशोधन आया, फिर बाद में आपका ।

श्री कमलासिंह यादव--

अगर वह विदड्रा नहीं करते, तो मैं उनका साथ दूंगा ।

तो उपाध्यक्ष महोदय,जो संशोधन मेरा इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसमें दो बातें हैं । बाढ़ की बात तो विधेयक के अन्दर आयी । लेकिन दो तरीके की यह होती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूर्वी जिलों में नदियों की धारायें जो हैं उनमें पानी बहुत ज्यादा तादाद में आता है तो बाढ़ नदियों के अन्दर आ जाती है। ज्यादातर यह चीज पूर्वी जिलों में होती है, लेकिन पश्चिमी जिलों में वाटर लागिंग होती है। दोनों की समस्यायें अलग-अलग हैं। दोनों में एक बात जरूर होती है कि पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी का लेविल ऊंचा हो जाता है और आगे जब उसका निकास नहीं होता तो गांव में दिक्कत पैदा हो जाती है। मिट्टी पानी से भीग जाती है, और मकान गिर जाते हैं। क्योंकि उनकी दीवारें कच्ची होती हैं। इससे लोगों की जानमाल को खतरा पैदा हो जाता है। यह चीज बाढ़ वाले पूर्वी इलाके में और वाटर लागिंग वाले पश्चिमी इलाके दोनों में होती है। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री जी दोनों प्रकार के गांवों को इस विपत्ति से बचाना चाहते हैं। इसलिये उनको कानून ऐसा बनाना चाहिये जिससे पूर्वी और पश्चिमी दोनों जिलों की समस्याओं का निराकरण हो सके। इसलिये बाढ़ के आगे जल-प्लावन शब्दों को भी बढ़ा दिया जाय। अगर यह चीज नहीं रखी गयी तो पश्चिमी जिलों के लिये आपको नया विधेयक लाना होगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन शब्दों को जोड़ने की कृपा करेंगे। इसमें कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। इन शब्दों को जोड़ने से बात साफ हो जाती है।

*श्री हुकुमसिंह विसेन--

उपाध्यक्ष महोदय, जब पानी बरसता है तो बाढ़ भी आती है और जलप्लावन भी होता है। मई जून में वैसे कौन बाढ़ आती है। "बाढ़" का जो शब्द रखा गया है वह जलप्लावन को भी कवर कर लेता है। लिहाजा एक फिजूल शब्द को कानून में क्यों जोड़ा जाय? नहीं तो कोई कहेगा कि जिस शब्द की जरूरत न थी उसको भी रख दिया गया। हमने जलप्लावन और बाढ़ को कहीं डिफाइन थोड़े ही किया है। चाहे बरसात से पानी आये, चाहे दरिया से पानी आवे, सब को निकालने के लिये उपाय ढंढ़ने से ही इसका मतलब है। इसलिये मैं माननीय सदस्य को आब्लाइज नहीं कर सकता।

(श्री बृजबिहारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, जब मैंने संशोधन रखा है तो क्या आप मुझे जवाब देने का अधिकार नहीं देंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

आपको नहीं बल्कि श्री बृजबिहारी जी को जवाब देने का अधिकार है। मैंने माना कि आपका संशोधन उसी तरह का है, लेकिन उनका पहले है।

श्री कमलासिंह यादव--

वह तो उन्हीं के मत के हैं और अगर कहीं उन्होंने अपना संशोधन वापस ले लिया तो फिर क्या पोजीशन होगी?

श्री उपाध्यक्ष--

जो कुछ होगा वह तो हाउस के मत से होगा।

श्री कमलासिंह यादव--

तो मेरा संशोधन अलग से ले लीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह नहीं हो सकता । जब उनका संशोधन वापस हो जायगा तो आपका ऐसे ही आउट आफ आर्डर हो जायगा।

श्री कमलासिंह यादव--

फिर आप मुझसे कैसे पूछेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपसे पूछने का कोई सवाल ही नहीं है ।

श्री बृजबिहारी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उससे मैं सन्तुष्ट हूं और अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि.....

श्री कमलासिंह यादव--

मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वे वापस ले लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

तो इसके लिये मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मेरा संशोधन दूसरा है। जलप्लावन के अतिरिक्त मैंने "ब्रेकेट में वाटर लागिंग" रखने की बात रखी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसके माने "जलप्लावन" ही होते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमला सिंह जी इस बात के लिये आतुर हैं कि उनसे भी कुछ पूछ लिया जाय कि क्या वे अपने संशोधन को वापस लेते हैं ? तो उनसे आप पूछ लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

उनसे पूछने का मौका नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मेरे संशोधन की शब्दावली दूसरी है।

श्री उपाध्यक्ष--

दोनों संशोधन एक ही हैं। आपने "जलप्लावन" के बदले में अंग्रेजी में "वाटर लागिंग" लफ्ज लिख दिया है लेकिन माने दोनों के एक हैं ।

श्री सुखदेवप्रसाद--

श्रीमन्, अगर एक ही संशोधन कई सदस्यों के नाम हो, और उनका विचार हो कि उनके नाम उसमें नहीं जुड़ सके हैं, वे जोड़ दिये जायं तो इसमें आपको क्या एतराज है । माननीय कमला सिंह जी से पूछ तो लें कि वे क्या चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

नाम जोड़ने का कोई सवाल नहीं है। जो संशोधनार्थ ला गया हो यदि वह गिर जाता है तो दूसरे संशोधन जो उसी तरह के होते हैं वे ऐसे ही नामंजूर हो जाते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय कमला सिंह जी "जलप्लावन" और "वाटर लागिंग" को अलग-अलग करने पर इसलिये जोर दे रहे हैं कि हिन्दी में जल प्लावन का भाव विरहिणी के आंसू बहाने से होता है जब कि वाटर लागिंग के माने दूसरे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री बृजबिहारी जी को उनका संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का (संशोधन) विधेयक, १९६४

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश बाढ़ संबंधी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का अधिनियम, १९५१ ई० को संशोधित करने के लिये उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९५२ ई० का संशोधन।

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

१--यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश बाढ़ संबंधी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का (संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ११ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामकुमार शास्त्री--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बाढ़ संबंधी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है। पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बाढ़ संबंधी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का (संशोधन) विधेयक, १९६४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश लोक-सेवा-आयोग के १९६०-६१ के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, पहले मुख्य मंत्री जी को शेर से पेश तो कराइये।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्रीजी इसको पेश

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, हम तो इसको रखते ही हैं, हमारी ओर से भी उस पर चर्चा हो सकती है, मैं ही आरम्भ करता हूं।

अभी कुछ दिन पहले हमने लोक सेवा आयोग के १९५९-६० के प्रतिवेदन पर चर्चा की थी और श्री काशीनाथ मिश्र ने उस समय प्रधान वक्ता के रूप में भाग लिया था। हम विस्तृत रूप से भी जब पढ़ेंगे तो औपचारिक और अनौपचारिक रूप से इसमें बहुत सी चीजें हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है। १९६०-६१ में केवल ४ स्थानों पर ही सरकार और आयोग के बीच मतभेद रहा है और वह कारण हमने अपने मेमोरेन्डम में रखे है कि सरकार ने किन परिस्थितियों में आयोग की राय से अपनी सहमति प्रकट नहीं की बल्कि चौथी बार तो जब हमने प्रयत्न किया तो हमारी बात को आयोग ने अन्ततः स्वीकार कर लिया उन्होंने लिखा है कि संविधान के अन्तर्गत जो अधिकार, कृत्य या कर्त्तव्य आयोग के हैं उनके अनुसार आयोग की सारी बातों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है केवल ४ केसेज ऐसे थे कि जिन पर आयोग को आपत्ति रही। राजकीय कालेज आफ आर्ट्स ऐन्ड क्रफ्ट्स, लखनऊ में एक लिथोफोटो मैकेनिकल प्रासेस में लेक्चरर (व्याख्याता) के पद पर एक अभ्यर्थी के लिये सिफारिश की गई लेकिन अनफिशियेटिंग तौर पर एक आदमी वहां पहले से ही काम कर रहा था लेकिन वहां के प्रिन्सिपल ने सब की तुलना के बाद यह कहा कि जो आदमी वहां काम कर रहा है वही अधिक योग्यता रखता है और अपेक्षाकृत अधिक अनुभवी है। इसलिये फिर आयोग को लिखा गया और वह इस पर सहमत नहीं हुआ। अन्ततः उस पद पर औपचारिक रूप से नियुक्ति कर दी गई।

इसी तरह से २ पुलिस के सर्किल इंसपेक्टरों को डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पदों पर प्रमोट करने की बात थी। उसके लिये एक सूची गई और जो कमेटी थी उसमें कमीशन के चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी और आई० जी० पुलिस थे, यही सेलेक्शन के लिये कमेटी थी। उस कमेटी के बीच में यह बात चली कि दो सर्किल इंसपेक्टर ऐसे हैं जिनका रोल और कार्य इन सब लोगों से भी अच्छा है जो कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर आफिशियेट करते है तो कमेटी ने यह सोचा कि भले ही उनको इन्टरव्यू के लिये सूचना नहीं दी गई है उनके नामों पर भी विचार कर लिया जाय लेकिन इससे कमीशन ने असमर्थता प्रकट की। बाद में सरकार ने देखा कि उनके बहुत अच्छे रोल्स है और काम अच्छा है इसलिये उनको एज लिमिट में छूट देने के बाद रिकमेन्ड किया गया।

तीसरा केस सेल्स टैक्स अधिकारियों का है उसमें हमारा और कमीशन का कोई मत-भेद नहीं है। सरकार ने कहा कि कुछ परमानेन्ट पोस्ट्स के अगेन्स्ट विभाग के सेल्स टैक्स और असिस्टेन्ट सेल्स टैक्स आफिसर्स को कन्फर्म किया जाय जो आफिशियेट करते थे और चूंकि अनफिशिएटिंग चांस था और अस्थायी पद थे इसलिये सरकार ने उनकी सर्विसेज कायम रखीं और उन्हें हटाया नहीं।

चौथे एक आदमी को कनिष्ठ वेक्सीन मैनुफेक्चर सेक्शन के रूप में रखा गया था और इस आदमी को ही केवल २० साल का तजुर्बा था और उसी को उस विषय का विशेष ज्ञान था इसलिये उसी को रखा गया। इसके लिये बाद में कमीशन को लिखा गया और कमीशन ने उसके

लिये अपनी सहमति भी प्रकट कर दी। इसी तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन की करीब-करीब सारी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और सेक्रेटरी महोदय ने अन्त में स्वयं लिखा है कि सरकार ने हमें बड़ा सहयोग दिया है :

"The Commission note that except in few cases mentioned in this report the provisions of the Constitution of India and of the Public Service (Limitation of Functions) Regulation, were duly observed by government and other appointing authorities and that the advice tendered by the commission were generally accepted. The Commission are particularly grateful to the Chief Minister for taking prompt and suitable action on matters brought to his personal notice."

इसमें सेक्रेटरी ने लिखा है कि मैं मुख्य मंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं कि जब भी कोई मामला उनके सामने लाया गया उन्होंने शीघ्रता से उस पर ध्यान दिया और कार्यवाही की। इसी के साथ सरकार के और भी जो विभाग थे उन्होंने भी हमारी सिफारिशों को स्वीकार किया है, एक दो स्थानों को छोड़ कर। मैं समझता हूं माननीय सदस्य इस पर विचार करके इसको स्वीकार करेंगे।

*श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस सरकार का यह कर्त्तव्य है कि जो प्रतिवर्ष रिपोर्ट आती है लोक सेवा आयोग की उस पर विचार करे और जो खामियां उसमें बतायी गयीं हों उनको दूर करे। मुझे इसको पढ़ने से ऐसा लगता है, पिछले दो तीन प्रतिवेदनों को पढ़ने से, कि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं देती, मैं आगे बताऊंगा। इस रिपोर्ट के पढ़ने से कुछ विचार और शंकायें पैदा हुईं कि जो गठन लोक सेवा आयोग का होता है क्या वह उत्तरदायी है उन अनियमितताओं का....

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, बहुत महत्वपूर्ण विषय है लेकिन पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी को छोड़ कर कोई मंत्री उपस्थित नहीं है। मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री यहां होतीं तो अच्छा रहता ताकि उनके सामने सब चीजें रखी जातीं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि यह सही बात है कि संबंधित मंत्री को उपस्थित रहना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि वह जल्दी आ जायेंगी।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

मैंने यह सोचा कि पहले लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में कहूं। मैं इससे सम्बन्धित संविधान के प्रतिबन्धों के बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि समय कम है। लेकिन एक बात खटकती है कि जब इसका गठन किया जाता है, तो आप अपने मन में स्वयं सोचते हैं कि जिस प्रकार से सब को न्याय दिया जाता है, उतना ही उचित नहीं है कि न्याय दिया जाय बल्कि यह भी आवश्यक है कि दूसरे को मालूम हो कि न्याय दिया गया। क्या कारण है कि ऐसे लोग रखे जाते हैं जिनका सीधा संबंध शासक दल से है। मैंने देखा कि जो कांग्रेस के सेक्रेटरी रहे हों, सदस्य रहे हों, वही लोक सेवा आयोग के सदस्य बनाये गये, सभापति बनाये गये। तो मेरे कहने का मतलब यह है, मैं उन पर आक्षेप नहीं करता, परन्तु हमको संतोष नहीं हो सकता कि एक शासक दल का आदमी निष्पक्ष रुप से काम करेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हम ऐसी सर्विसेज को छूते हैं जिन पर सारे प्रजातन्त्र का ढांचा निहित है। वह व्यक्ति किसी पार्टी से संबंधित नहीं रहता बल्कि वह उस नीति को कार्यान्वित करता है जो सरकार द्वारा प्रतिपादित की जाती है। परन्तु हमारा शासन समझता है कि सदैव उसे ही कुर्सियों पर रहना है तो ऐसी नींव डालें जो भविष्य में आकर प्रजातन्त्र की डोर खींच ले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को खुद समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई सदस्य ऐसा नहीं होना चाहिये जो कि किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो। पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन कांग्रेस दल से संबंधित था। कुछ हमारे ऐसे मंत्रीगण या कांग्रेस के सदस्यगण हैं जो इस समय पावर में नहीं हैं या एम० एल० ए० नहीं रहे, उनके लिये सोचा जा रहा है कि वे भी पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य मुकर्रर कर दिए जायं। पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी सदस्य जब किसी राजनीतिक दल से संबंधित रहेगा तो वह निष्पक्ष नहीं हो सकता है क्योंकि हर जगह यह शासन अपना अनुचित प्रभाव डालता है। यदि किसी नियुक्ति के बारे में उन्हें निर्णय देना पड़ा तो उनका निर्णय अवश्य ही अपने दलगत बिचारों से प्रभावित रहेगा। अपना मुंह सफेद करने के लिये यह आवश्यक है कि सरकार ऐसा करे कि कोई भी आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य नहीं होगा जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो क्योंकि वह निष्पक्षता नहीं कर सकता है। अभ्यर्थियों का चुनाव यदि टैक्निकल जाब्स के लिये करना हो जैसे डाक्टर, इंजीनियर्स आदि तो उस विभाग के एक्सपर्ट को कोआप्ट कर लेना चाहिये ताकि साक्षात्कार के समय वह भी मौजूद रहे। रिपोर्ट पढ़ने से यह पता चलता है कि सेक्रेटरी महोदय ने अन्त में लिखा है कि हम सरकार के बड़े आभारी हैं कि आपने हमें सहयोग दिया जिससे हमारे काम में हमें बहुत सुविधा पहुंची। क्या किसी भी सरकार में ऐसा किया जाता है? हम सरकार की हर गलती को तो नहीं पकड़ पाते हैं पर एक दो गल्ती को तो पकड़ ही सकते हैं। सारी सर्विसेज में अयोग्यता, अक्षमता, करप्शन हम क्यों पाते हैं, उसका कारण यह भी होगा कि प्रभाव में पड़कर कुछ अभ्यर्थी चुन लिये जाते हैं। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि यह तो खिचड़ी के दो एक चावल हैं जिससे सारे प्रभाव के अन्दर चुनाव का पता चलता है। क्यों हमारी सरकार इन चीजों से सबक हासिल नहीं करती? पुराने प्रतिवेदनों को अपने सामने रख कर काम नहीं करती? प्रोमोशन द्वारा जो नियुक्तियां होती हैं उन्हें भी देख लिया जाय कि कितनी अनियमितताएं हैं।

आपने देखा होगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में एनैटौमी के प्रोफेसर का चुनाव किया गया। वह बुलाये गये, वहां किसी कारण इन्टरव्यू हुआ लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन को उनकी चरित्रावली नहीं पहुंची। इसलिये उनका एप्वाइन्टमेन्ट फाइनली नहीं हुआ लेकिन फिर सरकार ने अनुरोध किया कि फिर से उनको बुला लिया जाय। उनको फिर से बुलाया गया। वर्ष भर फिर लग गया। उनके कैरेक्टर रोल से पता चला कि उनका कैरेक्टर रोल गड़बड है। लेकिन यह पता बहुत देर बाद चला। कैरेक्टर रौल गड़बड़ होने पर भी सरकार ने कहा कि उन्हें फिर से नियुक्त कर दिया जाय जिससे पब्लिक सर्विस कमीशन सहमत नहीं रही। यद्यपि सरकार के आग्रह पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने उन्हें फिर दुबारा बुला लिया। यह इनकी शुद्धपरता का प्रमाण है।

दूसरी बात आप कहते हैं, पेज १० और ८ नम्बर पर। चोर दरवाजा मैं कहूं तो आप कहेंगे यह अनपार्लियामेन्टरी है। मैं इससे अधिक आलोचना आपकी क्या करूं, इसी प्रकार कह कर चुप रह जाना चाहिये। जिसमें हमारे मुख्य मंत्री हैं, इतने हमारे मंत्री हैं और इतने सदस्य हैं, वे मजबूर होकर चोर दरवाजे का प्रयोग करते हैं। इससे भी बहुत अधिक कहा जाना चाहिये।

इसके दो प्रमाण दिये। पहली बात तो यह है श्रीमन्, जरा मैं पढ़ दूं --

"ऐसे ११ आबकारी निरीक्षक थे, जिनके स्थायीकरण के लिये आयोग को कोई न्यायोचित आधार न मिल सका था और जिनके बारे में आयोग की राय अन्त में नहीं मानी गई। ये ११ आबकारी निरीक्षक उनमें से थे जिन्हें एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा में पास होने का अवसर दिया गया था। इन्हें अनेक नियमों को शिथिल करके परीक्षा में

बैठने दिया गया था, क्योंकि सरकार की तरफ से यह दावा किया गया था कि इनकी योग्यता देखनी चाहिये। लम्बा किस्सा है। उन्होंने कहा यह बहुत अनुभवी और व्यवहार कुशल हैं, यह इतने दिनों तक काम कर चुके हैं। परन्तु जब इतनी अधिक सुविधाओं और छूट देने के बावजूद भी और अपने लम्बे अनुभव के बाद भी फेल हो गये, तो आयोग को इसमें कोई औचित्य नहीं दिखलाई पड़ा कि वे आबकारी निरीक्षक के पदों पर और अधिक बने रहने दिये जायं। लेकिन बाद में यह सब आबकारी निरीक्षक के पदों पर फिर से नियुक्त कर लिये गये।"

फिर भी हमारी सरकार और यह आयुक्त जो आबकारी आयुक्त हैं, इनका क्या गठ-बन्धन है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। श्रीमन्, जरा सुन लें, सेवा आयोग ने इसके बाद क्या कहा--

"आयोग ने इसका बहुत विरोध किया और इस मामले को मार्च, १९६१ में मुख्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया तथा अनुरोध किया कि वे इस मामले को देखकर कुछ उपाय करें जिससे लोग सरकारी सेवा में अवैधानिक ढंग से और चोर दरवाजों से प्रवेश पाने का प्रयत्न करना छोड़ दें।" और मुख्य मंत्री ने प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति के बाद शीघ्र-ही उत्तर दिया कि उन्होंने मामले को देखा है और वे इस बात से संतुष्ट हैं कि उन सब आब-कारी निरीक्षकों की स्थायी नियुक्ति का अनुमोदन मंत्रिमंडल ने यथाविधि विचार करके दिया था। तो देखें कि जो न प्रतियोगिता में पास हुए, न टेस्ट में पास हुए और न साक्षात्कार में ही पास हुए और न व्यवहार कुशल ही पाये गये, फिर भी रख लिये गये और आपका मंत्रि-मंडल जो इतना अच्छा है कि उस पर कभी अविश्वास का प्रस्ताव नहीं पास हो सकता है, उसके सामने जब मामला आता है तो कहते हैं--सब देख लिया, हम सन्तुष्ट हैं, उनको फिर से रख लिया जाये। पी० एस० सी० के अनुमोदन की जरूरत नहीं है।

इन सबसे दुनिया क्या समझेगी, पब्लिक क्या समझेगी, इसमें पढ़े लिखे लोग क्या समझेंगे, इसमें मंत्रिमंडल की कोई बात नहीं है, इसमें कोई खिचड़ी बनाई जा रही है और वह मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है कि इसे ठीक करे। ऐसा मेरा ही निष्कर्ष नहीं, सारी दुनिया का यही निष्कर्ष निकलेगा। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। दूसरा एक उदाहरण दूंगा। जरा फेवर की चीज देख लें। यह भी बताता हूं। कुछ सर्किल इंस्पेक्टरों का चुनाव हुआ। तो भी उन्होंने उन पदों के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से कहा कि यह ऐसे सर्किल इंस्पेक्टर हैं, जो बड़े योग्य हैं, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की जगह पर आफिशियेट कर चुके हैं और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद के लिये सर्वथा योग्य भी हैं, अतः उन्हें डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस के पद पर मुकर्रर कर लिया जाय। आयोग ने मामले को देखने के बाद कहा--ठीक है, हम मुकर्रर कर लेंगे, लेकिन आप एक काम करें, आप एक समिति बना लें। उन्होंने समिति के लिये यह स्पष्ट कर दिया कि उसमें भगवान के सदृश चीफ सेक्रेटरी, जो सरकार के नीचे रहते हैं रह, आयोग के अध्यक्ष रहें और आई० जी० रहें, वह भी भगवान की दया से सरकार के बड़े कृपा पात्र हैं और उन पर सरकार की छत्रछाया है। तो यह तीनों आदमी बैठें और उन्होंने कहा ऐसे आदमियों को बुलायें जो आफिशियेट कर रहे थे लेकिन उनको भी बुलाया गया, जिनको प्रथम कभी बुलाया भी नहीं गया था और उनको भी चुन लिया। जब सवाल पैदा हुआ कि आपने पहले इनके लिये नहीं कहा था फिर इनको क्यों बुलाया गया। तो आपने कहा कि ये लोग बहुत योग्य थे और हर तरह से सक्षम पाये गये, इसलिये इनको रखा गया। आयोग ने कहा कि और भी बहुत से पुलिस आफिसर्स ऐसे पड़े हैं जो इनसे भी योग्य हो सकते हैं। अगर इन दो अधिकारियों के मामले पर विचार किया जाता है तो उनके साथ अन्याय होगा। जो उनके समान या उनसे अधिक अच्छे कर्मचारी थे और जो चुनाव समिति की बैठक के समय अधिक आयु के थे, उनको छोड़कर इनके मामले पर विचार करना ठीक नहीं होगा। हमारी सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है और जीवन भर रहेगा। ये दो सर्किल इन्सपेक्टर जो सरकार के कृपापात्र थे जिनके लिये सरकार ने आयु से मुक्त करने के लिये सिफारिश की थी। एक-एक करके सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया जल्दी ही समाप्त कर दें ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

हां, श्रीमन्, मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा । लेकिन फिर भी समय तो लगेगा ही ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप पांच मिनट में समाप्त कर दें ।

श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, जब किसी चीज पर विचार करने का समय आता है तो इतनी जल्दी क्यों की जाती है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने पहले कहा था कि १०-१० मिनट का समय ले लीजिये । उसके बजाय इनके १२-१३ मिनट हो चुके हैं, इसलिये मैंने कहा था ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, वह तो नेता हैं, दूसरों को समय कम दीजिये । अभी तक कांग्रेस वाले बोलते थे, अब भी हमको बोलने का मौका नहीं मिलता ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बोलिये, कांग्रेस वाले नहीं बोलेंगे, चलिये ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि....

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि यह बता दीजिये कि बिजनेस कमेटी में इसके ऊपर समय निश्चित किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

जी नहीं, नहीं निश्चित किया गया है।

श्री कमलासिंह यादव--

फिर जितना कोई बोले, बोलने दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

हाउस में भी तो आप तय कर सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, क्या हाउस ने लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये कोई समय निर्धारित किया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इस समय नहीं किया है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

जब समय मुकर्रर नहीं कर रखा है तो आप बोलने से रोकते क्यों हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

बात यह है कि सभी मिल कर बोल लें । ५ बजे तक का समय है, उस समय तक कर लें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जब ५ बजे तक का समय निश्चित नहीं हुआ है तो फिर आप क्यों रोकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर ज्यादा बोलना चाहेंगे तो देखा जायगा। लेकिन अभी तक इन प्रतिवेदनों पर दो घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता है।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, सदन के साप्ताहिक कार्यक्रम में ये दोनों आज के कार्यक्रम में हैं तो ५ बजे तक इन दोनों को खत्म होना है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, अगर आप कहें तो हम बैठ जायं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इस बहस में क्यों पड़ते हैं ? आज बहस कर लीजिए। एक घंटे कल हो जायगी।

श्री बंशीधर पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं नहीं रहूंगा। अगर इसको एक घंटा और देना है तो पहली तारीख को दे दें या किसी और दूसरे दिन दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें कोई एतराज नहीं है। पहली तारीख को रख लीजिए।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि दो सर्किल इन्स्पेक्टरों को जो आफिशियेटिंग डिप्टी सुपरिंटेंडेंट भी नहीं थे, उनको बुलाकर आयोग द्वारा उनको आयु से मुक्त दिलाने का सरकार ने प्रयत्न किया। वह अभी पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिस में नहीं लाया गया। उस पर पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कहती है "समान स्थिति वाले अन्य अधिकारियों को छोड़ कर उक्त दोनों अधिकारियों पर ही विचार करना किसी प्रकार उचित नहीं था।" आगे वह कहता है "आयोग को ऐसा लगा कि जो अधिकारी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के पदों पर कभी स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं किए थे, जो चुनाव समिति की बैठक के समय भी स्थानापन्न नहीं थे, जिनके मामलों का निर्देश पहले कभी आयोग को नहीं भेजा गया था और जिनके मामलों पर विचार करने से संभवतः उनके समान स्थिति वाले तथा कुछ अच्छी अर्हता वाले अधिकारी अवक्रमित होते थे, उन अधिकारियों को चोर दरवाजे से आयु सीमा से मुक्ति दिलाने का यह एक तरीका था।" कितनी सुन्दर कमेंट्री पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस सरकार के ऊपर की है। मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार हो उसका सिर लज्जा से नीचे झुक जायगा।

एक उदाहरण और है। मुझे दुख है। अगर हमारी सरकार होती तो हम इस गलती को सहर्ष स्वीकार करते और कहते कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। यह उदाहरण ऐसा है कि किस तरह से आपने अपने को उस गलती से निकाल लिया। एक अयोग्य आदमी को आपने एप्वाइन्ट कर दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह लिखा कि यह आदमी योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त साक्षात्कार हुआ उस वक्त यह आदमी हेड आफ दि डिपार्टमेंट था।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

वह अयोग्य पाया गया लेकिन उस आदमी को कमीशन की इच्छा के खिलाफ रखा गया। सरकार ने पूछने पर यह जवाब दिया कि हमने संतोष कर लिया है और यह आदमी ठीक है। श्रीमन्, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, समय नहीं है। मैंने सिर्फ २ उदाहरण दिए हैं। जो नहीं पकड़े गए हैं उनकी बात छोड़ दीजिए और जो पकड़े गए उनमें सरकार के लिए उदाहरणों की कमी नहीं है। जब सरकार ने एप्वाइन्टमेंट के बारे में अपनी नीति बार-बार बदली, सरकार का एक और तरीका है। बहुत से अस्थायी जगहों पर सम्भवतः सौ जगहों पर टीचर्स को अस्थायी रूप में रख दिया। उसके बाद स्थायी स्थानों के लिए विज्ञापन कराया। कुछ संख्या स्थायी स्थानों की कम कर दी सम्भवतः २२, २३ और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा कि १०–१० वर्ष से जो टीचर्स अस्थायी रूप में काम कर रहे हैं उनको स्थायी कर दिया जाय। कमीशन ने उस पर आपत्ति की लेकिन अपने रिश्तेदारों, अपनी पार्टी वालों, अपने घरवालों, लाइसेंस कोटा परमिट वालों जिन्होंने आपकी मदद चुनाव के समय की थी उनको कैसे न लेते। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि यह तरीका उचित नहीं है कि १२ वर्ष तक अस्थायी काम कराओ और उसके बाद उन अयोग्य लोगों को एप्वाइन्ट कर दो। यह पब्लिक सर्विस कमीशन का रिमार्क है। आज यह सरकार कैसे मुंह दिखा सकती है जब उसने ऐसे-ऐसे काम किए हैं। ऐसा एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं। उन सब को तो नहीं कहूंगा पर एक बात जरूर कहूंगा। इस सरकार का एक काम और है। जहां करेक्टर रोल गड़बड़ हो वहां डिपार्टमेंट में उसको रोक लिया जाता है और इसके साथ ही जो अटेस्टेड कापीज जाती हैं उनमें भी अनियमिततायें पायी गयीं। पहले उनको हटाया गया और फिर सरकार उन स्थानों को भरने के लिए विज्ञापन करती है। इतनी मोटी बातें थीं जो मैंने कहीं। इससे स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है। इस प्लानिंग के युग में जब आज प्रशासकीय दल द्वारा अयोग्य लोग चुने जाते हैं तो फिर प्रशासन में क्या योग्यता रह जायगी? आज अदालतों में जाइए। अपील करने के लिए जाइए। ऐसे लोग वहां रखे गए हैं कि फैसले तक नहीं पढ़ पाते। आज ऊंचे से नीचे तक कांग्रेस की सरकार की कृपा से अयोग्य लोग विद्यमान हैं। इस पुस्तक की एक लाइन पढ़ने योग्य है। इससे मालूम होता है कि हमारी सरकार द्वारा क्या गड़बड़ होता है।

एक बात मैं अपनी सरकार के बारे में कहना चाहता हूं। हमारी सरकार यह कहा करती है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने यह रिपोर्ट की है। सरकार क्या करती है कि अनियमित रूप से किसी को किसी जगह पर नियुक्त कर देती है और बाद को नियमित रूप से कराने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजती है और उसके लिए मन्त्रि मण्डल से सिफारिश की जाती है। इसके लिए लिखापढ़ी होती रहती है और पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पेश करने में भी देर हो जाती है। जिस बात के लिए हमको शंका रहती है, हम पूछा करते हैं और हम लिखते रहते हैं, साल बीत जाता है लेकिन उसकी रिपोर्ट यहां पर पेश नहीं होती है। उसमें डिले हो जाया करती है क्योंकि सरकार को कमीशन की सलाह सूट नहीं करती? सरकार का अप्वाइन्टमेंट विभाग है। उसके भी कुछ उदाहरण सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारी सरकार विज्ञापन करती है। कुछ पदों को वह भरना चाहती है लेकिन पहले से कुछ नहीं सोचती कि इस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्ति प्राप्त हो सकते हैं या नहीं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि अगर आपको ऐसे करना है तो पहले आप योग्यता जान लीजिए कि इस प्रकार की योग्यता के आदमी मिल सकते हैं या नहीं। इसमें कमीशन का रुपया बरबाद होता है, सरकार का रुपया बरबाद होता है और जनता का भी रुपया बरबाद होता है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। जैसा कि उनकी रिपोर्ट में है कि यदि टैक्निकल हैंड बहुत कम मिलते हैं तो इसको पहले सोच लेना चाहिए जिससे रुपए की बरबादी न हो। मगर यहां पर तो बिना सोचे ही विज्ञापन कर दिया जाता है। तो हमारी सरकार को इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए जिससे टैक्निकल हैंड मिलने की व्यवस्था हो सके और इस तरह के व्यक्ति मिल सकें। सरकार के विभाग खुद डिले करते हैं।

एक चीज और कहना है कि आयोग इस बात का खेद अनुभव करता है कि बड़े-बड़े उत्तर-दायित्वपूर्ण पदों पर बिना कमीशन की स्वीकृति के इतने दिनों तक कार्य करते रहने दिया जाता है। इससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि चाहे इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट हो या और विभाग हो, सरकार के लोग अपने भाई भतीजों को रखकर उनको वेतन दिलाते रहते हैं और नियमित आदमी को रखने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की राय नहीं लेते। अनियमित नियुक्तियां करते हैं। कमीशन ने यह कहा है कि यदि इस प्रकार से अधिकारियों का चुनाव होगा तो इससे प्रजातन्त्र की हत्या होगी। आगे वह कहते हैं कि हमारे अधिकारियों को निष्पक्ष होना चाहिए। अगर पांडेय जी कलेक्टर साहब को लिखें कि अमुक नीति को चलाना है तो उनको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आपको लिखना चाहिए। वह ऐसा नहीं करते हैं यह बाधा पड़ती है। तभी इससे सुधार हो सकता है। उनको अपनी राय बिना किसी डर और झिझक के लिखना चाहिए लेकिन आज उनको हिम्मत नहीं है। डिसिप्लिनरी बाडी के ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिस तरह से परसोनेल रखे गए हैं उन पर असरात जरूर पड़ सकते हैं जिससे उनको निकालना अत्यन्त आवश्यक है। नहीं तो प्रदेश का कल्याण नहीं होगा।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी जो माननीय माधोप्रसाद जी त्रिपाठी का विवाद सुना है तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनका विवाद बहुत अच्छा है जो दो प्रमुख अंगों में बांटा जा सकता है। दोनों प्रमुख अंग एक दूसरे के बिलकुल विरुद्ध हैं। पहले अंग में उन्होंने यह कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को सरकार ने अपनी पार्टी का आदमी रखा। अगर श्रीमन्, उनकी यह शिकायत मान ली जाय कि इस सरकार ने यह बड़ी गलती का काम किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन अपनी पार्टी का आदमी रखा है तो उनकी दूसरी शिकायत फेल हो जाती है। जब वह यह कहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसी रिपोर्ट देता है जिससे सरकार में और उसमें मतभेद पैदा हो जाता है। श्रीमन्, यदि दूसरा तर्क मान लिया जाय और पब्लिक सर्विस कमीशन सरकार से बहुत ही आवश्यक बातों में अन्तर्भेद रखता है तो पहली बात कट जाती है कि चेयरमैन और सदस्यों को इतना स्वतन्त्र और इंडिपेंडेंट रखा है कि सरकार का उनपर कोई दबाव नहीं है। इसलिए मैं त्रिपाठी जी से कहूंगा कि जितनी उत्तेजना से वह बोले हैं, अपने भाषण को सुबह पढ़ डालें। वह स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उनके जितने आक्षेप हैं वह जीरो पर पहुंचते हैं। मैंने भी १९५९-६० और १९६०-६१ की रिपोर्ट्स को देखा है, मैं चाहूंगा कि त्रिपाठी जी संविधान के आर्टिकिल को देख लें जिसमें स्टेट और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन्स की नियुक्तियों के बारे में दिया गया है। उसमें केवल एक शब्द है "कंसल्ट", यानी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करेंगी सर्विसेज के अप्वाइन्ट करते वक्त और उसमें लिस्ट दी हुई है। कहीं भी यह प्रोवाइडेड नहीं है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से बाध्य होंगी। यह भी लिखा है कि यदि किसी मामले में रिकमेंडेशन्स को नहीं मानेंगी तो वह स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के सामने उन कारणों को रख देंगी और उनके लिए ही यह रिपोर्ट रखी जाती है। इस तरह से कांस्टीटयूशन की भी किसी धारा का यह अभिप्राय नहीं है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रत्येक रिपोर्ट को मान लिया जाय।

मैं उनके पहले आक्षेप का उत्तर देना चाहता हूं। यह अनेक बार आक्षेप हुआ है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में पुराने ब्यूरोक्रेटिक सेक्टर के लोग रख दिए जाते थे और जो लड़के इन्टरव्यू में जाते थे तो टाई बांधने में नहीं आती थी, पैंट में क्रीज नहीं रहती थी और शर्ट बहुत साफ धुली नहीं रहती थी तो पुराने ब्यूरोक्रेटिक टाइप के चेयरमैन कह दिया करते थे कि यह अयोग्य है। उस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए एक पब्लिक वर्कर को चेयरमैन बना दिया गया जिससे ये छोटी-छोटी बातें डिस्क्वालिफिकेशन का कारण न बन जायं। तो यह तो डेमोक्रेटिक ट्रैडीशन्स का एक बेसिस हुआ एक पब्लिकमैन को चेयरमैन बनाकर और त्रिपाठी जी को उसका स्वागत करना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

पब्लिक सर्विस कमीशन को हमारे देश में दुर्भाग्य से संस्कार और परम्पराएं मजबूत नहीं हुई हैं। चाहे असेम्बली हो, जुडीशियरी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो वह हर चीज को एडजस्टमेंट के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में देखते हैं। जुडीशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन सब एक टीम स्प्रिट के हो गए हैं और इतने भावुक, सेंटीमेंटल हो गए हैं कि लोकतन्त्र में इतना नहीं होना चाहिए। मैंने १९५६-५७ की रिपोर्ट भी देखी है। गवर्नमेंट किसी टेक्निकल आदमी को नीचे से ऊपर प्रोमोशन दे देती है या किसी फैक्टरी के मैनेजमेंट के लिए नियुक्त करती है तो पब्लिक सर्विस कमीशन उसे अपने अधिकारों की अवहेलना मानता है। उसके मत से इंजीनियरिंग कालेज से निकले हुए फ्रेश इंजीनियर को फैक्टरी को हैंडिल करने के लिए दे दिया जाय जिस फैक्टरी में कि लाखों, करोड़ों रुपए का सरकार का इनवेस्टमेंट है तो हो सकता है कि जिसका प्रोमोशन उसकी मैनेजरी के लिए किया जाय उसके पास डिप्लोमा न हो, लेकिन अनुभव हो तो वह फैक्टरी के काम को सुचारु रूप से चला सकता है बनिस्बत उस रा हैंड के जिसकी क्वालिफिकेशन भले ही कुछ ज्यादा हो सकती है। तो गवर्नमेंट प्रैक्टिकल एक्सीजेंसी से अपनी नीति पर दृढ़ रहती है और पब्लिक सर्विस कमीशन सेंटीमेंटल हो जाता है। मैंने देखा है कि कभी-कभी १८ परसेन्ट का जो रिजर्वेशन है उसका कोटा पूरा करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमेंडेशन को नहीं मानती। मेरे पास समय नहीं है। उदाहरण देने के लिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए भी और १८ परसेन्ट रिजर्वेशन देने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सी नियुक्तियां करती है। उस पर पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है कि इसमें एफिशियेन्सी लैक करती है। तो एफिशियेन्सी भले ही लैक करे, लेकिन जो स्टेट पालिसी है, रिजर्वेशन आदि या जो एक्सीजेन्सी है, जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए गवर्नमेंट को मजबूर होकर कुछ न कुछ रिकमेंडेशन्स नहीं माननी पड़ेंगी।

मैं माननीय त्रिपाठी जी से यह चाहूंगा कि वे शाम को बैठकर इस बात के स्टेटिस्टिक्स निकालें और देखें कि कितने केसेज लोक सेवा आयोग को रेफर हुए और उनमें से कितनों में सरकार ने उनकी राय नहीं मानी। मेरा खयाल है कि २ या ३ परसेन्ट ही ऐसे केसेज होंगे जिनमें उनकी राय नहीं मानी होगी और अगर इससे ज्यादा वे निकाल देंगे तो मैं अपनी सारी स्पीच वापस ले लूंगा। तो जहां इतने कम केसेज उसके हों, वह सरकार की लाचारी है।

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, जो यह आयोग का प्रतिवेदन है इस पर जो माननीय सदस्य बोले हैं तथा पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी साहब बोले हैं उनके भाषणों को मैंने ध्यान से सुना। कुछ और निवेदन करने से पहले मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। श्रीमन्, इस प्रतिवेदन को आप देखें, यह प्रतिवेदन सन् १९६१ का है और यह सन् १९६४ के अगस्त के महीने में प्रस्तुत किया जा रहा है। ३ साल बाद इसको यहां प्रस्तुत करने से यह विदित होगा कि इससे बढ़ कर और दूसरा कोई निकम्मापन इस सरकार का हो नहीं सकता। अभी माननीय त्रिपाठी जी ने उदाहरण देकर समझाया है कि किस तरीके से यह सरकार चोर दरवाजे से, ऊंचे-ऊंचे पदों पर अपने आदमियों को लाती है और क्या-क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ३ साल बाद इसको रखने के मानी यह हैं कि सरकार इस समय यह कह सकती है कि यह तो कई साल पुरानी बात हो गई और यह कह कर वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती है। यह सरकार की ड्यूटी है कि वह आयोग को मजबूर करे कि वह हर साल, साल के अन्त में या उसके कुछ माह बाद, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया करे ताकि वास्तविक स्थिति की जानकारी इस सदन को हो सके और उस पर उचित रूप से प्रकाश डाला जा सके। यह बड़े दुख की बात है कि ३ साल पहले की बात को आज यहां रखा जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब कुछ सूक्ष्म बातें हैं जिन पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि संविधान के अन्दर हरिजनों के लिए १८ प्रतिशत का रिजर्वेशन है। रिपोर्ट में लिखा है कि जहां हरिजनों के लिए ९-९ सीटें सुरक्षित हैं वहां एक ही आदमी कहीं जाकर चुना जाता है और कभी एक भी आदमी नहीं मिलता। मैंने पूरा प्रतिवेदन पढ़ा, कहीं यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार ने उसके लिए अब तक क्या प्रबन्ध किया है और उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए कौन सा कार्य किया है। आयोग के प्रतिवेदन में यह बात आई है कि हरिजनों का स्तर इतना नीचा है कि जिन पदों के लिए हमें जरूरत है, उसके लिए हरिजनों में उपयुक्त कंडीडेट्स नहीं मिलते। जब ऐसी हालत है और सरकार ३ साल पहले जान चुकी है, तो इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया गया ? मैं पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी साहब का ऋणी होता अगर वह इस बात को बताते कि ३ साल पहले जो हरिजनों का स्तर गिरा हुआ था, जिसके कारण उनका कोई उम्मीदवार नहीं आ पाता था, वह स्तर ऊंचा हुआ है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है इस सम्बन्ध में। मुझे दुख है कि जब ३ साल की यह हालत है तो आगे ४-५ सालों में, ६२, ६३, ६४, ६५ की रिपोर्ट्स जब आयेंगी तो उन दिनों में वह भी नहीं मिलेंगे। तो मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं और खासकर मुख्य मन्त्री जी से जो कि जिम्मेदार हैं इस प्रान्त के लिए, कि वे उनके प्रशिक्षण का इन्तजाम करें, जिससे उनका स्तर जो इतना नीचे गिर गया है, वह ऊंचा हो सके, उनकी ट्रेनिंग का कोई उपाय करें, उनके रहन-सहन को उठायें जिससे जब वे पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जायं तो अधिक से अधिक तादाद में आ सकें। मुझे याद है कि जब पंडित पन्त जी जिन्दा थे तो उनसे भी यह सवाल किया गया था कि हरिजनों के लोग बहुत कम तादाद में आ पाते हैं। इस सम्बन्ध में आयोग की रिपोर्ट है कि उनका स्तर इतना नीचा है कि उन्हें सरकारी नौकरी में नहीं ले सकते हैं। तो जब आप कहते हैं कि वे नालायक हैं, निकम्मे हैं, उनका स्तर नीचा है, तो सबसे पहले यह आपकी ड्यूटी होती है कि आप उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उपाय करें।

दूसरी चीज जहां तक पुलिस का सवाल है, माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि कैरेक्टर रोल्स जो डिपार्टमेंट्स में भेजे जाते हैं, उनके भेजने में कई साल लग जाते हैं। इसका खास कारण यह है कि जिन लोगों को सरकार चाहती है कि उनको अच्छी इन्ट्री मिले, उसके लिए कोशिश की जाती है, अपने अधिकारियों के जरिये से और जो अच्छे ईमानदार हैं तथा तरीके से काम करते हैं, उनको देखा जा रहा है कि उनकी संख्या कम होती जा रही है। आप किसी जिले में जायं, चाहे उच्च स्तर का अधिकारी हो या नीचे स्तर का हो। सन् २२ के पहले आदर्श थाना बना था। आदर्श थानों के इंचार्ज ईमानदार होते थे। कोई शिकायत उनके बारे में नहीं सुनी जाती थी। लेकिन क्या सरकार आज एक भी ऐसे आदमी का नाम बता सकती है जो इतना ईमानदार हो कि उसे किसी आदर्श थाने पर रखा जा सके या चुनौती के साथ कहा जा सके कि यह ईमानदार व्यक्ति है। इस सरकार की हालत इतनी बदतर हो गई है कि ईमानदार होना मूर्खता समझा जाता है और जो ईमानदार होगा वह थोड़े ही दिनों में नौकरी से अलग हो जायगा।

कई पोलिटिकल सफरर्स जो डिप्टी थे। मैंने सुना है कि अंग्रेजी जमाने में उनको दबाया जाता था कि तुम यह गलत काम करो और जब स्वराज्य हुआ तो उसके बाद भी उनको दबाया जाता था और जब वे नहीं करते थे तो उनसे कहा गया कि तुम डिपार्टमेंट छोड़ कर अलग हो जाओ। यह सरकार बेगुनाह लोगों को पकड़ कर १०९ और ११० में अदालत से सजा कराती है और ऐसा व्यक्ति आप जानते हैं कि ग्राम सभा का सदस्य नहीं रह जाता है। इस प्रकार यह सरकार बेगुनाह लोगों को उनके सिटीजनशिप के अधिकार से वंचित करती है। गाजीपुर में ६ जुलाई को वहां के दरोगा ने कुछ बेगुनाह लोगों को पकड़ लिया और इतना मारा पीटा कि कुछ को तो पेशाब में खून आया और आंखों में मिर्चा डाला गया। १४ तारीख को लड़के के बाप ने डी० आई० जी० को तार भेजा कि मेरा लड़का पकड़ लिया गया है और १६ तारीख को जब डी० आई० जी० के यहां उसकी मां गई तो कुछ आदमियों को थानेदार घूस लेकर छोड़ चुका था और १६ तारीख को उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई और कहा गया कि यह माल उसके बताने से मिला है। इस

[श्री कमलासिंह यादव]

प्रकार का थानेदार हमारे गृह मन्त्री की नाक का बाल बना हुआ है। आई० जी० से मैंने फोन पर बात की और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि उसमें न्याय होगा। मैं सरकार को चुनौती देता हूं और मेरे पास यहां प्रमाण है --अगर सरकार चाहे तो इस मामले की छानबीन कर ले और अगर उनका थानेदार गलती पर है तो जिनकी रिपोर्ट उसके पक्ष में आती है उनके खिलाफ कार्यवाही करे या यह सरकार इस्तीफा दे। आयोग में भाई-भतीजावाद होने के कारण ऐसा होता है और चूंकि एक खास दल का आदमी उसका अध्यक्ष है।

इन शब्दों के साथ, मैं उम्मीद करता हूं कि यह सदन इसको पास नहीं करेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि कोई भी मन्त्री यहां मौजूद नहीं है। आप हमें तो कम्पेल कर सकते हैं कि बाहर निकल जाइए।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

माननीय अध्यक्ष ने और आपने अनेक बार इस सदन में कहा है कि माननीय मन्त्री को यहां होना चाहिए। आपके आदेश के बावजूद भी नहीं रहते हैं तो इनके खिलाफ कोई कार्यवाही हो सकती है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष---

आप चाहें तो अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं। और कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमला सिंह जी ने कई मिनट इस बात पर लिये कि यह १९६०-६१ का प्रतिवेदन हमारे सामने अब आया है। मैं भी उन से सहमत हूं कि यह खेद की बात है कि इतनी देर हुई, मैंने पहले भी सदन में यह कहा है कि प्रतिवेदन शीघ्र आने चाहिये। मगर मैं उनसे निवेदन करूं कि अभी १० अगस्त को हमारे सामने १९५९-६० का प्रतिवेदन आया था और इस बात पर हमें सरकार को बधाई देना चाहिये थी कि एक ही मास के अन्दर उन्होंने २ प्रतिवेदन पेश कर दिये।

श्रीमन्, माननीय माधोप्रसाद जी ने कहा कि आयोग में किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिये। मेरे विचार से यदि उन्होंने आयोग के गठन के सिद्धान्तों को देखा होता तो मालूम होता कि संविधान के अनुच्छेद ३१६ के अन्तर्गत यह आयोग गठित हुआ है। उसमें है कि---

"Provided that as nearly as may be one-half of the members of every Public Service Commission shall be persons who, at the dates of their respective appointments, have held office for at least ten years either under the Government of India or under the Government of a State....."

यानी पब्लिक सर्विस कमीशन में कम से कम आधे सदस्य वे होने चाहिये जो १० वर्ष तक गवर्नमेंट आफ इन्डिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में रह चुके हों। जो बात माधोप्रसाद जी ने कही, इस अनुच्छेद में उसका पूरा संरक्षण है कि किसी पार्टी विशेष का बहुमत उसमें न रहे। हमारे प्रदेश के आयोग में ५ सदस्यों में से केवल एक सदस्य ऐसे हैं जिनका किसी समय सम्बन्ध कांग्रेस दल से रहा है। तो यह बात समझ में नहीं आती कि कैसे एक सदस्य ५ सदस्यों को लिये चले जावेंगे। उन्होंने आगे यह भी बताया है कि आयोग ने किस प्रकार सरकार की शिकायत व आलोचना की है। कृष्णानन्दराय जी ने अभी बताया कि जो बात कही गयी उससे साबित होता है कि आयोग ने बिलकुल ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य किया है। मैं निरन्तर इन रिपोर्टों का अध्ययन करता चला आया हूं और मैंने देखा कि साल बसाल आयोग

का और सरकार का सहयोग बढ़ा है। इस संविधान की धारा ३२०(३) के अनुसार आयोग को कहा गया है कि इन-इन कामों को वह करेगा। उसमें ५ उपधारायें (ए०) से (ई०) तक हैं। उसके अनुसार देखें तो इस प्रतिवेदन में कहीं भी सरकार और आयोग का विरोध नहीं है। एक उपधारा नियुक्तियों के सम्बन्ध में है जिस के बारे में आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पन्ना ४ पर कहा है कि "जिन मामलों में नियुक्ति आज्ञायें प्राप्त हुई उन सब में नियुक्तियां आयोग के परामर्श से हुईं"। संविधान में एक प्राविजन यह है कि रूल्स और रेगुलेशन्स में परामर्श लिया जायगा। उसमें कहीं आयोग से मतान्तर नहीं हुआ। उसमें कहीं आयोग का विरोध नहीं आया। एक उपधारा में अनुशासन सम्बन्धी मामला आयोग को भेजा जाता है। इस वर्ष में ४६ ऐसे मामले आयोग को भेजे गये जिस में ३० मामलों में सरकार अपना निश्चय दे चुकी है और उसी आयोग ने ही लिखा है कि तीस के तीसों मामलों में जो आयोग ने संस्तुति की थी उसे सरकार ने माना है। १६ में अभी आदेश नहीं हुये हैं।

एक और अधिकार आयोग को दिया गया है जिसमें आयोग का परामर्श लिया जाता है कुछ विशेष पेंशन और सहायता के सम्बन्ध में। उसमें आयोग ने लिखा है कि ३८ मामले उनको भेजे गये। ३४ के सम्बन्ध में उन्होंने सिफारिश की। उनमें से २४ में आदेश सरकार ने दे दिये हैं और वह चौबीसों वही हैं जैसे आयोग ने सिफारिश की थी। केवल दस में अभी तक आदेश नहीं हुये हैं। उनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि कैसे होगा। कैसे नहीं होगा। तो फिर किस प्रकार हम यह कहते हैं कि आयोग और सरकार में पूरा सहयोग नहीं रहा। और फिर श्रीमन्, जब कोई कार्य होगा, सैकड़ों की संख्या में किसी आयोग को मामले भेजे जायेंगे, तो यह स्वाभाविक है कि दो तीन विरोध भी हो सकते हैं। उनकी बात को कहीं-कहीं न माना जाय, यह भी हो सकता है। वैसे मैं आप को बताऊं, आयोग का काम केवल परामर्श देने का है, सरकार को पूरा अधिकार है कि वह माने या न माने। लेकिन जहां तक उन मामलों का सम्बन्ध है जिनके लिए विरोध हुआ, मैं आप के द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा और मैं कई बार इस बात को कहता रहा हूं, इस बार फिर दूसरी तरह से कह रहा हूं। एक प्रवृत्ति हमारे शासन में विभागों के अधिकारियों में बढ़ती चली जा रही है और वह यह है कि जब हमें कुछ नियुक्तियां करनी होती हैं तो अस्थायी रूप से किसी न किसी प्रकार उन को नियुक्त कर लेते हैं। उसका हमें अधिकार है। लेकिन फिर उन में से कुछ मामलों में यह कोशिश करने लगते हैं कि किसी न किसी प्रकार वह स्थायी हो जायं। वह मामला आयोग को भेजा जाता है, कहीं-कहीं आयोग उन में से किसी को नापसन्द करता है, मगर शासन जोर देता है कि उसे रखा जाय। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रवृत्ति पर चेक होना चाहिए।

श्रीमन्, प्रजातन्त्र का एक मौलिक सिद्धान्त है कि शासन के ऊपर कुछ चेक्स होते हैं और इसीलिए ये आयोग बनाये गये हैं। हम जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उस में बहुत से मामलों में हममें और आयोग में कहीं विरोध नहीं होता है, किसी एक दो मामले में हो जाय, वह दूसरी बात है, परन्तु विरोध हो एक ही प्रकार के मामलों में, इसका अर्थ यह है कि शासन के बड़े-बड़े अधिकारी इस बात का प्रयत्न करते हैं कि वह कुछ लोगों को नियुक्ति दे दें और फिर उनको स्थायी कराने का प्रयत्न करें। एक केस इसमें है श्रीमन्, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय का, जिसमें एक व्याख्याता के पद पर नियुक्ति की बात थी। एक व्यक्ति उस पर कार्य कर रहा था। विभाग ने आयोग को लिखा कि इस का विज्ञापन करो। विज्ञापन भेजा गया और अर्हतायें भेजी गयीं। आयोग ने उस के ऊपर संस्तुति की। लेकिन आयोग की बात न मान कर जो व्यक्ति पहले से कार्य कर रहा था वह रखा गया और वह इस ग्राउन्ड पर रखा गया कि जो अर्हताएं उस में हैं वह किसी दूसरे में नहीं थीं। अगर अर्हताएं की बात थी तो विज्ञापन करते समय वह अर्हता देनी चाहिए थी। इसमें कोई औचित्य नहीं है कि आप को उसे रखना था और आप ने बाद में यह कह दिया कि उसमें और अर्हताएं थीं जो दूसरों में नहीं थीं। आप को वह अर्हताएं पहले ही आयोग को भेज देनी चाहिए थीं।

[श्री जगदीशप्रसाद]

दूसरा केस सर्किल इन्स्पेक्टरों का है जिसका जिक्र अभी हुआ। यह हो सकता है कि सरकार, शासन या कुछ बड़े अधिकारी कुछ लोगों के मामले में इस परिणाम पर पहुंचें कि इनका रखना जनहित में आवश्यक है, लेकिन रखे जायं तो कायदे से रखे जायं। जैसा कि बताया गया है यह लोग सर्किल इन्स्पेक्टर्स होते हुये भी डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस का कार्य करते रहे हैं, कभी-कभी आफिशियेटिंग पीरियड में, तो इनको इस पर नियुक्ति दे दी जाय। कई आदमी ऐसे थे, वह नहीं काम कर चुके थे, लेकिन आप समझते थे उनकी सेवाओं से कि उन की नियुक्ति होनी चाहिए तो अच्छा होता कि उस सूची में उनका नाम आप भेज देते। उस सूची में भेजे बगैर उनको उस सब कमेटी के सामने लाया गया जिसमें इन्स्पेक्टर जनरल थे, चीफ सेक्रेटरी थे, और एक लोक सेवा आयोग के चेयरमैन थे। तो पहले तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के होते हुये उन्होंने यदि तय कर लिया तो लोक सेवा आयोग को उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए थी। यह भी मालूम करने की बात है कि उन्होंने उस समय आपत्ति की थी या नहीं। यदि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने उस समय भी आपत्ति की थी तो उनको कोई औचित्य रखने का नहीं था।

श्रीमन्, तीसरी चीज कृषि सहायक अधिकारी के बारे में है। यह भी ऐसा ही केस है। विभाग ने अस्थायी नियुक्तियां कर रखी थीं। आपने लोक सेवा आयोग को लिखा। लोक सेवा आयोग ने जो संस्तुति की, उसको मान लिया गया और कुछ पर आयोग ने आपत्ति की तो उन लोगों की सर्विसेज को समाप्त कर दिया गया लेकिन एक माह बाद उन को फिर बहाल कर दिया गया। जब सरकार ने उन को एक बार अलहदा कर दिया था तो उन को फिर से वापस नहीं लेना चाहिए था।

इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति चली आ रही है कि नियुक्तियां बहुत देर से होती हैं। इसमें लिखा है कि सन् १९५८ की संस्तुति की नियुक्तियां अब तक नहीं हुई हैं। सन् १९५८ में कुछ अभियन्ताओं की संस्तुति की गयी थी लेकिन अभी तक उनको नियुक्त नहीं किया गया है। पता नहीं इस बीच में क्या परिस्थितियां बदल गयी हैं कि उनको नहीं रखा जा सका है। अगर आप रखना ही नहीं चाहते थे तो आयोग को क्यों रेफर किया गया था? इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की २१८ नियुक्तियों के बारे में आयोग ने लिखा है--"साक्षात्कार इत्यादि के बाद चुनाव कर के कुछ नामों के लिए आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों को नियुक्ति आज्ञाओं को भेजने में बुरी तरह विलम्ब किया जाता रहा"। श्रीमन्, इसमें शब्द बुरी तरह प्रयोग किया गया है। फिर आगे लिखा है--"यह शासन का काम है कि वे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सम्बन्धित नियुक्त अधिकारी ऐसे मामलों में शीघ्र कार्यवाही करें, कुछ प्रभावी कदम उठावें"। मैं चाहूंगा कि सरकार इस के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दे।

एक बात और विशेष महत्व की है। आयोग का यह कहना है कि वह जिन लोगों को संस्तुत कर के भेजते हैं उन व्यक्तियों को कामों पर लगा दिया जाता है लेकिन उनको ट्रेनिंग का कोई प्रबन्ध नहीं है। नतीजा यह होता है कि उनको जिम्मेदार स्थानों पर नियुक्त कर दिया जाता है और काम खराब होता है। वह गलतियां कर कर के अनुभव प्राप्त करते हैं। इस लिए इस बात की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को काम पर भेजने से पूर्व उनके प्रशिक्षण का प्रबन्ध हो। आयोग ने इस बारे में यह भी लिखा है कि एक रिफ्रेशर कोर्स भी रखा जाय। जिन लोगों को कुछ दिन काम करते हो जायं, उन को रिफ्रेशर कोर्स में उन दिनों की बदली हुई परिस्थिति से अवगत कराया जाय। अगर उनको इस प्रकार से रिफ्रेशर कोर्स में भेजा जायगा तो शासन के लिए बहुत सहायक होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय ब्रह्मदत्त मायर जी, अब आपका भाषण पहली तारीख को होगा।

उत्तर प्रदेश की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा (क्रमागत)*

श्री उपाध्यक्ष--

हमारे सामने अब दूसरा आइटम है--उत्तर प्रदेश की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा। उस दिन उस पर काफी बहस हो चुकी है। इस लिए आज मैं सदस्यों के लिए ५-५ मिनट का समय निश्चित करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

पहले तो दो घंटे तक और बहस करने की बात तय हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब एक घंटा हो गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रतिवेदन पर जो विचार विमर्श इस सदन में हो रहा है, मेरे खयाल में सरकार की ओर से उपेक्षा नीति ही बरती गयी है। इसका सब से बड़ा उदाहरण यह है कि यह कमेटी सन् १९५९ में बनायी गयी थी और १९५९ को रिपोर्ट उसने २४ अगस्त, १९६० को सरकार को सुपुर्द की और १९६० की रिपोर्ट सरकार ने सन् १९६२ में प्रकाशित की और आज दो साल के बाद सन् १९६४ में उसी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। इस से मालूम हो सकता है कि सरकार को कितना प्रेम हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लिए है। यह कमेटी इसी उद्देश्य से बनायी गयी थी कि जो सुविधायें हरिजनों और अनसूचित जातियों को प्राप्त हैं वे क्योंकर प्राप्त नहीं हो रहीं हैं और क्या-क्या सुविधायें उनको और प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। जिससे वे सारे देश की अन्य जातियों के मुकाबले में खड़े हो सकें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमेटी बनायी गयी थी, लेकिन ४-५ साल के बाद आज इस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस बीच में सरकार की ओर से कौन-कौन सी कार्यवाही इस रिपोर्ट के अनुसार की गयी, इसको बताया जाय। यदि माननीय मन्त्री जी की ओर से एक छोटी सी रिपोर्ट हमें दे दी गयी होती, कि इस रिपोर्ट के अनुसार ये सुविधायें हमको दी गयी हैं तो हमको मालूम होता। लेकिन अफसोस की बात है कि इस प्रकार की कोई सूचना हमें सरकार की ओर से नहीं दी गयी है, इस लिए हम अंधेरे में हैं।

विद्युत उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

आप तो पढ़ते ही नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा है, आपके पास हो तो हमें आप दे दें या पढ़ कर सुना दें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें मन्त्री जी को हाउस में नहीं कहनी चाहिए कि आप पढ़ते नहीं हैं। मैं समझता हूं कि जब आपके पास कोई उत्तर नहीं है तो अपने गलत कामों को छिपाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। इसी बात को मान कर हम सदन में बैठे हुये हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि संरक्षण आप हजार दें लेकिन दिल से आप चाहते नहीं हैं। तो उस संरक्षण से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमने तो रिपोर्ट में देखा

---

*२६ अगस्त, १९६४ की कार्यवाही से।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

है कि सन् १९४७ से १९५३ तक १० प्रतिशत संरक्षण रहा। उसमें अनुसूचित जातियों को १० प्रतिशत भी नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद १९५३ से १९५९ तक १८ प्रतिशत किया गया। सरकार की तरफ से बहुत से आदेश भी भेजे गये, जिनमें उनको सुविधा प्रदान करने की बात कही गयी। यदि रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि वह प्रतिशत जो पहले तीन था घट कर दो हो गया। तो मैं कैसे समझूं कि आप चाहते हैं कि हरिजन और अनुसूचित जाति के लोगों का उत्थान हो। कैसे मैं समझूं कि आप चाहते हैं कि हरिजनों को प्रतिनिधित्व मिले, छुआछूत वाले और लोगों के मुकाबले में खड़े हो सकें और आर्थिक क्षमता उनमें आ सके ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों की नौकरी की व्यवस्था करने की बात रिपोर्ट में है लेकिन जहां तक मेरा खयाल है उनको केवल नौकरी दे देने से ही समस्या का हल होने वाला नहीं है। आप तो नौकरी की बात कहते हैं लेकिन मैं लखनऊ की बात कहता हूं। लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय की ही रिपोर्ट है कि १८३९ नियुक्तियां हुयीं जिनमें केवल एक आदमी हरिजन जाति का है। इसी तरह से आपका कृषि निदेशालय है, उसके ३,०७७ कर्मचारियों में २३ अनुसूचित जाति के हैं। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में वह संरक्षण उनको नौकरी में मिले तो वह बताये कि इस प्रदेश में जिन अधिकारियों ने आपके इस आदेश का उल्लंघन किया है उनमें से कितनों को आपने सजा दिया, मुअत्तल किया ? अगर आप ने किसी को मुअत्तल नहीं किया और सजा नहीं दी तो मैं साफ कहना चाहता हूं और मेरा आप पर आक्षेप है और लांछन है कि आप चाहते ही नहीं कि हरिजनों को उनका उचित प्रतिनिधित्व और संरक्षण प्राप्त हो। आपने कानून बना दिया कि हर व्यक्ति को कुओं पर पानी भरने का अधिकार है लेकिन आप ने इस के अन्तर्गत कितने सवर्णों पर मुकदमा चलाया, आज भी हजारों गांव इस सूबे में ऐसे हैं कि जहां के हरिजन गढ़ैयों का पानी पीते हैं और कुओं पर नहीं चढ़ने पाते। आप के यहां धारा ३७६ है जिस के अनुसार कोई किसी से जबरदस्ती बेगार नहीं ले सकता और कोई लेगा तो मुकदमा चलाया जायगा और सेशन कोर्ट से उसमें ७ साल तक की सजा हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस धारा में आज तक कितनों को सजा हुई और कितने मुकदमे चलाये गये ?

मैं श्री कुरील जी, माताप्रसाद जी और गंगा प्रसाद जी से साफ कहूंगा कि आपकी नासमझी और अकर्मण्यता के फलस्वरूप यह सरकार आप की हरिजन जाति को डुबा देगी। मेरा डाक्टर सीताराम जी पर आक्षेप है, वह सफाई दें कि जब परिवहन विभाग उनके हाथ में था तो उनके जमाने में क्या १८ प्रतिशत उस विभाग में पूरा किया गया ? मुझे मालूम है कि वह पूरा नहीं कर पाये। तो मेरा विचार यह है कि चाहे आप कमेटी बनायें या रिपोर्ट मंगायें या आदेश जारी करें इससे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि अधिकारी बराबर इस मामले में अवहेलना करते आते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती और आप बैठे चुपचाप देखते रहते हैं। इससे आप परिणाम समझ सकते हैं कि क्या होगा ? आप स्वयं नहीं चाहते कि आदेशों का पालन हो, आप नहीं चाहते कि वह नौकरियों में आयें और आगे बढ़ें। आपने आदेश दिये और गांव समाज मैनुअल में साफ लिख दिया कि गांव समाज की भूमि का बटवारा होगा, तो पहले भूमिहीनों को जमीन दी जायगी। लेकिन वह जमीन तमाम भूतपूर्व जमींदारों के ही भाई, भतीजों, नाती, पोतों को दी जा रही है और दी गयी है और हरिजन भूमिहीन आज भी देखते रह गये। आजमगढ़ में रेलवे स्टेशन के किनारे की जमीन बांटी जा रही है लेकिन वह भी हरिजनों को नहीं दी जा रही है वह भी वही लोग ले रहे हैं जिनको पहले से जमीन प्राप्त है।

मेरा निवेदन है कि नये सिरे से हरिजनों को बसाने का प्रबन्ध सरकार करे। एक आदेश यह भी गया था कि हरिजन लड़कों की फीस माफ होगी, लेकिन पारसाल एक आदेश गया और इस साल भी गया कि अगर कोई लड़का फेल हो जायगा, तो उस को यह सुविधा नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि इस तरह से सरकार अब और दूसरों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश न करे।

अगर वह सही मानों में हरिजनों का उद्धार करना चाहती है और उनको आगे बढ़ाना चाहती है तो जो आश्वासन दिये गये हैं उनका पालन सरकार सख्ती से कराये और जो नहीं करता उसको सख्त से सख्त सजा दी जाय, तभी यह मालूम हो सकता है कि आप सही मानों में उन का उत्थान चाहते हैं और अगर आप ऐसे अधिकारियों को सजा नहीं देते तो मैं साफ तौर से आप से जवाब तलब करता हूं कि आप क्यों इस तरह से इस मामले को टालना चाहते हैं। आप क्यों झूठे आंसुओं से हरिजनों के लिए रोते हैं? डाक्टर सीताराम जी और माताप्रसाद जी में कोई फर्क नहीं है, गिरधारीलाल जी और कुरीलजी में भी कोई अन्तर नहीं है। सरकार के प्रतिनिधि अधिकारी हैं और जो आदेश सरकार देती है अगर वह उन का पालन नहीं करते तो फिर सरकार के आदेश बेकार हैं और यह सरकार ही बेकार है अगर वह कोई ऐक्शन उनके खिलाफ नहीं लेती, तो सरकार को ही कठघरे में बन्द कर के मुजरिम बनाना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो प्रतिनिधित्व दिया गया है और जिस के मुकाबले में पंजाब में प्रतिनिधित्व दिया गया उस को देखा जाय कि वह कितना अधिक है। पंजाब में १९ फीसदी है। छटनी भी वहां पर नहीं है। पर हमारे प्रदेश में छटनी भी अधिक है। अभी हमारे प्रदेश में बी० डी० ओ० की छटनी हुई थी उस में ९० प्रतिशत हरिजनों की हुई। आंध्र प्रदेश में हर तरह की छूट है फीस की और, और चीजों की पर आप के यहां ऐसा नहीं है। जब तक श्रीमन्, हरिजन जाति आगे नहीं बढ़ेगी तब तक यह समाज आगे नहीं बढ़ेगा और जब तक यह समाज आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा और जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा तब तक समाजवाद नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

*श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विवाद हो रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में, मैं उस सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव सदन के समक्ष रखना चाहती हूं।

अनेक सदस्य--

इस समय इस पर विचार नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बोलने दीजिये। महिला होने के नाते कुछ न कुछ उन को छूट देनी होगी।

श्रीमती शकुन्तला देवी--

मैं मानती हूं कि वर्तमान समय में हमारे हरिजन समाज का उत्थान हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। श्रीमन्, आप के द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि स्वतन्त्रता से पहले हमारे देश का वातावरण बहुत दूषित था। उस दूषित वातावरण में कुछ सुधार स्वामी दयानन्द जी ने किया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और उसके द्वारा हरिजनों का उत्थान किया। इस दौरान में महात्मा गांधी ने भी हरिजन समाज को उठाने के लिए काफी कार्य किया और यह किया कि जिन को मनुष्य समाज में कोई स्थान नहीं था उन को स्थान दिलाया। उनका कहना था कि जब तक हरिजनों को अपने साथ नहीं लगायेंगे तो हमारा कार्य पूरा नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वतन्त्रता के बाद सबसे पहला काम हरिजनों का उत्थान करना होगा। तो हमारे संविधान के अनुसार हमें हर जगह राज्य सभा में, लोक सभा में और विधान सभाओं में सब जगह स्थान मिला, लेकिन जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन का सम्बन्ध है रिपोर्ट को देखने से यह मालूम होता है कि वहां पर हमारा १८ प्रतिशत पूरा नहीं हो सका। कुछ महीने पहले हमारे यहां १५-२० हरिजन बी० डी० ओ० को निकाला गया। यहां पर से उन लोगों की सिफारिश करके भेजा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और उनको अलग कर दिया गया। इसी तरह से जहां तक इन्स्पेक्टर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती शकुन्तला देवी]

जनरल या डी० आई० जी, जितनी भी पोस्टें हैं, मुझे देखने में यह आया है कि वे सीटें पूरी नहीं हो रही हैं। जो समिति बनी हुई है अगर उस समिति में कोई हरिजन सदस्य नहीं होगा, तो कैसे उसको सुना जायेगा? इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उस में हरिजन सदस्य होना चाहिए। साथ-साथ जहां पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वहां पर हरिजन समाज के लिए यह कह दिया जाता है कि वे अयोग्य हैं, वे योग्य नहीं हैं।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जहां पर किसी सर्विसेज में कोई इन्टरव्यू या रिटेन टेस्ट होता है उसके लिये तो मेरा सुझाव यह है कि उसमें हरिजन ही हरिजन हों। यह कम्पिटीशन उनमें ही होना चाहिए। इस प्रजातन्त्र में जहां पर कंपीटीशन होते हैं, वहां पर हमारी बहनों को भी छोड़ दिया जाता है। तो हमारा निवेदन है कि उनको भी बराबरी का स्थान दिया जाना चाहिये।

*श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं, जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। कल से ही मैं आशा में था कि मुझे बोलने का अवसर मिले। हरिजनों को राजकीय सेवाओं में संरक्षण दिये जाने के सिलसिले में जो वाद विवाद हो रहा है, उस पर हमारे उधर के बैठने वाले और इधर के बैठने वाले सभी भाइयों ने अपने विचार व्यक्त किये और मैंने देखा कि सभी ने हरिजनों और पिछड़े हुओं के साथ बड़ी हमदर्दी दिखाई है। लेकिन मुझे दुख: के साथ कहना पड़ता है कि आज सदन में बैठे हुये हमारे भाईयों ने जो यह विचार व्यक्त किये और उधर के बैठने वाले भाइयों ने भी बड़े जोश के साथ हरिजनों के बारे में अपने भाव व्यक्त किये, उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क दिखाई पड़ता है।

वह भाई लोकसभा, विधान सभा तथा अन्य सामाजिक व्यवहारों में हरिजनों के साथ एक दूसरे किस्म का व्यवहार करते हैं, लेकिन घर में जाकर क्या वह व्यवहार रखते हैं, जरा इस पर वह सोचें। उनके घरों पर जाकर यदि देखा जाय तो वह इन हरिजनों के साथ बिल्कुल दूसरा ही व्यवहार करते हैं, इस पर वह सोचें। जिस प्रकार से वह अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, यदि इसको वह कार्य रूप में परिणत करें तो प्रदेश में बड़ा सुधार हो सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह गौर से और ध्यान पूर्वक इस पर विचार करें, क्योंकि हमने यह देखा है कि सन् ४७ से लेकर आजतक जो बात अखबारी दुनियां में निकल जाती है और लोगों से स्टेटमेंट के द्वारा निकल जाती है, वह सही नहीं होती। समाज में सरकार के लोग भी यह कहते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। आजादी मिले १५ साल हो गये। १५ साल में लड़का जवान हो जाता है, लेकिन हरिजनों के लिये क्या हुआ? पश्चिमी जिलों में, जहां के लोग थोड़े चैतन्य होते हैं, नौकरी आदि में कुछ स्थान मिल गये होंगे, लेकिन पूर्वी जिलों और अवध में उनके लिये कुछ भी तो नहीं किया गया, बल्कि उनकी हालत तो पहले से भी गई गुजरी होती चली जा रही है।

अभी हमारे सर्वोदय विभाग ने जिसमें सन्त विनोवा हैं, कई स्थानों पर हरिजनों को कुछ जमीन दी थी। जमीन पट्टे पर दी गई थी। पट्टा देने के बाद वह जमीन आजतक उनको नहीं मिली, लेकिन उस जमीन का लगान उनसे बलपूर्वक वसूला जा रहा है। विभाग से और माननीय राजस्व मंत्री जी के पास बराबर लिखा पढ़ी करने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उनके उद्धार का आजतक कोई रास्ता नहीं निकला है।

हरिजनों के प्रति यह जो उदासीनता की भावना रही है, तो मैं आज आप से कहूंगा कि यह जो दबा हुआ समाज है, जो सो रहा है, जिस वक्त करवट बदलेगा, जिसको कोई रोक नहीं सकेगा, उससे सारा समाज चौपट हो जायगा। लेकिन मैंने यह देखा है कि सभी भावनाओं से कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के पीछे जो सही माने में समाजवाद है, उसको कार्य रूप में स्वार्थी लोग परिणत नहीं करना चाहते हैं। यह मैं मानता हूं कि आजादी मिलने के बाद सरकार ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस ओर कदम उठाया और कुछ उद्धार जरूर हुआ, किन्तु इतने से हो क्या होने वाला है ? मैं कहता हूं कि क्लर्कों और अफसरों में अगर वह योग्य नहीं ठहर पाते हैं तो क्या चपरासियों में भी उनमें योग्यता नहीं है ? जब प्रश्न किये जाते हैं तो सरकार से उस पर उल्टा सीधा उत्तर मिलता है । मैं कह देना चाहता हूं कि हरिजन गांवों में या शहरों में जो सदियों से सताये हुये हैं, यह हिंदू धर्म के लिये एक बड़े कलंक की बात है । सरकार को गहराई से विचार करना चाहिये । अगर सरकार सही माने में समाजवाद का नारा लगाती है तो उसके लिये एक ही तरीका है कि पद दलितों को उठाने के लिये गांधी जी की तरह से या हनुमान जी की तरह से कदम उठाये और निर्भीक होकर काम करे तो हरिजनों का उत्थान हो सकता है ।

*श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों को प्रदेश की सेवा में स्थान देने के लिये जो प्रश्न उठा है उस पर दो दिन से बहस हो रही है । इसके लिये भारत सरकार ने एक अखिल भारतीय कमेटी बिठाई थी जिसने हर प्रदेश के बारे में रिपोर्ट दी है । उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हरिजनों को सरकारी नौकरियों में बहुत कम स्थान मिला है । सरकार ने जो हरिजनों के प्रति निष्क्रियता या उदासीनता बरती है उसके लिये हमें शोक प्रगट करने की इच्छा होती है ।

अभी हमारे माननीय सदस्य जो बोल रहे थे विरोधी दल में थे, वह यही आशा लकर गये थे कि वे वहां एक साथ घर में बैठेंगे और बराबर की दृष्टि से देखे जायेंगे । लेकिन वे कह रहे हैं कि विनोबा भावे जी को जो जमीन भूदान में मिली और हरिजनों को दी गई वह अभी तक हरिजनों को मिल नहीं पाई है और लगान उस जमीन का उन्हें मुफ्त में देना पड़ रहा है । यह वही सरकार है जो १७ साल से हरिजनों को बड़ौदा गद्दी पर बैठा हुई है और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है या तो वोट लेने के लिये या बोझा देने के लिये । तो वह भला हरिजनों की क्या भलाई कर सकती है ? अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि कांग्रेस में जाकर उन्होंने गलती की तो वे अब भी लौट सकते हैं ।

मैं समझता हूं कि आंकड़ों से काम नहीं चलेगा । अगर भला करना चाहते हैं तो देखें कि हर विभाग में १८ परसेंट पूरा होता है या नहीं । जिलों में ९ परसेंट से ज्यादा हरिजन किसी विभाग में नहीं है । उसका कारण यह है कि जिलाधीश उदासीन रहते हैं । क्या उनसे आश्वासन प्राप्त हुआ है कि १८ प्रतिशत का कोटा हरिजनों का पूरा किया जायगा ? आज हरिजनों की कोई व्यवस्था नहीं होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है । हरिजन शिक्षित भी कम हैं, जमीन भी उनके पास नहीं है, खेती भी कम है और हर प्रकार से देखे हुये हैं, उनको उठाना चाहिये । सदस्य लोग जो अपने क्षेत्र से आते हैं उन्होंने कभी एक भी शब्द हरिजनों की भलाई के लिये कहा है । तराई क्षेत्र में थारू कौम रहती है, चमार, भंगी और कोली वगैरह रहते हैं और गोंडा में उनकी संख्या ज्यादा है । उनको स्थान नहीं मिल पा रहे हैं पहले जब १८ प्रतिशत रिजर्वेशन नहीं था तो शायद उत्तर प्रदेश में हरिजनों से ज्यादा उम्मीदवार चुन कर आये थे लेकिन जब से १९ प्रतिशत का प्रतिबंध आया है उनकी संख्या १० प्रतिशत भी पूरी नहीं हुई उसके बजाय ९ प्रतिशत ही रह गयी है । तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर हरिजनों और अनुसूचित जातियों की स्थिति को सुधारना है तो जिलाधीशों को आदेश दें कि हर विभाग में १८ प्रतिशत को पूरा किया जाय । गांवों में जो हरिजन हैं, पिछड़े हुये हैं उनके पास पैसा नहीं है, जमीन है, उनके पास कोई भी साधन नहीं है जिससे वे अपने बाल-बच्चों का जीवन-यापन कर सकें । इस प्रजातांत्रिक सरकार ने वादा किया था कि हरिजनों को हम ऊंचा उठायेंगे और यहां से आज कहा जाता है कि हमने हरिजनों को ऊंचा उठा दिया है, लेकिन मैं मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी स्थिति आज पहले से भी खराब हो गयी है । इसलिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्शोधन नहीं किया ।

[श्री सुखदेव प्रसाद]

सरकार को यह चाहिये कि जिलाधीशों को आदेश देकर हर विभागों में कम से कम कुलियों और चपरासियों में उनके स्थान को पहले पूरा करावें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

(श्री रामजीलाल सहायक का नाम पुकारे जाने पर) उधर से दो लोग पहले बोल चुके थे । इधर से भी दो लोगों को बोलने का अवसर होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आगे बोल लेगें ।

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—

बार-बार खड़े होने के बाद मुझे अवसर मिला इसके लिये आपका आभारी हूं लेकिन मुझे दो-एक मिनट और अधिक समय मिल जाय तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

समय कम है, यह संभव नहीं है ।

श्री रामजीलाल सहायक—

गवर्नमेंट की तरफ से यह निश्चय किया गया था कि राजकीय सेवाओं में १८ प्रतिशत स्थान हरिजनों को मिलेंगे, लेकिन इस निश्चय की जितनी छीछालेदर हुई है शायद किसी निश्चय की नहीं हुई होगी । मैं समझता हूं कि यह हम लोगों का निकम्मापन है और मुझे माफ किया जाय यदि मैं कहूं कि इस सरकार का निठल्लापन है । अगर सरकार के आदेशों का इसी तरह से पालन किया गया तो ईश्वर जाने क्या होगा ? हमने यह सुना था कि सरकारी हुक्म नहीं मर सकता चाहे हाकिम मर जाय, लेकिन हम इसका उल्टा देख रहे हैं । आज हाकिम दुम्बा हो रहा है और हुक्म मर जाता है । बड़ी गंभीर और शोचनीय स्थिति है और मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रश्न पर बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिये । आपका निश्चय है संविधान में निश्चय किया गया है कि अस्पृश्यता का हम नाश करेंगे और होता यह है कि संविधान में जो संरक्षण दिया गया है उसकी भी पूर्ति नहीं होती । उसके लिये कई बार कहा गया है और यह रिपोर्ट भी यही कहती है कि उसकी पूर्ति नहीं हो रही है । हमें विचारना होगा कि इसकी जड़ में क्या बात है । या तो उसमें हृदय परिवर्तन की बात नहीं होती और या यहां गवर्नमेंट में कहीं न कहीं खराबी है या मैं यह कहूंगा कि उस लेविल पर जाकर कास्ट प्रेजुडिस, जातीय विद्वेष, होता है वह काम करता है । मैं क्या कहूं? कहना पड़ता है कि १५ अगस्त को बच्चों ने एक प्रहसन किया और वहां पर उसमें जितनी जातियां हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी के बच्चे थे, छोटे-छोटे बच्चे १०–१२ वर्ष के थे । तो वहां जो दिखाया गया था उसमें पंडित जी के हाथ में पोथी-पत्रा था क्षत्रिय के हाथ में तलवार थी, वैश्य के हाथ में लेखाबही और शूद्र के हाथ में क्या था जूता पालिश और झाड़ । अगर हम अपने बच्चों को यह सिखायेंगे, अगर ऐसी तस्वीर हरिजनों की उनके सामने रखेंगे तो उनके हृदयों में बचपन से ही विद्वेष की भावना पैदा होगी । हमारी सरकार की संरक्षण में भी यही बात है । जो आफिसर्स बैठते हैं जिनको भरती करना होता है वे अजीब अजीब तरकीबें निकाल लेते हैं। अगर २० जगहें खाली होंगी तो उनका नोटिफिकेशन एक साथ वे नहीं निकालेंगे । वह यह करेंगे कि पहले चार का नोटिफिकेशन निकालेंगे । चार में तो हरिजन नहीं आता क्योंकि आधा हरिजन तो परसेंटेज के हिसाब से लिया नहीं जायेगा । फिर धीरे-धीरे करके इसी तरह से वे २० जगह पूरी कर लेंगे । तो यह तरकीबें हैं जिससे वे हरिजनों की भरती रोक देते हैं । तो मैं सरकार से कहूंगा कि भरती वाली बात जो है सो है,

वह हमारे सामने खुली हुई है और वह पूरी नहीं हो पाती। मैं तो यह कहूंगा कि यह जो १८ फीसदी का शोर मचा हुआ है बहरहाल इसको वापस ले लिया जाय। इसका ढोल क्यों पीटते हैं?

एक तरफ तो सवर्ण लोग कहते हैं कि इनकी मौज है लेकिन दूसरी तरफ हम वर्ण विद्वेश के शिकार बनाये जाते हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा यही है कि इसको बन्द कर दिया जाय। टैम्पोरेरी सर्विस का यह हाल है कि जब जरूरत नहीं होती है तो आदमियों को हटा दिया जाता है एक महीने का नोटिस देकर हटा दिया जाता है। हटाने में इन हरिजनों के आदमियों को ही शिकार बनाया जाता है, उनके स्थान पर दूसरे लोग रख लिये जाते हैं जो बहुत गलत बात है और इंसाफ की बात नहीं है। इन टैम्मोरेरी सर्विस के बारे में सरकार का एक जी० ओ० है उसमें शिकायत के ऊपर आधार मानकर उनको हटा देते हैं। शिकायत इस प्रकार होती है कि कोई अफसर गया और वह कुछ चाहता है तो उसकी पूर्ति न होने पर छोटे को हटा दिया जाता है। इसकी कोई जांच नहीं होती है। जो बड़े अफसर हैं उनको अपने विवेक से काम लेना चाहिये। छोटी-छोटी बातों को माफ कर दिया जाता है और माफ कर देते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो हरिजन पुलिस में एस० पी० या दारोगा हैं उनके कैरेक्टर रोल को मंगाकर देख लिया जाय तो जो बात मैं कहता हूं उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जायगी यानी ऐसे अच्छे-अच्छे आदमी मेरी सूचना में हैं कि उनके कैरेक्टर रोल को बिगाड़ दिया गया है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट हम लोगों को दी गई है उसको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा और उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं उनको भी पूरी तरह से मैंने देखने की कोशिश की है। सन् १९४७ से लेकर १९५९ तक जो आंकड़े दिये गये हैं उनको देखने से पता चलता है कि क्लास प्रथम में कुल २०० व्यक्तियों की नियुक्ति हुई जिनमें एक भी हरिजन नहीं रखा गया है। क्लास २ में ३,३२५ नियुक्तियां हुईं जिनमें ८१ हरिजन रखे गये और उसका कुल प्रतिशत ४.८६ था। क्लास ३ में जो रखे गये वह २,१९,०६८ व्यक्ति थे, उनमें ४,९३१ हरिजन नियुक्त किये गये जिनका प्रतिशत ४.५१ था। क्लास ४ में ६४,७३४ व्यक्ति काम कर रहे थे जिनमें ६,२७८ हरिजन थे जिनका प्रतिशत ९.६९ था। मैं यह मान सकता हूं कि क्लास १ और २ में इतने योग्य आदमी १२ साल तक नहीं मिले जिनको नियुक्त किया जा सकता, लेकिन क्लास ३ और ४ का ऐसा सवाल है जो हरिजनों का कोटा पूरा हो सकता था। अगर मैं क्लास ३ को भी छोड़ दूं तो क्लास ४ में ऐसे लोग मिल सकते थे जिनमें चपरासी, जमादार, भंगी आते हैं और उनको नियुक्त किया जा सकता था, लेकिन इन १२ साल के अन्दर भी उसको आप ज्यादा नहीं बढ़ा सके। इसका कारण यह है कि जो चपरासी रखे जाते हैं ये अफसरों के नीचे रखे जाते हैं। चपरासी बेचारे दफ्तर के अलावा कुछ और ड्यूटी भी देते हैं जो, उन अफसरों के घरों पर उनको देनी होती है और अफसरों के घरों पर भी काम करना पड़ता है। अफसर की बात मान भी ली जाय कि वह छुआछूत नहीं करता, लेकिन उनकी श्रीमती जी जरूर छुआछूत को मानती हैं। इस वजह से अफसर जब नियुक्तियां करते हैं तो वे ऐसे लोगों को करते हैं जो उनके घर पर काम कर सकता हो। उनके घर पर जाकर चौका-बर्तन और रोटी का काम कर सकता हो। बच्चों को खिलाने का काम कर सकता हो। इसलिये हरिजनों को उससे वंचित किया जाता है। हरिजन कमजोर हैं और उनको अच्छा नहीं समझा जाता है। चपरासी के काम के लिये कौन-सी योग्यता की बात है जो १८ फीसदी पूरा नहीं कर सकते मगर उसका कारण यही है जो मैंने बतलाया। इसकी नियुक्ति करने वाले ऊंची जाति के अफसर होते हैं वे अपने घर पर काम करने लायक आदमी रखते हैं। इसलिये हरिजनों को तरजीह नहीं देते। अगर रख लेते हैं तो उनको इतना परेशान करते हैं और इतनी ड्यूटी लेते हैं कि वह मजबूर होकर छोड़ कर भाग जाते हैं। मुझे इसका जाती तर्जुबा है। तो मेरा आपसे यह कहना है कि इनके उठाने की जो बात आप करते हैं तो जिनके सुपुर्द आप एप्वांइटमेंट का भार देते हैं, जैसा कि पांडेय जी ने

[श्री होरीलाल यादव]

कहा, अगर वह पूरा अपना कर्त्तव्य नहीं करते हैं तो उन पर सख्ती कीजिये कि मेहरबान चतुर्थ श्रेणी की सर्विसेज में रिजर्वेशन पूरा करने में कौन सी योग्यता की कमी आड़े आती है।

इसके अतिरिक्त रिपोर्ट पढ़ने से पता लगा कि ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने बार-बार आंकड़े मांगने पर भी आंकड़े नहीं दिये। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये कि उन्होंने तथ्यों को छिपाया जिससे आंकड़े समिति के समक्ष न जा सकें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे हरिजन सदस्य जो उस तरफ बैठे हुए हैं उनके प्रति जनता को बड़ा भारी विश्वास है कि वह हरिजन वर्ग का उद्धार करेंगे। यह उनको धोखा दे रहे हैं। आप तो अपना उद्धार करने में चिपटे हुये हैं ताकि आपकी गद्दी बनी रहे, एम० एल० ए० गीरी कायम रहे, हरिजन वर्ग जहन्नुम में जाय इसकी कोई चिंता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त।

*विद्युत उपमंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों का बड़ा आभारी हूं, कृतज्ञ हूं जिन्होंने प्रतिवेदन के संबंध में अनेक सुझाव दिये। यह बात हम मानते हैं कि हरिजन उत्थान की दिशा में जो उन्नति होनी चाहिये थी वह हो नहीं सकी। मैं यह भी मानता हूं कि कानून से हरिजन उत्थान होने वाला नहीं है। मुझे याद है, मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूं जो धार्मिक स्थान है। सन् ३७ में एक म्युनिसिपल कमिश्नर थे वह मेरे पास आया करते थे। उन्होंने कहा कि यहां कोई मेरी दाढ़ी नहीं बनाता, दाढ़ी बनाने के लिये मुझे हरद्वार, ज्वालापुर जाना पड़ता है। तो मैंने कहा, चूंकि मैं कांग्रेसमैन था, यद्यपि मेरे पिता धार्मिक विचारों के थे कि मैं स्वयं तुम्हारी दाढ़ी बना दूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा समय था जबकि पूरे शहर में एक आदमी दाढ़ी बनाने वाला नहीं मिलता था, बाहर जाना पड़ता था। आज यह स्थिति हो नहीं सकती। मैं यह भी मानता हूं कि आज जाटव भाइयों को ही आदरणीय सदस्य कुछ प्रोत्साहन देते हैं, बाल्मीकियों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हमारी तरफ तो बाल्मीकि भाई भी एक सदस्य बनाये गये, उस तरफ तो उन्होंने कोई इस संबंध में प्रयत्न नहीं किया कि उनको ऊपर उठाये, कोई अपनी पार्टी में स्थान दें। यह ध्रुवसत्य है। सर्विसेज की बात आप छोड़ दें। हम दारुलशफा में रहते हैं।

मैं माननीय पांडेय जी से कहूंगा कि क्या वे इसके लिये तैयार हैं कि भविष्य में उनके यहां जो भी जगह खाली होगी उन पर वे बाल्मीकि व्यक्ति को ही रखेंगे? यहां पर खाली इस तरह की बातें कह देने से ही काम नहीं चलेगा। आपने दो घन्टे का समय बढ़ाने का प्रस्ताव किया। इस समय २-४ व्यक्ति ही सामने बैठे हुये हैं और अगर एक घन्टे का समय और बढ़ा दिया जाता तो शायद मैं ही यहां पर बैठा हुआ रह जाता। जो आपके नेता लोग हैं वे एक भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस चीज को पोलिटिकल रूप देने से काम नहीं चलेगा। इसको सामाजिक दृष्टि से सोचना होगा, हमें और आपको दोनों को ही उसके लिये प्रयत्न करना होगा। मुझे याद है, जब मैं पढ़ा करता था उस वक्त आचार्य कृपालानी ने एक लेक्चर में कहा था कि तुम जब तक खद्दर पहनोगे नहीं, तुम को कोई पूछेगा नहीं। इस प्रकार का जोश उस समय लोगों में खद्दर के प्रति भरा गया था। तो जरूरत इस बात की है कि आज हमें और आपको लोगों में ऐसा हृदय परिवर्तन करना है जिससे कि उनके अन्दर ऐसी भावना पैदा हो कि वे उनको नीची दृष्टि से न देखें। इसके लिये माननीय पांडेय जी और हम सब मिल कर कोशिश करेंगे तब ही यह संभव हो सकेगा। मैंने तो आज देखा है कि मद्रास में बड़े

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़े पंडित जो उन लोगों को मंदिरों में जाने नहीं देते थे, आज उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं। आज वे आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। जहां मंदिरों में वे घुस नहीं पाते थे, वे अब जा सकते हैं। सच्चे दिल से आज लोग उनका स्वागत करते हैं। फिर भी आज काफी हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

यह बात सही है कि इस रिपोर्ट को यहां आने में कुछ देर हुई। इसका कारण यह था कि जब यह रिपोर्ट आयी तो इसमें बहुत सी सिफारिशें थीं। हमने उसकी एक समरी रिपोर्ट मांगी थी। उसका ट्रांसलेशन भी होना था जिसमें काफी समय लग गया। इसमें बहुत सी सिफारिशें ऐसी भी हैं जिनको मान लिया गया है। बाकी अभी गौरतलब है। सबसे बड़ी बात जो इसमें मान ली गई है वह यह है कि जो म्युनिसिपल सर्विसेज हैं उनमें १८ से बढ़ा कर २५ प्रतिशत कर दिया और जो जो इंफीरियर सर्विसेज हैं, उन्हें ४५ प्रतिशत कर दिया। हमने यह भी आदेश दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स इस बात को देखें कि जो हमारे आदेश हैं उनका पालन हो। हमने यह किया है कि डी० एम० को एक प्रोफारमा भरकर भेजना पड़ेगा और उसमें यह दिखाना पड़ेगा कि कितनी जगह खाली थीं, उसमें कितनी हरिजनों को मिलीं तथा हमारे आदेशों का पालन हुआ कि नहीं।

श्री गंगाप्रसाद--

श्रीमन् मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं मन्त्री जी से। जो वे २५ प्रतिशत और ४५ प्रतिशत कहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां अभी गोंडा में जो चुनाव हुआ उसमें एक भी हरिजन नहीं रक्खा गया। क्या उसमें आप डी० एम० को दण्ड देंगे ? वहां आपके आदेशों, जिसका अभी आपने जिक्र किया का पालन नहीं किया गया है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

डी० एम० को हमने आदेश दिये हैं कि वह हमको सूचित करें कि हमारे आदेशों का पालन होता है कि नहीं। उसके लिये जो नियम हैं, उसके हिसाब से वे देखेंगे।

श्री गंगाप्रसाद---

नियम क्या है ? आदेश पालन न होगा तो क्या होगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

कोई भी आदमी आदशों को न माने तो जो उसको सजा मिलनी चाहिये वही इनको भी मिलेगी।

लेकिन मैं आप से यह कह रहा हूं कि मुझे इस बात को सुनकर बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे बहुत से साथियों का, जहां तक मुझे मालूम पड़ रहा है, यह विचार है कि हरिजनों के उत्थान की तरफ कोई काम ही नहीं हुआ। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मेरा जो हरिजन कल्याण विभाग है जब शुरू हुआ उस वक्त ४० लाख रुपये के करीब साल भर में खर्च करता था। इस साल हमने बजट में ४० लाख से बढ़ा कर ३५०.१ लाख तक खर्च करते हैं। २ करोड़ २९.८७८ लाख के करीब तो छात्रवृत्ति में जाता है, जब कि पहले ४० लाख पूरे डिपार्टमेंट में खर्च करते थे। तो अब करीब २ करोड़ और ३० लाख के गरीब केवल छात्रवृत्ति पर खर्च करते हैं। मुझे यह भी मालूम है पहले हरिजनों में पढ़ने की तरफ कोई रुझान नहीं था जो कि अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है। हरिजनों में भी पढ़ने की तरफ प्रवृत्ति बढ़ी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

माननीय मंत्री जी ने जो अभी छात्रवृत्ति बताई, क्या उसमें सजग जाति के लोगों को भी छात्रवृत्ति शामिल है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

वह अलग है। लेकिन मेरी बात तो आप सुन लें। बीच में बोलने से क्या फायदा। आपकी जानकारी के लिये मैं यह भी बता दूं कि जैसा कि पिक्चर आपके सामने है कि हरिजनों की नौकरियों में कोई ज्यादा तादाद बढ़ी नहीं है। ऐसे तमाम पिक्चर बुरी नहीं है। मेरे पास ऐसे फिगर्स हैं और आपकी जानकारी के लिये इस रिपोर्ट से पढ़ दूंगा। अगर आप पृष्ठ ३५ देखेंगे तो हरिजन कल्याण निदेशालय में संख्या ४८.४५ परसेंट है। राज्यपाल के सचिवालय में संख्या ३५.३४ परसेंट है। अधिकारियों के प्रशिक्षण विद्यालय में ३७.९३ परसेंट है। सरकार के विद्युत निदेशालय में ३३ परसेंट है। सूक्ष्म उपयंत्र निर्माणशाला (प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री) में ३०.९४ परसेंट, विकास आयुक्त के यहां २८.३२ परसेंट, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन के यहां २६.७० परसेंट, सैनिक नाविक एवं वैमानिक परिषद, में २५ परसेंट है। (व्यवधान) यह मैं इसलिये बता रहा हूं कि यह जो चीज कही जाती है कि संख्या १८ प्रतिशत से भी कम हुई है, वह बात सही नहीं है। १८ परसेंट से भी कई डिपार्टमेंट्स में संख्या ज्यादा है। (व्यवधान) अगर मेरी बात सुनना न चाहते तो मैं बन्द कर दूं। मैं आपकी जानकारी के लिये यह भी बता दूं कि हमारे सचिवालय में अपर डिवीजन असिस्टेंट्स में ३४.१ परसेंट, और लोअर डिवीजन असिस्टेंट्स में २५ परसेंट फिगर्स सन् १९६० में थीं। अब मैं सन् १९६३ की फिगर्स आपको बताऊं, लोअर डिवीजन असिस्टेंट्स में यह संख्या ३६.७ प्रतिशत इस सेक्रेटरिएट में हो गई है। यही नहीं जिलों में भी कई जिले ऐसे हैं कि जहां रिक्रूटमेंट संबंधी हमारे आदेश का पूर्णरूप से पालन हुआ है। बांदा जिले में तो जो भर्ती हुई उसमें सब सेंट परसेंट हरिजन अप्वाइंट हुए हैं। अलीगढ़ के कलेक्टरेट में भी २५ प्रतिशत हरिजन अप्वाइंट हुए। पीलीभीत के कलेक्टरोरेट में ४० प्रतिशत रखे गये। (व्यवधान) यह बात मैंने पहले ही कह दी थी कि जितनी इसमें प्रगति होनी चाहिये थी उतनी प्रगति नहीं हुई है, यह मैंने सबसे पहले ही कहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वे कानून से ही इस बात को मनवा लेंगे, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, व्यवस्था का सवाल है। माननीय शांतिप्रपन्न शर्मा जी ने जो सचिवालय के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत किये वह बिलकुल गलत हैं। जरा-सा देखें पृष्ठ ७२ इस रिपोर्ट का, उसमें लिखा है कि उच्च श्रेणी सहायक (अपर डिवीजन असिस्टेंट्स) ३४२ में केवल ३.९० परसेंट, निम्न श्रेणी सहायक ४१३ में केवल १५, ३.६३ प्रतिशत आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) ५९ में हरिजन कोई नहीं स्थायी पदों पर और अस्थायी पदों पर १११ में कोई नहीं।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

आप ४७-५९ को पढ़ रहे हैं। मैंने ६३ की फिगर बतायी जो इसमें नहीं है। वह रिपोर्ट पुरानी है, सन् ६० की है। और यह मैं आपको सन् ६३ की फिगर्स बता रहा हूं। आप ६० और ६३ को कैसे कनफ्यूज कर रहे हैं? मैंने शुरू में ही यह बात मान ली थी कि जितना इस विभाग में काम होना चाहिये था उतना काम नहीं हुआ है, हमारे आदेशों के बावजूद भी। इसीलिये यह कमेटी बैठाने की आवश्यकता हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार हमने १८ फीसदी के बजाय २५ फीसदी और ४५ फीसदी कर दिया है, इसके अलावा जिम्मेदारी भी रख दी है।

आज सबसे बड़ी मांग यह थी कि हम जो यह चाहते हैं कि हरिजनों को स्थान मिल जाय, वह मिलना चाहिये। सरकारी सेवाओं में ही नहीं वह समाज में भी मिल जाय, हम यह भी चाहते हैं। स्टेट लेविल पर कमेटी को बैठाने की मांग थी जो यह देखें कि हरिजनों का रिप्रेजेन्टेशन पूरा हुआ है या नहीं, हम उस कमेटी को बैठायेंगे। अभी उस कमेटी के परसोनेल तैयार नहीं हैं, लेकिन उसके अध्यक्ष माननीय मंत्री जी होंगे। यह एक परमानेन्ट कमेटी होगी

जो यह देखेगी कि गवर्नमेंट के आदेशों का पालन होता है या नहीं ।

एक सदस्य--

जिला स्तर पर भी क्या कोई कमेटी होगी ।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

जिला स्तर की बात आपने अब कही है, उसके बारे में सोचेंगे । इसकी ज्यादा डिटेल अभी मैं आपको नहीं बता सकता । लेकिन हम यह चाहते हैं, कि कमेटी ऐसी होनी चाहिये जो इफेक्टिव हो । उसके बारे में विचार कर रहे हैं । हम केवल नाम की कमेंटी नहीं बनाना चाहते हैं । कमेटी ऐसी चाहते हैं जो गवर्नमेंट के आदेशों को मनवा सके ।

कभी-कभी माननीय सदस्यों की ओर से कहा जाता है कि हैड आफ दि डिपार्टमेंट कोई हरिजन क्यों नहीं हुआ । उसका एक प्रोसेस है । एक आदमी एकदम ही तो आई० जी० नहीं हो जाता । वह धीरे-धीरे प्रमोशन पाता हुआ आगे आता है, सीनियारिटी के हिसाब से आता है । जिस प्रकार से इस समय प्रोग्रेस है अगर वही रही तो वह दिन भी दूर नहीं है जब कोई हरिजन हैड आफ दि डिपार्टमेंट होगा ।

एक बात यह भी कही गयी कि हरिजनों को जान बूझकर निकाल दिया जाता है और उनकी जगह दूसरा हरिजन रखा नहीं जाता । हमने यह भी आदेश दे दिये हैं कि इस प्रकार से जो स्थान खाली हों उन पर हरिजनों को ही रखा जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जिन अधिकारियों ने आपके आदेशों का पालन नहीं किया उनमें से आपने कितनों को सजा दी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं तो मैं बैठ जाऊं ?

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)--

उन आदेशों का पालन किस तरह से होगा ?

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आधा घंटा समय बढ़ा दिया जाय । मंत्री जो जितना बोलना चाहें उनको बोलने दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

पूर्व निश्चित जो बात है उसमें फर्क नहीं होगा । २-४ मिनट और मंत्री जो बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन के सिलसिले में जो बातें हुई हैं वे मैंने आपको बतलायीं और जहां तक इसको कार्यान्वित करने का प्रश्न है वह डाक्टर साहब और दूसरे लोगों का काम है । मैंने आपको बतला दिया कि एक कमेटी हम बनाने जा रहे हैं जिनके पर्सनेल आदि का एनाउन्समेंट बाद में यथासमय किया जायगा ।

एक बात माननीय हरीसिंह जी जानने के लिये उत्सुक हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक हरिजन मेम्बर रहने की जो बात थी उसके बारे में भी मैं कुछ जरूर कहूं । वे तो मुझ से ज्यादा समझदार हैं और इस बात को जानते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन कांस्टीट्यूशन के हिसाब से बनता है । पिछली दफा जब मैं कौंसिल में गया था तो वहां स्त्रियों की तरफ से श्रीमती सावित्री श्याम ने मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में कम से कम एक स्त्री मेम्बर अवश्य होना चाहिये । संविधान के अनुसार कुछ नियम बने हुए हैं जिसके अनुसार कोई

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

रिटायर्ड सीनियर आफिसर होना चाहिये, उसकी उम्र की भी कैद है, तो मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसे सीनियर आफिसर हरिजनों में हमें मिल सकेंगे । तो आप देखेंगे कि विधान के अन्दर ये तमाम चीजें दी हुई हैं फिर भी मैं आदरणीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि यह कमेटी जो हमने बैठायी थी उसके जो ५१ रिकमेंडेशन्स आये उनमें से २० को हमने इम्पलीमेंट कर दिया है और १५ को गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास भेजा है जिससे उनकी सलाह से हम देखना चाहते हैं क्योंकि वे और हम बीच में हैं--कि कौन-सा कदम उस पर उठावें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

५१ में से कौन-कौन आपने नहीं माना है, इसको बतला दें ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मैं डिस्ट्रक्टिव पालिसी को नहीं मानता हूं । आप यह क्यों नहीं पूछते कि ५१ में कौन-कौन से रिकमेंडेशन्स को माना है ? आप हमेशा की तरह आपोजीशन वाली बात यहां भी क्यों लाते हैं ? हम वे सारी बातें कर रहे हैं जिनसे हरिजन जाति का कल्याण होगा । हमारा फर्ज है कि हम उन सभी बातों को करें और उन सभी बातों को मान लें जिससे हरिजनों का उत्थान हो, उनके अधिकारों का संरक्षण हो, बिना इस बात को देखे हुए कि आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं । हमें आपकी कोई परवाह नहीं है । हमने बतलाया कि १८ परसेंट के बजाय ४५ प्रतिशत तक कर दिया है और एक परमानेंट कमेटी बैठाने की बात मान ली है । आपके हल्ला करने से उनका उत्थान नहीं होने वाला है । अगर उनका उत्थान करेंगे तो हम और हमारे साथी जो इधर बैठे हुए हैं सब वही मिल कर हरिजनों का उत्थान करेंगे बावजूद इस बात को खयाल किये हुए कि आप उनके लिये क्या कह रहे हैं । हरिजन समाज के कल्याण को कोई अब रोक नहीं सकता है । इन शब्दों के साथ मैं इधर और उधर के सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

माननीय मंत्री जी से मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आपके जिन अधिकारियों ने आपके १८ प्रतिशत वाले आदेश का उल्लंघन किया है उनमें से कितनों को आपने सजा दी, उनके नाम बतलाने की कृपा करें और यह भी बतलायें कि किस अधिकारी को क्या सजा दी ?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर वे नहीं बतलाना चाहते तो आप मजबूर तो उनको कर नहीं सकते ।

लोक लेखा समिति में कार्य करने के लिये विधान परिषद् के सदस्यों की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

अब मुझे एक सूचना देनी है । विधान सभा की लोक लेखा समिति के १९६४-६५ के साल में सहयुक्त सदस्य के रूप में काम करने के लिये सर्व सम्मति से निम्नलिखित ५ सदस्यों को श्री सभापति विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित घोषित किया गया है--वह नाम ५ इस प्रकार है :

श्री चिरंजीलाल पालीवाल (फर्रुखाबाद); श्री खान बहादुर मोहम्मद ऐजाज हुसेन, (मेरठ); श्री गोपीनाथ सिंह (कानपुर); श्री गनेशदत्त पालीवाल (जालौन); श्री ब्रजपाल शरण रस्तोगी (मुरादाबाद) ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:
२७ अगस्त, १९६४ ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४५ पर)

१ जनवरी, सन् १९६२ से ५ मई, सन् १९६४ तक की अवधि में जिला इटावा के विभिन्न थानों में हुए अपराधों की तालिका ।

नाम थाना	डकैती	कत्ल	राहजनी	नकबजनी	फौज-दारियां	चोरियां
कोतवाली ..	..	६	८	२३	३१२	४७	६३६
बढ़पुरा ..	..	२	७	१	११	६	२३
जसवन्तनगर	..	५	६	४	८४	१७	११०
चौबिया ..	..	६	६	७	५१	११	७५
इकदिल ..	..	२	६	५	४२	१३	६३
उसराहार ..	..	४	१	६	३०	५	४६
भर्थना ..	..	३	२	१५	१११	२२	१३४
अजीतमल ..	..	५	३	९	८४	१६	९२
बकेवर ..	..	३	७	९	८०	१७	१६६
सहसों ..	..	९	२	३	१५	१४	४४
बिधूना ..	..	१	५	१	४८	९	९१
अछल्दा ..	..	५	..	२	६४	१८	८१
बेला ..	..	४	६	..	६२	८	९२
ऐरावाकटरा	..	२	१	२	४५	२	५०
अोरैया ..	..	५	७	१३	११४	३१	१६७
फफूंद ..	..	३	१	३	४१	१२	५६
दिवियापुर ..	..	३	१	१	४०	५	८१
सहायल ..	..	३	१	३	३१	५	३५

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४८ पर)

गत शीत लहर तथा पाले के कारण पहुंची हानि का जिलेवार ब्यौरा

क्रम सं०	जिले का नाम	गन्ने के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत क्षतिग्रस्त क्षेत्र	टिप्पणी
१	२	३	४
१	देहरादून तथा सहारनपुर	२९.०	यह ब्यौरा केवल मिलों के सुरक्षित क्षेत्र का है। क्रम संख्या १५ से २१ तक के जिलों में बहुत थोड़ी हानि हुई है जो ०.१ प्रतिशत से ०.४ प्रतिशत तक है ।
२	मुजफ्फरनगर	१२.०	
३	मेरठ	३.५	
४	बुलन्दशहर	९.०	
५	नैनीताल	१९.०	
६	एटा तथा बदायूं ..	०.५	
७	मुरादाबाद ..	०.५	
८	बरेली	११.५	
९	पीलीभीत	१९.५	
१०	बिजनौर	२३.०	
११	शाहजहांपुर ..	१३.०	
१२	रामपुर	७.०	
१३	सीतापुर	७.०	
१४	खीरी	१५.०	
१५	हरदोई	०.५ से कम	
१६	बाराबंकी, लखनऊ तथा कानपुर		
१७	फैजाबाद तथा जौनपुर ..		
१८	बस्ती		
१९	गोंडा तथा बहराइच ..		
२०	गोरखपुर ..		
२१	देवरिया		

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५० पर)

चार्ट

क्र० सं०	समिति का नाम	निर्मित वस्तु का नाम	सरकार द्वारा दिये गये कच्चे माल का नाम व मात्रा			
			१९६२-६३		१९६३-६४	
				टन		टन
१--बर्तन उद्योग सहकारी समिति, सराय आकिल, इलाहाबाद ।		घरेलू बर्तन	तांबा	४.८०	तांबा	४.८०
			जस्ता	४.९०	जस्ता	४.९०
			कोयला	..	कोयला	१ गाड़ी
२--बर्तन निर्माण उद्योग सहकारी समिति, शमशाबाद, इलाहाबाद ।		,,	तांबा	१२.४०	तांबा	.. ..
			जस्ता	१२.५०	जस्ता	.. ..
			कोयला	५ गाड़ी	कोयला	४ गाड़ी
३--ढलाई वस्तु उद्योग सहकारी समिति, गरीबान टोला, इलाहाबाद ।		,,	तांबा	३ टन	तांबा	३ टन
			जस्ता	२ टन	जस्ता	२ टन
			कोयला	१ गाड़ी	कोयला	१ गाड़ी
४--बर्तन उद्योग सहकारी समिति, ठठेरी बाजार, इलाहाबाद ।		,,	..	..	..	..
५--लौह वस्तु उद्योग सहकारी समिति, २३८ बहादुरगंज, इलाहाबाद ।		,,	..	..	..	..
			..	..	कोयला	२ गाड़ी

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६० पर)

यह सही है कि बांदा जिले की बांदा, नरैनी तथा बवेरू तहसीलों में धान की पैदावार अधिक होने के कारण पुवाल उपलब्ध है जिससे मोटा कागज (दफ्ती) बनाया जा सकता है । तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में बाँदा जिले में सार्वजनिक क्षेत्र में कागज बनाने का उद्योग खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । किन्तु निजी क्षेत्र में वहां एक "स्ट्रा बोर्ड" बनाने की इकाई स्थापित कराने का प्रयास किया जा रहा है । आशा की जाती है कि यदि इकाई को नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, देहली से मशीन उपलब्ध हो गई तो वह आगामी एक वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ कर लेगी ।

इस जिले के बरगढ़ नामक स्थान में कांच की बालू (सिलिका सैंड) पाई जाती है परन्तु यह बालू अत्यन्त निम्न कोटि की समझी जाती है क्योंकि इसमें अधिकांश लोह होता है जो कि शीशे के गुण को कुप्रभावित करता है । अस्तु वहां पर किसी इकाई के स्थापित होने तथा प्रोत्साहन देने की संभावना नहीं है ।

बांस की लुग्दी से कागज बनाया जा सकता है परन्तु जिले में इतनी मात्रा में बांस उपलब्ध नहीं है कि कागज बनाने की एक इकाई को वर्ष भर काम मिल सके ।

जिले की कर्वी तहसील में लाल और पीली मिट्टी रेलवे स्टेशन से दूर तथा जिले के आन्तरिक भागों में मिलती है । अतः जिले में रंग निर्माण करने की इकाई स्थापित करने की संभावना अधिक नहीं है ।

इस जिले में केवल बांदा नगर तथा चित्रकूट में बिजली उपलब्ध है वहां निजी उद्योगियों को आवश्यकतानुसार विद्युत् शक्ति दिलाने का प्रयास किया जा रहा है । इस जिले में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई भी इकाई स्थापित करने का प्रश्न निकट भविष्य में सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६२ पर)

तालिका

गन्ना केन्द्र--

तुलसीपुर चीनी मिल--

१--फैक्ट्री गेट

२--गैसढी

३--पचपेड़वा

४--कौवापुर

५--बालापुर

६--गौरा

७--धमुहिया

८--बढ़नी

९--बिसकोहर।

गन्ना क्रय केन्द्र--

बलरामपुर क्रय केन्द्र--

१--फैक्ट्री गेट

२--श्री गंज

३--उत्तरौला

४--बढ़या पकड़ी

५--धानेपुर

६--एकोना

७--कटरा

८--करवापारा

९--इटिया थोक

१०--रेलवा गाढ़ा

११--गोंडा

१२--बनगाई

१३--विशेषरगंज

१४--पयागपुर

१५--बहराइच

१६--चिलवरिया।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६२ पर)

दिनांक १ जुलाई, १९६२ से ३० जून, १९६४ तक जिला उन्नाव के अन्तर्गत दर्ज हुई डकैती तथा चोरी की घटनाओं की थानेवार सूचना

क्रम संख्या	थाना	डकैती: दर्ज हुई घटनाओं की संख्या	डकैती: पुलिस द्वारा चालान हुए मामलों की संख्या	डकैती: सजायाब हुए मामलों की संख्या	चोरी (नकबजनी की घटनाएं सम्मिलित हैं): दर्ज हुई घटनाओं की संख्या	चोरी (नकबजनी की घटनाएं सम्मिलित हैं): पुलिस द्वारा चालान हुए मामलों की संख्या	चोरी (नकबजनी की घटनाएं सम्मिलित हैं): सजायाब हुए मामलों की संख्या
१	कोतवाली	१०	६	५	४२९	७२	५१
२	गंगाघाट	१	—	—	९३	१२	११
३	औरास	९	८	४	१०१	१४	८
४	बांगरमऊ	२०	१६	६	२४०	२६	९
५	सफीपुर	९	९	२	२६०	३५	२२
६	फतेहपुर ८४	८	६	—	१७४	१७	९
७	हसनगंज	६	४	३	६८	१३	७
८	अजगेन	६	६	२	२२७	४०	१६
९	असनेहा	१०	८	१	९४	१५	६
१०	पुरवा	२०	१७	१	१६३	२६	९
११	मौरावां	८	८	१	१४८	२८	१२
१२	बनरासगवर	१२	८	५	१८५	२०	१४
१३	बिहार	१०	७	१	१८५	१३	८
१४	अचलगंज	१२	९	३	२०२	३१	१५
	योग . .	१४१	११२	३४	२,५६९	३६२	१९७

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६६ पर)

डकैती की घटना का विवरण

श्री शंकर, पुत्र रामचन्दर यादव, निवासी ग्राम परमालपुर छटहटी, थाना रामपुर ने १९ मई, १९६४ को एक लिखित सूचना दी कि दिनांक १८-१९ मई, ६४ की रात्रि में जब वह अपने रिश्तेदारों के साथ अपने दरवाजे पर सोया हुआ था कि करीब १ बजे रात को ८–१० डकैत लाठी भाला, गड़ासे से सुसज्जित होकर आये और उसे चारपाई में बांध दिया और चुप रहने के लिये डरवाया तथा पानी पीने के बहाने घर की औरतों द्वारा घर का दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही डाकू घर में घुस गये तथा औरतों का जेवर शरीर से तथा बक्सों से लूट लिया। पड़ोसी के शोर करने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए परन्तु डाकुओं ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया जिससे ग्रामीण हताश हो गये और डाकू सम्पत्ति लेकर चले गये।

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६७ पर)

घटना का विवरण

दिनांक २८ फरवरी, १९६४ को दिन के १-४५ बजे श्री लक्षमन सिंह, निवासी ग्राम झाझनपुर ने थाना कोतवाली में यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिन के १२-३० बजे श्यामलाल वगैरा ४०-४२ आदमी (३२ नामजद व ८-१० बिना नामजद) भाले, लाठी से लैस होकर गांव में घुस आये और पत्थर बरसाने लगे तथा जो जहां मिला उसे मारा। वादी ने प्रार्थना की कि जो आदमी घायल हुए उनका डाक्टरी मुआयना कराया जाय। इस रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली पर धारा १४७/१४८/३३६/३२३/४५२/४२७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत उसी दिन एक मुकदमा कायम हुआ। वादी लक्षमन सिंह की पार्टी के विरुद्ध अभियुक्तों की पार्टी की तरफ से श्रीमती लौंगश्री, निवासी ग्राम सेटलमेंट हरथला ने थाना कोतवाली पर उसी दिन शाम को ६-३० बजे इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब उनकी लड़की साबुन आदि लेने हरथला गई तो रास्ते में जयराम, लक्ष्मी तथा डालचन्द आदि ने उनकी लड़की से बेइज्जती से होली खेली तथा उसके जेवर उतार लिये और वादी व उसकी लड़की को मारा। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३९४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग कायम हुआ।

उपरोक्त मामलों की जांच होने पर पता चला कि लक्षमन सिंह द्वारा दर्ज कराये मामले के अभियुक्त ग्राम झाझनपुर में कच्ची शराब बेंचना चाहते थे किन्तु वादी तथा ग्राम के अन्य व्यक्तियों ने होली के मौके पर शराब न पीने और अभियुक्तों से शराब न खरीदने का निश्चय किया था। अभियुक्तों को यह बुरा लगा। दिनांक २८ फरवरी, ६४ को उन्होंने भाले, लाठी से लैस होकर गांव में बलवा किया। बलवे में किसी प्रकार की लूट होने या किसी व्यक्ति के जान से मारे जाने की कोई सूचना नहीं है। मारपीट के फलस्वरूप केवल कुछ व्यक्तियों को साधारण चोटें आईं।

दिनांक १ मार्च, १९६४ को दोनों पार्टियों की पंचायत हुई जिसमें आपसी झगड़े समाप्त किये गये। पुलिस में राजीनामा दाखिल किया गया। जांच से लक्षमनसिंह द्वारा लिखाई गई मारपीट की घटना ही सही पाई गई किन्तु दोनों पार्टियों में राजीनामा हो जाने के कारण मामले में सबूत नहीं मिल सका। अतः दिनांक ३० मार्च, १९६४ को मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई। धारा ३९४ भा० दं० विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया मामला जांच से सही नहीं पाया गया। अतः उसमें भी अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६७ पर)

तहसील चायल में दिनांक १-७-६३ से ३०-६-६४ तक जिन ग्रामों में कत्ल हुये उनके नाम

१--बक्सीबाजार
२--बादशाही मंडी
३--नखासकोना
४--चक निरातुल
५--मोहतसिमगंज
६--कचेहरी रोड
७--हैमैलटन रोड
८--चीतपुर
९--नयापुरवा
१०--खलासीलेन
११--कन्धईपुर
१२--करैहदा
१३--पीपलगंज गांव
१४--चन्द्रबारी
१५--समसपुर
१६--रोही
१७--खोपा
१८--चितापुर
१९--अमरसा
२०--चक बादशाहपुर
२१--बमरौली
२२--तैवारा
२३--विहका
२४--असटावल कलां
२५--उमरी
२६--कादिरपुर
२७--जनका
२८--नरहयापरमजरा (मजरा फतेहपुर शहायपुर)
२९--असरौली
३०--मरदानपुर।

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६८ पर)

सितम्बर व दिसम्बर, १९६३ के मध्य स्थायी किये गये उत्तर प्रदेश सचिवालय के सहायक अधीक्षकों की सूची

१— श्री सत्यव्रत सक्सेना
२— ,, बलवीर प्रसाद सक्सेना
३— ,, विष्नु दयाल खरे
४— ,, ब्रजनन्दन प्रसाद श्रीवास्तव
५— ,, अतर सेन जैन
६— ,, रविनन्दनलाल श्रीवास्तव
७— ,, राज किशोर शर्मा
८— ,, गिरीश चन्द्र अस्थाना
९— ,, गिरेन्द्रनाथ चटर्जी
१०— ,, जगदीश प्रसाद शर्मा
११— ,, राजकिशोर श्रीवास्तव
१२— ,, सैसिल सुबिमोल चन्द्र सरकार
१३— ,, राय मेकडोनल्ड डिमेलो
१४— ,, पन्नालाल टंडन
१५— ,, हरीश चन्द्र अग्रवाल
१६— ,, अतहर अली जैदी
१७— ,, अमीनुद्दीन अहमद
१८— ,, लक्ष्मी शंकर निगम
१९— ,, सुखदेव नारायण सिन्हा
२०— ,, वीरेन्द्र प्रताप जौहरी
२१— ,, मुशीर अहमद रजाकी
२२— ,, अबरार अहमद खान
२३— ,, राधेश्याम माथुर
२४— ,, राम शंकर द्विवेदी
२५— ,, राधिका रमन
२६— ,, विद्याशंकर श्रीवास्तव
२७— ,, श्याम कृष्ण राय
२८— ,, भाष्कर प्रताप जौहरी
२९— ,, गिरजा दयाल
३०— ,, श्रीदत्त शर्मा
३१— ,, जगदीश सिंह
३२— ,, वी० राम
३३— ,, विशम्भर नाथ श्रीवास्तव
३४— ,, क्षितीश नारायण घोष
३५— ,, नासिर अली खान
३६— ,, प्रताप नारायण मसालदान
३७— ,, शिव प्रसाद दिक्षित
३८— ,, अमरपाल सिंह
३९— ,, विश्वनाथ वर्मा
४०— श्री रमेश चन्द्र मिश्रा
४१— ,, भगवती प्रसाद श्रीवास्तव
४२— ,, प्रशान्तो घोष
४३— ,, विनय कृष्न
४४— , अमर सिंह वर्मा
४५— ,, श्रीनाथ श्रीवास्तव
४६— ,, शिवशंकरलाल मेहरोत्रा
४७— ,, रमेश चन्द्र सक्सेना
४८— ,, पांचू गोपाल सिन्हा
४९— ,, मुनीर अहमद खां
५०— ,, गया प्रसाद शुक्ला
५१— ,, गिरधारी लाल सेठ
५२— ,, भूपेन्द्र सिंह श्रीवास्तव
५३— ,, कैलाश चन्द्र वर्मा
५४— ,, बैकुंठनाथ श्रीवास्तव
५५— ,, श्याम नारायण गुप्ता
५६— ,, गफ्फार अहमद
५७— ,, धरनीधर जोशी
५८— ,, मोहन चन्द्र पांडे
५९— ,, हरिमोहनलाल श्रीवास्तव
६०— ,, शिवशंकरलाल भटनागर
६१— ,, उमाशंकर
६२— ,, शीतल प्रसाद अग्रवाल
६३— ,, हर्ष नारायण
६४— ,, श्याम किशोर—१
६५— ,, शान्त कुमार डे
६६— ,, संकटा प्रसाद सिंह
६७— ,, विजय बहादुर सिंह
६८— ,, प्रेम नारायण वर्मा
६९— ,, राधा रमन सिकरोड़िया
७०— ,, सुरेन्द्र दत्त खन्दूरी
७१— ,, श्रीप्रकाश दुबे
७२— ,, सुखमोय घोष
७३— ,, महेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव
७४— ,, श्रीकृष्न श्रीवास्तव
७५— ,, पूरन चन्द्र पांडे
७६— ,, राम लखन सिंह
७७— ,, तेजवीर बहादुर सक्सेना
७८— ,, विशम्भरदयाल अग्रवाल

७९— श्री कैलाश नारायण सक्सेना
८०— ,, वेद मित्र टंडन
८१— ,, सुबिमोल चन्द्र बनर्जी
८२— ,, रघुनाथ जी सेठ
८३— ,, बिशन कुमार श्रीवास्तव
८४— ,, बजरंग बली सिंह
८५— ,, विपिन बिहारी कपूर
८६— ,, सतगुरप्रसाद श्रीवास्तव
८७— ,, हरेन्द्र नाथ
८८— ,, अमरनाथ नागर
८९— ,, जमीर अहमद खान

९०— श्री महेश्वर नाथ मित्रा
९१— ,, जै नारायण चटर्जी
९२— ,, राधाकृष्न तिवारी
९३— ,, ब्रज मोहनलाल
९४— ,, अश्वनी कुमार त्यागी
९५— ,, प्रहलाद चन्द्र बर्नवाल
९६— ,, बद्रीनाथ वर्मा
९७— ,, गोपाल दत्त पन्त
९८— ,, शम्भू सरन
९९— ,, गंगा शंकर अवस्थी
१००— ,, त्रिलोकी नाथ सक्सेना।

———

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७० पर)

सब-इन्सपेक्टर्स सिविल पुलिस के कोर्स में चुने जाने और प्रतिस्थापन किये जाने वाले हेड कान्सटेबिलों और कान्सटेबिलों की सूची

१९६२–६३

१––हेड कान्सटेबिल लोकल इन्टेलिजेन्स यूनिट श्री ठाकुर प्रसाद ओझा।

२––स्थानापन्न हेड कान्सटेबिल लोकल इन्टेलिजेन्स यूनिट श्री रणधीर सिंह।

१९६३–६४

१––हेड कान्सटेबिल सिविल पुलिस श्री सुख नन्दन पांडेय।

२––स्थानापन्न हेड कान्सटेबिल लोकल इन्टेलिजेन्स यूनिट श्री सियाराम चतुर्वेदी।

३––स्थानापन्न हेड कान्सटेबिल लोकल इन्टेलिजेन्स यूनिट श्री मनमोहन कृष्ण।

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७८६ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर द्वितीय संशोधन विधेयक, १९६४

सं० प्रा० ऐक्ट नं० १५, १९४८ ई०

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को और संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

सं० प्रा० ऐक्ट नं० १५, १९४८ ई० की प्रस्तावना तथा दीर्घशीर्षक का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना तथा लम्बे शीर्षक में शब्द "माल की बिक्री" के स्थान पर शब्द "माल की बिक्री या खरीद" रख दिये जायें।

धारा २ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २ में—

(१) खण्ड (ग) के स्पष्टीकरण में शब्द "माल बेचा जाता हो" के स्थान पर शब्द "माल बेंचा या खरीदा जाता हो" रख दिये जायें;

(२) खंड (ङ ङ) के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड रख दिया जाय—

"(ङ ङ) 'लाइसेंस प्राप्त व्यापारी' से तात्पर्य ऐसे व्यापारी से है जिसे धारा ३-ङ के अधीन लाइसेंस दिया गया हो;"

(३) खंड (छछ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय:—

"(छछछ) 'रजिस्टर्ड व्यापारी' से तात्पर्य धारा ८-क के अधीन रजिस्टर्ड व्यापारी से है;"

(४) खंड (ज) में से स्पष्टीकरण (२) निकाल दिया जाय;

(५) खंड (झ) में—

(१) शब्द "खरीदा या बेचा जाय" के स्थान पर शब्द तथा कामा "बेचा जाय या कुल धनराशि जितने का माल खरीदा जाय, इनमें जो भी अधिक हो" रख दिये जाय;

(२) खंड (झ) में से स्पष्टीकरण (१) निकाल दिया जाय;

(६) खंड (झझ) में शब्द "क्रय-धन" के स्थान पर शब्द "सजातीय पद सहित क्रय-धन" रख दिये जायें।

धारा ३-घ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

४—मूल अधिनियम की धारा ३-घ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय—

कतिपय माल पर क्रय-कर या बिक्रय-कर का लगाया जाना

"३-घ (१) सिवाय उस दशा के जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) में है, प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिए, व्यापारी द्वारा या ऐसे व्यापारी के माध्यम से जो क्रय एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो, किये गये प्रथम क्रय के उस क्रय धन पर, जो ऐसी रीति से जो नियत की जाय, अवधारित किया जाय, ऐसे माल या माल के वर्गों के सम्बन्ध में

तथा ऐसी दर से, जो खाद्यान्नों की दशा में, जिसके अन्तर्गत अनाज तथा दालें भी हैं, दो पैसे प्रति रुपये से अधिक न हो तथा अन्य माल की दशा में पांच पैसे प्रति रुपये से अधिक न हो तथा ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ समय-समय पर विज्ञापित किया जाय, कर लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा ।

स्पष्टीकरण--लाइसेंस प्राप्त व्यापारी की एजेंसी के माध्यम से रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा किये गये क्रय की दशा में, रजिस्टर्ड व्यापारी प्रथम क्रेता समझा जायगा, और व्यापारी की एजेन्सी के माध्यम से किये गये प्रथम क्रय का प्रत्येक अन्य दशा में, व्यापारी जो एजेंट है, प्रथम क्रेता समझा जायगा।

(२) यदि उपधारा (१) में विज्ञापित माल के सम्बन्ध में प्रथम क्रय रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यापारी से भिन्न माध्यम से किया जाय जो क्रय एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो और ऐसे व्यक्ति को बिक्री उस व्यापारी के माध्यम से की जाय जो बिक्री एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो तो उस व्यापारी के, जो बिक्री एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो, माध्यम से की गयी बिक्री के उस विक्रय-धन पर, जो ऐसी रीति से जो नियत की जाय, अवधारित किया जाय, कर उक्त माल के सम्बन्ध में प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिए, उक्त रूप से विज्ञापित दर से लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा।

(३) कोई व्यापारी इस धारा के अधीन कर देने का भागी नहीं होगा यदि उसका विक्रय-धन कर-निर्धारण वर्ष की अवधि में उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित किसी माल अथवा माल के वर्ग सम्बन्ध में कर का भुगतान करने के दायित्व के प्रयोजनार्थ १२,००० रुपये से अथवा अपेक्षाकृत ऐसी अधिक धनराशि से, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विज्ञापित की जाय, कम हो।

(४) इस धारा के अधीन विज्ञप्ति जारी किये जाने पर, इस प्रकार विज्ञापित माल के सम्बन्ध में किसी अन्य धारा के अधीन कोई कर नहीं लगाया जायगा ।

(५) धारा ३ के द्वितीय तथा तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड और धारा १८ के उपबन्ध इन धारा के अधीन देय कर के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

(६) यदि कोई माल, जिसके संबंध में किसी अन्य धारा के अधीन कर लगाया जाय, इस धारा के अधीन विज्ञापित किया जाय अथवा यदि इस धारा के अधीन विज्ञापित कोई माल अनुसूचित (denotified) कर दिया जाय और उसके संबंध में किसी अन्य धारा के अधीन किसी कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाय; तो किसी व्यापारी द्वारा देय कर की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायगी, अर्थात्--

(क) उस अवधि के लिए जिसमें इस धारा के अधीन माल पर कर लगाया जाना हो, उसके क्रय धन या विक्रय-धन पर, जैसी भी दशा हो ; और

(ख) उस अवधि के लिए जिसमें किसी अन्य धारा के अधीन माल पर कर लगाया जाना हो, उसके विक्रय-धन पर।

(७) जब तक कि व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोषानुसार अन्यथा प्रमाणित न कर दे, किसी व्यापारी द्वारा या उसके माध्यम से किया गया प्रत्येक क्रय, उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिये, ऐसे व्यापारी द्वारा किया गया प्रथम क्रय माना जायगा और किसी व्यापारी के माध्यम से की गयी प्रत्येक बिक्री, उपधारा, (२) के प्रयोजनों के लिये प्रथम क्रेता को की गयी बिक्री मानी जायगी।"

धारा ३-ङ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

५--मूल अधिनियम की धारा ३-ङ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय :--

"३-ङ (१)--राज्य सरकार, समय-समय पर, गजट में विज्ञापित धारा ३-घ के आदेश द्वारा, ऐसे व्यापारियों को जो व्यापारिक अभिकर्त्ता प्रयोजनों के लिये (mercantile agents) हैं, लाइसेंस दिये जाने की व्यापारियों की व्यवस्था कर सकती है, जो अपने निर्देष्टाओं लाइसेंस का (principals) की ओर से धारा ३-घ की उपधारा दिया जाना (१) के अधीन विज्ञापित माल खरीदने या बेचने का व्यापार करते हों अथवा जिनके माध्यम से ऐसा माल बेचा या खरीदा जाता हो चाहे वे कमीशन एजेन्ट कहलाते हों या आढ़तिया अथवा उनका कोई भी अन्य नाम हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:--

(क) इस धारा के अधीन लाइसेंस जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति और उनका क्षेत्राधिकार ;

(ख) लाइसेंस के लिये प्रार्थन-पत्र में उल्लिखित किये जाने वाले विवरण ;

(ग) लाइसेंस स्वीकृत करने की रीति और उसकी शर्त, जिसके अन्तर्गत ऐसे लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना भी है जो किसी एक कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये १०० रुपये से अधिक न हो;

(घ) लाइसेंस का प्रतिसंहरण (revocation), निलम्बन या संशोधन करने के अधिकार का प्रयोग करने की रीति और शर्तें, और

(ङ) अन्य आनुषंगिक या सहायक विषय।

(३) इस धारा के अधीन जारी किया गया लाइसेंस, उपधारा (२) या उपधारा (४) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो नियत की जायें।

(४) लाइसेंस प्राप्त व्यापारी --

(क) धारा ३-घ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित मालों की बिक्री और क्रय के लेन देन का प्रतिदिन का यथार्थ और ठीक-ठीक लेखा बौध्य रूप में ऐसी रीति से, यदि कोई हो, जो नियत की जायं, रखने के लिये बाध्य होगा,

(ख) कर-निर्धारक अधिकारी को उपर्युक्त लेन-देन के ब्यौरे, जिसके साथ क्रेता का नाम और विवरण तथा धारा ८-क के अधीन क्रेता द्वारा धृत रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र की संख्या तथा दिनांक भी हो,

प्रस्तुत करने और नियमों के अधीन रहते हुए लेन-देन के संबंध में ऐसी अन्य सूचना, यदि कोई हो, जो तदर्थ अपेक्षित हो, देने के लिये बाध्य होगा ।"

६—मूल अधिनियम की धारा ७—क की उपधारा (१) में शब्द "प्रतिबन्धात्मक खण्ड में" के पश्चात् शब्द, अंक तथा कामा "अथवा धारा ३—घ की उपधारा (३) में, जैसी भी दशा हो," बढ़ा दिये जायें । धारा ७—क का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ७—ङ के शीर्षक में शब्द "बिक्रीकर" के स्थान पर शब्द "बिक्री-कर या क्रय-कर" रख दिये जायं । धारा ७—ङ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ८—क में— धारा ८—क का संशोधन

(१) उपधारा (१) में, खण्ड (ग) और (घ) में, शब्द "प्रतिबन्धात्मक खन्ड के" पश्चात शब्द, अंक तथा कामा "अथवा धारा ३—घ की उपधारा (३) के, जैसी भी दशा हो," बढ़ा दिये जायं ;

(२) उपधारा (२) में जहां-जहां भी शब्द "बिक्री-कर आया हो, उसके स्थान पर शब्द "बिक्री-कर या क्रय-कर " रख दिये जायं ।

९—मूल अधिनियम की धारा १४ में— धारा १४ का संशोधन

(१) उपधारा (१) में से, खन्ड, (ख) निकाल दिया जाय, और (२) उपधारा (२) खन्ड (छ) में शब्द "ऐसा" के स्थान पर शब्द "क्रय-कर अथवा बिक्री कर के रूप में कोई" रख दिये जायें ।

१०—मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२) के खन्ड (ख) में शब्द "माल बचन " के पश्चात् शब्द अथवा "खरीदने" बढ़ा दिये जायं। धारा २४ का संशोधन

उद्देश्य और कारण

इस समय खाद्यान्न तथा गुड़ जैसी कतिपय वस्तुओं पर प्रत्येक बिक्री के समय बिक्री कर लगाया जाता है । व्यवसाय तथा सर्वसाधारण में भी, विशेष कर खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं पर इस प्रकार के अनेक बार लगने वाले कर के विरुद्ध थोड़ा बहुत असन्तोष रहा है । वर्तमान पद्धति ने व्यापारिक अभिकर्त्ताओं के भी सामने एक समस्या खड़ी कर दी है जो कर संबंधी अपने दायित्व का इस आधार पर विरोध करते हैं कि कृषक और क्रेता के बीच वे केवल मध्यवर्ती हैं। बड़ी मात्रा में करापवंचन भी होता रहा है जिससे राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व के एक पर्याप्त भाग से वंचित होना पड़ा है इन सभी समस्याओं पर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गयी बिक्री-कर समिति ने विचार किया था जिसने व्यवसाय के विभिन्न वर्गों से प्राप्त हुए सुझावों के आधार पर पहली बिक्री के समय एक बार बिक्री कर लगाने की पद्धति को स्वीकार करने की सिफारिश की है । सरकार ने समिति की इस सिफारिश को स्वीकार करने और ऐसा कर लगाने की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश बिक्री कर-ऐक्ट, १९४८ ई० को उचित रूप से संशोधित करने का निश्चय किया है। करापवंचन को रोकने के लिये यह भी निर्णय किया गया है कि पहली बिक्री के उन लेन-देनों पर जिन पर क्रय कर नहीं लगाया जा सकता हो, बिक्री क्रम में एक बार बिक्री कर लगाने की व्यवस्था की जाय। इस बात को ध्यान में रखकर कि ऐसी वस्तुएं जिन पर अनेक बार कर लगता है उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले साधारणतया कम से कम दो व्यक्तियों से होकर गुजरती हैं, राज्य राजस्व के हित में अनेक बार से एक बार कर लगाने की पद्धति अपनाने के परिणामस्वरूप कर की दर में उचित रूप से वृद्धि करना आवश्यक हो सकता है । तदनुसार ऐसी दरों पर कर लगाने का अधिकार लिया जा रहा है जो खाद्यान्नों की दशा में दो पैसे प्रति रुपये से तथा अन्य माल की दशा में पांच पैसे प्रति रुपये से अधिक न हो, जैसा कि सरकार पृथक वस्तुओं के संबंध में न्यायसंगत समझे । यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे व्यक्तियों को, जो अपने ऐसे निर्देष्टाओं की ओर से जो इस ऐक्ट के अधीन रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, केवल कार्य करने वाले व्यापारिक अभिकर्त्ता, हैं, लाइसेंस देने की पद्धति जारी करके कर की छूट से या कर देने के दायित्व से मुक्त करने की व्यवस्था की जाय। कतिपय अन्य संशोधन भी किये जा रहे हैं, जो आनुषंगिक प्रकार के हैं ।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ में दिये हुए ऐसे उपबन्धों के संबंध में ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ में कतिपय ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें राज्य सरकार को कुछ मात्रा में विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान है। मूल अधिनियम की धारा २४ (१) के अधीन राज्य सरकार को, सामान्य रूप से और उसकी उपधारा (२) में उल्लिखित कतिपय विषयों के लिये विशेष रूप से, अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने का अधिकार है। जिन विषयों के लिये इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार नियम बनाये जायेंगे, वे निम्नलिखित हैं—

(१) रीति जिसके अनुसार व्यापारी का प्रथम क्रय-धन तथा विक्रय-धन अवधारित किया जायगा (खन्ड ४);

(२) शर्तें, जिनके अनुसार व्यापारी को जारी किया गया लाइसेंस शासित होगा (खन्ड ५);

(३) रीति जिसके अनुसार लाइसेंस प्राप्त व्यपारी द्वारा माल की बिक्री तथा क्रय के लेन-देन का लेखा रक्खा जायगा खन्ड (५); और

(४) माल के विक्रय तथा क्रय के लेन-देन के संबंध में सूचना जो लाइसेंस प्राप्त व्यापारी द्वारा दी जायगी (खन्ड ५)।

२—विधेयक में राज्य सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह विधेयक के विभिन्न उपबन्धों के अधीन जारी की जाने वाली विज्ञप्तियों द्वारा कतिपय अन्य विषयों के लिये भी व्यवस्था करे। वे निम्नलिखित हैं—

(क) माल जिन पर क्रय-कर या बिक्री-कर लगाया जायगा और क्रय-कर अथवा बिक्री कर की दर तथा दिनांक जब से ऐसी विज्ञप्तियां लागू होंगी (खन्ड ४);

(ख) क्रय कर अथवा बिक्री-कर लगाने के प्रयोजनार्थ विक्रय-धन की कर लगाये जाने योग्य सीमा का अवधारण (खन्ड ४); और

(ग) व्यापारियों को लाइसेंस देने की व्यवस्था करना (खन्ड ५)।

३—प्रतिनिधान सामान्य प्रकार का है।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११७ एस० ए०—१९६४—८६०।